न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–सं.1, अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 सरिता स्वामी,
R.J.S.

सेशन प्रकरण संख्या : 24/2019

1. राजस्थान राज्य, जर्ये अपर लोक अभियोजक, अलवर

बनाम

1. विपिन यादव पुत्र संजय यादव, जाति यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी नैनसुख मौहल्ला, पुलिस थाना बहरोड, जिला अलवर।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र जयपाल, जाति यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी जैतपुरा मौहल्ला, पुलिस थाना बहरोड, जिला अलवर।
3. कालूराम पुत्र देवकरण, जाति यादव, उम्र 46 वर्ष, निवासी रतनपुरा, पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर।
4. दयानन्द पुत्र हजारीलाल, जाति यादव, उम्र 46 वर्ष, निवासी रिवाली, पुलिस थाना बहरोड, जिला अलवर।
5. योगेश कुमार उर्फ धोलिया पुत्र रोहिताश, जाति खाती, उम्र 32 वर्ष, निवासी बिजौरावास, पुलिस थाना बहरोड, जिला अलवर।
6. भीम सिंह राठी पुत्र रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी काली पहाडी, पुलिस थाना ततारपुर, जिला अलवर।
7. दीपक उर्फ गोलू पुत्र धर्मवीर, जाति अहीर, निवासी अनन्तपुरा, पुलिस थाना बहरोड, जिला अलवर। (**अभियुक्त मफरूर है**)

''**धारा 147, 341, 323, 302, 308, 427, 379 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता**''

उपस्थिति:
विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री योगेन्द्र खटाणा, राज्य की ओर से।
विद्वान अधिवक्ता श्री अख्तर हुसैन व कासिम खान, परिवादी पक्ष की ओर से।
विद्वान अधिवक्ता श्री हुक्मचंद शर्मा, अभियुक्तगण की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक : 14.08.2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कैलाश अस्पताल, बहरोड में आई.सी.यू. वार्ड में भर्ती मजरूब (मृतक) पहलू खॉ पुत्र मौहम्मदा, जाति मेव, उम्र 55 वर्ष, निवासी जयसिंहपुरा, पुलिस थाना सदर, नूँह मेवात, हरियाणा ने पर्चा बयान इस आशय का दिया कि, ''दिनांक 01.04.2017 को करीब 04.00 पी.एम. पर वह

और उसका लडका आरिफ व इरशाद HR-61-C-3525 पिकअप गाडी में जयपुर हटवाडा से दो गाय ब्याही हुई 45,000/–रुपये में खरीद कर उनके गॉव जयसिंहपुर, नूंह मेवात लेकर जा रहे थे। वे गाय बेचने के लिए लेकर आये थे। करीब 07 बजे बहरोड पुलिया के आगे निकलते ही, करीब 200 आदमियों ने उनकी पिकअप गाडी को रूकवा लिया और उनसे गाली–गलौच करने लगे तथा मारपीट शुरू कर दी, मारपीट करते समय ये लोग आपस में ओम यादव, हुक्मचंद यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी व जगमाल नाम बोल रहे थे तथा अपने आपको विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल का कार्यकर्ता कह रहे थे, सभी व्यक्ति अपना–अपना नाम बता कर कह रहे थे कि जो भी बहरोड में होकर गुजरेगा, उसके साथ ऐसे ही मारपीट करेगें।

इन लोगों ने उनके साथ लाठी, डण्डो व घूसों से मारपीट कर, उनके कपडे फाड दिये, उनकी जेबों में रखे पैसों को भी ले गये और जब वे घायल होकर सडक पर पड गये तो उनकी पिकअप गाडी को भी इन लोगों ने तोड दिया। उसी समय उनकी दूसरी पिकअप गाडी आ गई, जिस पर अजमत व रफीक थे, जिसमें तीन गायें थी। उनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की तथा उनके पैसे भी छीन कर ले गये। मारपीट में उसके सिर व मुॅह पर गंभीर चोटें आई हैं। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने उन्हें एम्बूलेंस में बैठा कर ईलाज हेतु कैलाश अस्पताल में लाकर भर्ती करवा दिया। मारपीट के समय कुछ लोगों ने उनके मोबाइल से फोटो लिये थे..... इत्यादि।

उक्त पर्चा बयान के आधार पर मुकामी पुलिस थाना बहरोड, अलवर ने एफ.आई.आर. नंबर 255/2017, अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 308, 379 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

मुकामी पुलिस द्वारा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया, नीरज कुमार उर्फ मिथुन, पवन कुमार, ओमप्रकाश यादव, हुक्मचंद यादंव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी, जगमाल, दीपक उर्फ गोलू तथा भीम राठी के विरूद्ध धारा 147, 323, 341, 427, 308, 302 व 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध बनना प्रथम दृष्टया साबित पाया।

जिस पर मुकामी पुलिस द्वारा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया तथा बाल

अपचारी नीरज कुमार उर्फ मिथुन, पवन कुमार के विरूद्ध उक्त अपराधों के तहत पूर्ण आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा अभियुक्तगण ओमप्रकाश यादव उर्फ ओम, हुक्मचंद यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी, जगमाल, दीपक उर्फ गोलू तथा भीम राठी के विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान जारी रखा गया।

बाल अपचारी नीरज कुमार उर्फ मिथुन तथा पवन कुमार के विरूद्ध विचारण हेतु प्रकरण किशोर न्यायालय में भेजा गया। प्रकरण में भीम सिंह राठी के विरूद्ध तितम्बा चालान पेश किया गया।

अभियुक्त दीपक उर्फ गोलू, मफरूर है, जिसके विरूद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया गया है, इस निर्णय की कोई भी टिप्पणी अभियुक्त दीपक उर्फ गोलू के पक्ष में व विरूद्ध में नहीं पढी जावेगी।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड, जिला अलवर द्वारा बाद अवलोकन अभियोग–पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों के तहत विधिवत प्रसंज्ञान लिया तथा प्रकरण अनन्यतः माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, बहरोड, जिला अलवर को उपार्पित किया गया, जहॉ से यह प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेशानुसार विधिवत निस्तारण हेतु उक्त प्रकरण मोब लिचिंग प्रकरण होने के कारण इस न्यायालय को स्थानांतरित होकर दिनांक 10.04.2019 को प्राप्त हुआ, जिस पर इस प्रकरण का मोब लिचिंग प्रकरण के तहत विचारण प्रारम्भ किया गया।

न्यायलाय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को **धारा 147, 341, 323, 308, 302, 379 व 427 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत आरोप पृथक–पृथक विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो आरोप सुन व समझ अभियुक्तगण ने अपने–अपने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 डॉ. वी.डी. शर्मा, पी.ड. 2 डॉ. पियूष प्रभात, पी.ड. 3 रविन्द्र यादव, पी.ड. 4 जितेन्द्र कुमार, पी.ड. 5 अखिल कुमार सक्सैना, पी.ड. 6 रामचन्द्र यादव, पी.ड. 7 विक्रम सिंह, पी.ड. 8 रघुवीर सिंह, पी.ड. 9 नरेश कुमार, पी.ड. 10 डॉ. पुनित तिवारी, पी.ड. 11 डॉ. रविकान्त यादव, पी.ड. 12 देवदत्त, पी.ड. 13 डॉ. अमित यादव, पी.ड. 14 सन्तराम,

पी.ड. 15 विजय सिंह, पी.ड. 16 सोनू कुमार, पी.ड. 17 हरीश शर्मा, पी.ड. 18 नरेन्द्र कुमार, पी.ड. 19 ब्रह्मसिंह, पी.ड. 20 अभय सिंह, पी.ड. 21 संजय, पी.ड. 22 दयाराम, पी.ड. 23 सतीश कुमार, पी.ड. 24 नवल किशोर, पी.ड. 25 डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार जैन, पी.ड. 26 नीरज, पी.ड. 27 डॉ. जयन्तीमाला, पी.ड. 28 राकेश, पी.ड. 29 गिर्राज प्रसाद, पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार, पी.ड. 31 डॉ. दीपिका हेमराजानी, पी.ड. 32 परमाल सिंह, पी.ड. 33 गोविन्द देथा, पी.ड. 34 मौहम्मद अब्बास, पी.ड. 35 मौहम्मद कयूम, पी.ड. 36 साहबुदीन, पी.ड. 37 जान मौहम्मद, पी.ड. 38 इरशाद, पी.ड. 39 अजमत, पी.ड. 40 महावीर सिंह शेखावत, पी.ड. 41 आरिफ, पी.ड. 42 रफीक, पी.ड. 43 दामोदर सिंह एवं पी.ड. 44 रामस्वरूप शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विभिन्न दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–118 को प्रदर्शित करवाया।

अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत लिये तो उन्होनें गवाहान का झूँठ बोलना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु उभर कर प्रकट होते हैं कि :–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.04.2017 को समय करीब 7 बजे या इसके लगभग बहरोड पुलिया के पास सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी पक्ष/मजरूबान के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य से कुंद व घातक हथियारों से विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त समूह का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूबान पहलू खॉ, आरिफ, इरशाद, अजमत व रफीक के साथ इस आशय व ज्ञानपूर्वक इन परिस्थितियों में मारपीट कर साधारण एवं गंभीर उपहतियॉ, कारित की, जिससे यदि आहतगण की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव–वध के दोषी होते?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में साशय या ज्ञानपूर्वक आहत/मृतक पहलू खॉ के मार्मिक अंगो पर लाठी व डण्डो से मारपीट कर गंभीर उपहतियॉ कारित कर उसकी मृत्यु कर हत्या कारित की?

(3) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी पक्ष/आहतगण की जेबों में रखे रूपयों को बदनियति पूर्वक निकाल कर ले जाकर, चोरी कारित की?

(4) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी पक्ष के वाहनों को तोडफोड कर परिवादी पक्ष को रिष्टी कारित की?

(5) यदि हॉ तो अभियुक्तगण की सजा क्या होगी?

बहस अंतिम विद्वान अपर लोक अभियोजक, विद्वान अधिवक्ता परिवादी तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण की सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि मृतक पहलू खॉ ह्रदय रोग से पीडित था और जिन डाक्टर्स ने भी इस बात को कहा है कि वह ह्रदय आघात से मर गया, वे डॉक्टर्स भी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये हैं। पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में पहलू खॉ के जो बयान दिये गये हैं, उसमें किसी भी डयूटी डॉक्टर से रिपोर्ट नहीं करवाई गई है। पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में जिन मुलजिमान द्वारा मारपीट करना बताया गया है, उनको इस प्रकरण में पुलिस द्वारा मुलजिम भी नहीं बनाया गया है और जिनको मुलजिम बनाया गया है और जो अन्वीक्षा भुगत रहे हैं, उनका न तो एफ.आई.आर. में नाम था और न ही पर्चा बयान में। केवल मात्र भीड में से किसी के भी नाम लिख दिये गये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादी की ओर से जो गवाहान न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, उनकी साक्ष्य में, धारा 161 दण्ड प्रकिया संहिता के बयानों में तथा पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 तीनों में भारी विरोधाभास है और जैसे–जैसे गवाह आते गये तो दूसरे गवाहान ने पहले वाले गवाहान के बयानों से बढ–चढकर बयान दिये। पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में जहॉ यह कथन किया है कि जयपुर हटवाडा से दो गाय ब्याही हुई खरीदकर अपने गॉव ले जा रहे थे और न्यायालय में हुए बयानों में परिवादी के गवाहान ने यह कथन किया है कि वे गायों को टपूकडा ले जा रहे थे, ये दोनों ही बातें झूॅठी हैं, क्योंकि कार्यालय उप–आयुक्त ने जब उनसे थाना बहरोड के द्वारा सूचना मॉगी तो उन्होनें स्पष्ट किया कि दिनांक 01.04.2017 को जयपुर से भरे गये पशु हटवाडे के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार तौफिक, कामिल, देवेश कुमार

आदि व्यक्तियों के नाम से कोई पशु हटवाडे में से क्रय नहीं किया गया है। अन्त में इसी आधार पर दिनांक 02.04.2017 को अन्तर्गत धारा 5, 8, 9 आर.बी.ए. एक्ट, पुलिस थाना बहरोड, जिला अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/2017, मुलजिमान के कब्जे से 06 गाय व 03 बछियॉ कुल 09 गौवंश जब्त करने के संबंध में दर्ज की गई। नक्शा मौका से भी यह स्पष्ट है कि बहरोड पुलिया के नीचे ऐसा स्थान है, जहॉ पर ट्रैफिक पुलिस व अन्य पुलिस रूटिन में खडी रहती है। कोई ऐसी सूनी जगह या इलाका नहीं है, जहॉ बहुत ज्यादा देर तक पुलिस नहीं आ सकती हो। भीड के द्वारा यदि गोतस्करों के खिलाफ कोई मारपीट या बोलचाल हुई है तो उससे यह नहीं कहा जा सकता कि अन्वीक्षाधीन मुलजिमान के द्वारा ही मारपीट की गई है। प्रदर्श पी–57 लगायत प्रदर्श पी–99, जो फोटोग्राफ व मोबाईल डिटेल पेश की गई हैं, इनके संबंध में अनुसन्धान अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है, उसके अभाव में केवल मात्र प्रदर्श कर दिये जाने से ये दस्तावेजात साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किये जा सकते। मृतक पहलू खॉ के अलावा 04 और आहत बताये गये हैं, लेकिन उनके द्व ारा न्यायालय में साक्ष्य देने के समय किसी भी मुलजिमान की शिनाख्तगी करने से इंकार किया गया है कि वे किसी को नहीं पहचान सकते और पूर्व में भी कोई शिनाख्तगी अनुसन्धान अधिकारी द्वारा मुलजिमान की नहीं कराई गई है। प्रदर्श डी–5 लगायत प्रदर्श डी–7 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 आर.बी.ए. एक्ट में परिवादी पक्ष के कामिल, देवेश कुमार, सूबे सिंह, जिया–उल–हक, फारूख, जमशेद, इकराम आदि मुलजिमान के खिलाफ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड में चार्जशीट पेश होकर विचारण लम्बित है और अपने न्यायालय में हुए बयानों में इन सभी ने उनके खिलाफ यह मुकदमा चलने बाबत भी स्वीकार किया है। पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में यह कहा है कि 200 आदमियों ने उनकी पिकअप गाडी को रूकवा लिया, उनसे गाली–गलौच करने लगे तथा मारपीट शुरू कर दी। ये सभी व्यक्ति अपने नाम बताकर कह रहे थे कि जो बहरोड से होकर गाय लेकर गुजरेगा उसके साथ ऐसे ही मारपीट करेंगे। लेकिन धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श डी–13 में मृतक पहलू खॉ के पुत्र आरिफ ने यह कथन किया है कि दो मोटरसाईकिलों पर पॉच व्यक्ति आये और उन्होनें उनकी पिकअप गाडी के आगे मोटरसाईकिल लगाकर उनकी गाडी को रूकवाया, जबकि पर्चा बयान में केवल पॉच व्यक्तियों के द्वारा ही मौके पर आकर इस तरह का कोई कार्य किया गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। प्रदर्श डी–12 में परिवादी पक्ष के ही गवाह अजमत ने

अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में यह कहा है कि वे मौके पर पहुॅचे तो 8–10 मोटरसाईकिल वालों ने पहलू खॉ की पिकअप को रूकवा रखा था। इरशाद जो कि पहलू खॉ का ही पुत्र है, उसने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श डी–11 में दो मोटरसाईकिलों पर पॉच व्यक्तियों के आने व उनकी पिकअप को रूकवाने का कथन किया है। यदि केवल पॉच व्यक्तियों के द्व ारा ही उनको मौके पर रोककर मारपीट की गई थी, हांलाकि पर्चा बयान में 200 की भीड बताई है और न्यायालय में हुए बयानों में व धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अलग–अलग (150–200–100) की भीड बताई है। लेकिन यदि शुरूआत में मौके पर केवल पॉच ही व्यक्ति थे और वे हाजिर अदालत मुलजिमान ही होते तो यह अपने न्यायालय बयानों में मुलजिमान की शिनाख्तगी आवश्यक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि पॉच की संख्या इतनी कोई अधिक संख्या नहीं है, जिसमें पहलू खॉ के दोनों पुत्र आरिफ व इरशाद साथ होते हुए उनको न पहचान सकते हों। इससे भी स्पष्ट है कि पुलिस ने जो इनके द्वारा पॉच व्यक्ति बताये गये थे, उनको गिरफ्तार न करके भीड में से जो वहॉ पर खडे थे, उन्हीं को पकडकर मुलजिम बना दिया, जबकि मारपीट इनके द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य में जो डॉक्टर्स की राय पहलू खॉ की मृत्यु के संबंध में आई है, उसमें वरिष्ठ डॉक्टर वी.डी. शर्मा है और जब बहुत सारे डॉक्टर्स की राय हो तो प्राथमिकता वरिष्ठ डॉक्टर की राय को ही दी जाती है और उन्होनें बतौर पी.ड. 1 न्यायालय में अपने बयानों में यह स्पष्ट कहा है कि उसे पहलू खॉ ने यह बताया था कि भर्ती होने से पहले एक तारीख की सुबह या दोपहर में जयपुर में किसी ह्रदय विशेषज्ञ को वह दिखाकर आया था। पहलू खॉ ने पुराना अस्थमा का मरीज होना भी बताया था और उसकी धमनियों में स्टन्ट डले होना भी बताया था। स्टन्ट डालने की बात उन्होनें अंकित की थी और इस बात को भी स्वीकार किया कि पहलू खॉ जब भर्ती हुआ था, तब उसके जो चोटें आई थी, उनसे मृत्यु होना संभव नहीं था। यह उसका चिकित्सीय क्षेत्र में करीब 45–50 वर्षों का अनुभव है। दिनांक 01.04.2017 को ही कैलाश अस्पताल में पहलू खॉ को भर्ती कराया गया था। उस समय उसके वाईटल्स सामान्य थे। ब्लड प्रेशर, नाडी की गति, मरीज की चेतना, सब सही थे। छाती में दर्द की शिकायत कर रहा था। उसने पहलू खॉ को अन्तिम बार दिनांक 03.04.2017 को शाम को राउण्ड के समय देखा था, तब तक वह आराम से पलंग पर बैठा था और ठीक था। जब उसने उससे पूछा कि पहलू खॉ कैसे हो तो उसने यह भी कहा था कि वह बिल्कुल ठीक है और छुट्टी देने की

जिद की, कि उसे अभी छुट्टी चाहिए। उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, उसे तो बाहर जाना है, वह वहॉ नहीं ठहरेगा। पहलू खॉ के दो–तीन लडके जनरल वार्ड में भर्ती थे। उनके छोटी–मोटी चोटें थी। आई.सी.यू. में केवल पहलू खॉ ही था। क्रिटियल केयल के डॉ. अखिल सक्सैना ने रात को 08.30 बजे फोन किया था कि मरीज पहलू खॉ की ह्रदय गति रूकने से मृत्यु हो गई है और यह भी स्पष्ट किया कि यदि भर्ती होते समय मरीज की हालत गम्भीर होती तो वे उसे वेन्टीलेटर मशीन पर रखते। लेकिन उसे केवल छाती में दर्द, पसलियों के फ्रैक्चर की वजह से था, इसलिए वेन्टीलेटर पर रखना आवश्यक नहीं समझा था। इससे स्पष्ट है कि भीड द्व ारा ऐसी कोई चोट आहत को कारित नहीं की गई, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु करने का भी उनका आशय रहा हो। पहलू खॉ की मृत्यु ह्रदयाघात से ही हुई थी। शेष आहतगण अजमत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 में कुल 05 चोटें, सभी चोटें कुन्दाले से व सामान्य प्रकृति की बताई गई हैं। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 में आहत इरशाद के कुल 02 चोटें कुन्दाले से व सामान्य प्रकृति की बताई गई है, जिनमें चोट संख्या 2 इनविजिबल बताई गई है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 में आरिफ के कुल 04 चोटें, सभी चोटें कुन्दाले से व सामान्य प्रकृति की बताई गई हैं। इस प्रकार भीड द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी कोई गम्भीर उपहति कारित नहीं की गई है और न ही उनका कोई ऐसा आशय रहा। पी.ड. 2 डॉक्टर पियूष प्रभात ने भी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसे जानकारी मिली थी कि पहलू खॉ की मृत्यु ह्रदय गति रूकने से हुई है। पी.ड. 4 डॉ. जितेन्द्र कुमार ने भी मरीज की पेशेन्ट हिस्ट्री पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है तथा यह भी स्पष्ट कहा है कि पहलू खॉ को ह्रदय रोग तथा अस्थमा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। पी.ड. 5 डॉ. अखिल कुमार सक्सैना ने भी पहलू खॉ की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण होना बताया है और जिरह में यह भी स्पष्ट कहा है कि मरीज पहलू खॉ को उन्होनें वेन्टीलेटर पर लिया था और कार्डियक अरेस्ट का पूरा प्रोसेस अपनाया था। उन्होनें पहलू खॉ को बचाने का काफी प्रयास किया। डॉ. जितेन्द्र के नोट्स में लिखा हुआ था कि पहलू खॉ का जयपुर में किसी ह्रदय रोग डॉक्टर से इलाज चल रहा था और यह बात डॉ. वी.डी. शर्मा व अन्य चिकित्सकों के डाईगनोसिस नोटिस पर भी लिखी हुई थी। रेडियोलॉजिस्ट पी.ड. 6 रामचन्दर यादव ने भी यह स्पष्ट कहा है कि मरीज की सोनोग्राफी व एक्स–रे में छाती के दोनों तरफ की पसलियॉ टूटी हुई थी, लेकिन किसी गाय या बछडे की टक्कर छाती में लगे, तब ये पसलियॉ टूट सकती हैं। जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि जब वह पहलू खॉ के

पास गया था तो समस्त वाईटल सामान्य थे और वह ऑक्सीजन पर नहीं था और मरीज छुट्टी के लिए जिद कर रहा था। पी.ड. 10 डॉ. पुनित तिवारी, पी.ड. 11 डॉ. रविकान्त यादव व पी.ड. 25 डॉ पुष्पेन्द्र कुमार जैन के द्वारा हांलाकि उपरोक्त चिकित्सकों से अलग राय दी गई है, लेकिन ये पोस्मार्टम के समय के गवाह हैं, जिन्होनें जिरह में यह स्पष्ट किया है कि उन्होनें पोस्टमार्टम करने से पूर्व बैड हैड टिकिट नहीं देखा और न ही उन्हें इस बात की जानकारी है कि पहलू खॉ अस्थमा का मरीज हो और उसके फेफडों में लैसरेसन होते हों और मृतक पूर्व से ह्रदय रोग से ग्रसित रहा हो तो उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं थी। ऐसे में इनके द्वारा जो कहा गया है कि पहलू खॉ की मृत्यु चोटों की वजह से हुई है, पूर्णतया गलत है और यह भी निवेदन किया है कि जब डॉक्टर्स की राय दो तरह की हो तो संदेह का लाभ विधि अनुसार मुलजिम पक्ष को ही दिया जाता है। पी.ड. 13 अमित यादव ने भी स्पष्ट कहा है कि आहतगण की सभी चोटें जो उसने अपनी चिकित्सीय साक्ष्य में बताई हैं, वे किसी गाय या बछडे द्वारा सिर से टक्कर मारने और सख्त धरातल पर उस व्यक्ति के गिरने से ऐसी चोटें आ सकती हैं। पी.ड. 3 रविन्द्र यादव पक्षद्रोही घोषित हुआ है और उसने यह स्पष्ट कहा है कि दिनांक 01.04.2017 को दयानन्द के पिता की मृत्यु हुई थी और यही बात अनुसन्धान अधिकारी ने भी मानी है। दयानन्द अपने पिता की मृत्यु के संबंध में आवश्यक क्रियाक्रम करने हेतु जा रहा था और मौके पर वह भीड देखकर खडा हो गया, लेकिन ऐसे समय में जब उसके पिता की मृत्यु हुई हो, किसी और के साथ मारपीट करना संभाव्य नहीं हो सकता, जो केवल मात्र भीड को देखकर वहॉ खडा हो गया होगा और इसको उन्होनें मुलजिम बना दिया। साथ ही यह भी कथन किया कि उसने न तो पुलिस को मोबाईल के बिल दिये और न ही उसने कोई फोटो खींचे। वह मोबाईल जब्त करने की तारीख व सिम के नम्बर भी नहीं बता सकता। उसने यह भी स्पष्ट कहा है कि उसने पुलिस को कोई ऐसे दस्तावेज नहीं दिये, जिससे मोबाईल व सिम का अस्तित्व रविन्द्र का दर्शित होता हो तो ऐसे में इसके आधार पर जो फोटो बनाये गये, यह अनुसन्धान अधिकारी द्वारा बताया गया है कि वे इस गवाह की साक्ष्य से भी साबित नहीं होते, इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। पी.ड. 14 लगायत पी.ड. 17, ये सभी गौशाला के कर्मचारी है, जिन्होनें दिनांक 01.04.2017 को 18 गाय, 07 बछडे, 05 बछियॉ कुल 30 गौवंश को गौशाला में जमा करना बताया है। पी.ड. 18 नरेन्द्र कुमार जो कि गिरफ्तारी व बरामदगी का गवाह है, ने इस बात को स्वीकार किया है कि विपिन के मालिकाना हक बाबत कोई दस्तावेज उसने नहीं देखा,

अनुसन्धान अधिकारी ने भी यही कहा है। मुलजिमान से दफा 27 की ईत्तला पर उन्हें डरा–धमकाकर उनसे तीन लाठी बरामद करना बताया है, न तो उन लाठियों को एफ.एस.एल. जॉच हेतु भेजा गया था, न ही उन पर कोई खून के निशान होना बताया गया है, जो पुलिस के द्वारा यूं ही प्रकरण में दिखाने के लिए बरामदगी फर्जी बनाई गई है। जब अनुसन्धान अधिकारी ने कहा कि नक्शा मौका उसने पूर्व में देख रखा था, उसके बावजूद भी दो मुलजिमान योगेश व भीम सिंह राठी से घ ाटनास्थल नक्शा मौका जो तस्दीक कराया गया है, वह भी विधि अनुसार गलत है। अब जो दो गवाह बरामदगी के रखे हैं, वे पुलिस कर्मचारी हैं। पी.ड. 24 नवल किशोर ने यह कहा है कि उसने कोई फोटो तैयार नहीं की। पी.ड. 26 नीरज ने कथन किया है कि वह रविन्द्र को नहीं जानता और पुलिस ने पहलू खॉ के केस में उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके सामने कोई मोबाईल जब्त नहीं किया। उसके तो केवल प्रदर्श पी–4 पर कोरे कागजों पर पुलिस ने हस्ताक्षर कराये थे। इस प्रकरण का सबसे अहम व महत्वपूर्ण गवाह 27 डॉ. जयन्तीमाला है, जिसने स्पष्ट कहा है कि मृतक पहलू खॉ के सम्पूर्ण ह्रदय का ग्रोसिंग कार्य उसके एवं डॉक्टर मंजू के द्वारा सम्पन्न किया गया था, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी रिपोर्ट है। पहलू खॉ के ह्रदय की आर्टरी में स्टन्ट मौजूद थे। इस गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि ह्रदय की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने पर स्टन्ट डाले जाते हैं। पी.ड. 31 डॉ. दीपिका हेमराज ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 में सी से डी राय के अनुसार पहलू खॉ पुराना हार्ट डिजीज का मरीज था। दिनांक 08.05.2017 को एफ.आई.आर. 255/2017 में पुलिस स्टेशन बहरोड, अलवर के द्वारा भेजे गये सैम्पल मृतक पहलू खॉ की माईक्रोस्कॉपी रिपोर्ट उसी के द्वारा तैयार की गई थी। इस प्रकार केवल मात्र परिवादी पक्ष के गवाहान का न्यायालय में यह कह देना कि पहलू खॉ को ह्रदय की कोई बीमारी नहीं थी, चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णतया झूॅठा साबित हो जाता है। पी.ड. 29 गिर्राज प्रसाद, जो कि मालखाना इंचार्ज है, ने बताया है कि मोटरसाईकिल के संबंध में चेचिस नम्बर व ईंजन नम्बर, रजिस्टर में अंकित नहीं है और जब्तशुदा डंडा आज भी उसके सामने नहीं है। जो मोटरसाईकिल विपिन से बरामद करना बताया गया है, वह विपिन की हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार इस प्रकरण का अनुसन्धान अधिकारी है, जिसने कहा है कि मौके पर भीड 200–250 व्यक्तियों की खडी हो गई थी। उसके द्वारा भीड को हटाकर घायलों को एम्बूलेन्स बुलाकर

कैलाश अस्पताल, बहरोड इलाज हेतु रवाना कर दिया गया था। परिवादी पक्ष का न्यायालय बयानों में यह कथन रहा कि आधे–पौने घंटे तक उनके साथ मारपीट करते रहे, यदि आधे–पौने घंटे तक 200–250 व्यक्ति किसी व्यक्ति की पिटाई करे तो उनके केवल मात्र सामान्य प्रकृति की चोटें ही आए, यह नही माना जा सकता और उसने मुकदमा भी केवल धारा 143, 323, 341, 308, 427, 307 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया था। उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह लगभग 07.00 बजे तथाकथित घटनास्थल पर पहुॅच गया था। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–2 लगायत प्रदर्श डी–7 में जो उसने चार्जशीट पेश की है, उनकी प्रमाणित प्रतियॉ है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–31 पर्चा बयान पहलू खॉ पर किसी भी डॉक्टर के द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है। जबकि नियमानुसार डॉक्टर से अनुप्रमाणित किया जाना आवश्यक है और जिसका नोट भी अनुसन्धान अधिकारी ने लगाया है कि किसी भी डॉक्टर ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 के आई से जे भाग पर कटिंग व ओवर राईटिंग थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पर्चा बयान कैलाश अस्पताल में न लिया जाकर पर्चा बयान पर केवल पहलू खॉ के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये गये और बाद में इनके द्वारा नाम भरकर कार्यवाही की गई तथा गवाह के बयान भी अपने तरीके से लिखे हैं। मुलजिमान से बरामदगी पर भी कोरे कागजों पर डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये गये हैं। उनके द्वारा दफा 27 की कोई ईत्तला नहीं दी गई और इस बात को भी स्वीकार किया है कि मुलजिम रविन्द्र घटनास्थल के जितने फोटो प्राप्त हुए हैं, उनमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फोटो प्रदर्श पी–57 प्रदर्श पी–99 पर कोई तारीख अंकित नहीं है कि फोटो कब की हैं। यह भी कथन किया कि मुखबिर ने उसे वीडियो दिया और इस वीडियो को उसने फोन में लिया और बाद में फोटो तैयार करवाई। जबकि वीडियो देने वाले व फोटो तैयार करने वाले, जो व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी द्वारा बताये गये हैं, उन्होनें न्यायालय बयानों में इस बात की पुष्टि नहीं की है। इस गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने वीडियो की सी.डी. को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भी नहीं भेजा, न ही उसके द्वारा सी.डी. व फोटो को शील्ड मोहर किया गया और यह भी स्पष्ट कहा है कि वह वीडियो अब उसके पास नहीं है। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि सी.डी. आर्टिकल 1 लगायत 5 को उसने एफ.एस.एल. नहीं भेजा और न ही उसके द्वारा शील्ड मोहर किया गया। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है

कि कॉल डिटेल के लिए उसने किसी नोडल अधिकारी से न तो प्रमाण–पत्र लिया और ना ही प्रमाणित करवाया। मुलजिमान से उनके मोबाईल के मालिक होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज, सिम, आई.डी. आदि नहीं लिये, न ही किसी मोबाईल कम्पनी से इस संबंध में कोई जानकारी ली कि मोबाईल का मालिक कौन है। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मुलजिम दयानन्द के पिता की मृत्यु दिनांक 01.04.2017 को हुई, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श डी–10 है। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि किसी भी मुलजिम की मजरूबान व अभियोजन साक्षियों से शिनाख्तगी परेड नहीं कराई गई। पी.ड. 32 परमाल सिंह ने भी दयानन्द के पिता की मृत्यु होने के तथ्य को सही बताया है और यह भी स्वीकार किया है कि उसने फोन की सी.डी.आर. बाबत धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र किसी नोडल अधिकारी से नहीं लिया और न ही फोटो, जब्तशुदा मोबाईल, मेमोरी कार्ड एफ.एस.एल. हेतु भेजे। पी.ड. 33 गोविन्द देथा यह भी नहीं बता सका कि वह कितने दिन बाद घटनास्थल पर गया था। उसने भीम राठी व दीपक उर्फ गोलू को किस आधार पर मुलजिम माना, यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया। उसने मुलजिमान के खिलाफ धारा 147, 323, 341, 427, 308, 379, 302 भारतीय दण्ड संहिता में चार्जशीट किस आधार पर पेश की है, यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया है, केवल यह कहा है कि तत्कालीन एस.एच.ओ. रमेश सिनसिनवार के द्वारा पूर्व में की गई तफ्तीश के आधार पर उसने कार्यवाही की थी। गवाह पी.ड. 34 लगायत पी.ड. 37 केवल मृतक पहलू खॉ के पोस्टमार्टम के समय के गवाह हैं। पी.ड. 38 इरशाद, जो कि मृतक पहलू खॉ का पुत्र है, ने इस बात को स्वीकार किया है कि गाडी नम्बर एच.आर.–61–3525 उनकी स्वयं की नहीं थी, जिसे वह चला रहा था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–11 के ए से बी भाग में 07.00 बजे का समय गलत अंकित करना बताया है। पुलिस बयान प्रदर्श डी–11 में उसने 3–4 बाईकों पर 9–10 आदमियों का आना बताया था। पुलिस बयान डी–11 में दो बाईकों पर 5–6 व्यक्तियों का आना गलत लिखा है। पुलिस ने ऐसा कैसे लिखा, वह कारण नहीं बता सकता। पुलिस बयान प्रदर्श डी–11 में बयान देते वक्त उसने यह भी बताया था कि मुलजिमान जब उनके साथ मारपीट कर रहे थे तो यह कह रहे थे कि ''ये मुल्ले हैं, चार–पॉच नहीं मरेंगे तब तक नहीं मानेंगे'', लेकिन ये बयान प्रदर्श डी–11 में पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, वह कारण नहीं बता सकता। पुलिस बयान में आधा–पौना घंटा तक मुलजिमान द्वारा पिटाई करने वाली बात भी क्यों नहीं लिखी, वह कारण नहीं बता सकता। मौके पर पुलिस गाडी

भरकर आई थी, वह उनके नाम नहीं बता सकता। कुछ मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया था और घटनास्थल पर पहुॅचने के बाद पुलिस उन्हें कैलाश अस्पताल ले गई थी। वह बेहोश हो गया था। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी–11 में जो मुलजिमान के नाम मारपीट करने वालों के बताये थे व जो नाम उसने आज बताये हैं, वे पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श डी–11 में क्यों नहीं लिखे, वह कारण नहीं बता सकता। उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी–33 पर हस्ताक्षर थाने में किये थे, जिससे स्पष्ट है कि नक्शा मौका, मौके पर नहीं बनाया गया। पी.ड. 39 अजमत गाडी नम्बर आर.जे. 14 जे.बी. 7209, का मालिक कौन है, नहीं बता सका और कहा कि वह तो 7,500/–रूपये किराये पर आया था। अर्जुन ड्राईवर कहॉ का रहने वाला है, यह उसकी जानकारी में नहीं है। पी.ड. 38 इरशाद ने यह कथन किया है कि मुलजिमान ने यह कहा है कि इन लोगों को इकट्ठा करके पेट्रोल डालो और आग लगा दो, जबकि पी.ड. 39 अजमत ने कुछ सुधार करते हुए यह लिखवाया है कि विपिन डीजल निकालकर इन लोगों के आग लगा दे, पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श डी–12 में क्यों नहीं लिखा, इसका भी वह कारण नहीं बता सकता। गवाह ने इस बात से भी इंकार किया है कि पुलिस ने वहॉ भीड पर लाठी चार्ज नहीं किया हो, बल्कि किया था। उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–12 में ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, वह कारण नहीं बता सकता। पी.ड. 41 आरिफ ने कहा है कि उसने नक्शा मौका पर दूसरे दिन हस्ताक्षर थाने पर किये थे और यह भी स्पष्ट कहा है कि जब उनके पुलिस गैल थी। घटना की सारी बात उसने पुलिस के इंचार्ज को अगले दिन ही बता दी थी। वह बेहोश नहीं हुआ था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–13 में सी से डी भाग, चोट लगी, जिससे वह बेहोश हो गया, गलत लिखी है। जबकि धारा 161 दण्ड प्रकिया संहिता के बयानों में स्वयं का बेहोश होना लिखवाया है। पी.ड. 40 महावीर सिंह शेखावत ने केवल भीम सिंह राठी के विरूद्ध चार्जशीट पेश की है। पी.ड. 42 रफीक ने कथन किया है कि शाम को 07.30 बजे उन्होनें थानेदार को जब उनके बयान लिये थे, घटना के बारे में बता दिया था। उसने प्रदर्श डी–14 में ये लोग आपस में ओम, हुकम, सुधीर, नवीन, राहुल, जगमाल, कालू, भीम, दीपक, धौलिया, विपिन का नाम नहीं ले रहे थे, वाली बात लिखा दी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, वह कारण नहीं बता सकता। उसके खिलाफ गोतस्करी का मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है, इस बात को भी उसने स्वीकार किया है। पी.ड. 43 दामोदर सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–116 के मौतबिरान कांस्टेबल सतीश व सतवीर

उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं तथा उसने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखा। उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 04.01.2018 से पूर्व वह घटनास्थल पर हो आया था। प्रदर्श डी–15 तहरीरी रिपोर्ट पर उसने पहलू खॉ वगै. के खिलाफ मुकदमा संख्या 253/2017, थाना बहरोड पर दर्ज कराया। तहरीरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–15 व चार्जशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–16 है। पी.ड. 44 रामस्वरूप शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे तो केवल पत्रावली निष्कर्ष व सुपरवाईजरी नोट की पालना हेतु दी गई थी, जो भी पत्रावली पर नहीं है। महा–निरीक्षक जयपुर रेन्ज का सुपरवाईजरी नोट भी इस पत्रावली पर नहीं है। उसके द्वारा किसी गवाह के न तो बयान लिये गये और न ही कोई दस्तावेज पत्रावली पर लिये गये। अन्त में अपने उक्त तर्कों के समर्थन में मुलजिमान जिनके द्वारा मारपीट की गई, उन्हें तो इस प्रकरण में मुलजिम बनाया नहीं गया और जिनको मुलजिम बनाया गया है, उनके खिलाफ कोई संदेह से परे साक्ष्य अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है। अतः मुलजिमान को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये –

1. 2019(1) Cr.L.R. (Raj.) 137, Mohan lal Gamar & Ors. Vs State of Rajasthan

2. 2017(1) Cr.L.R. (Raj.) 451, Dharmendra Vs State of Rajasthan

3. 2018(3) Cr.L.R. (Raj.) 1384, Sanjay @ Mahendra @ Dholu Nath & Anr. Vs State of Raj.

4. AIR 2015 Supreme Court 180, Anvar P.V. Vs. P.K. Basheer and others

5. 2016(1) Cr.L.R. (Raj.) 334, State of Rajasthan Vs Hansa Ram & Ors.

6. AIR 1965 SC 364, Mahendra Manilal Nanavati Vs Sushila Mahendra Nanavati

7. 2018(3) Cr.L.R. (Raj) 1189, Mohd. Bilal & Ors. Vs State of Rajasthan

8. 2011 C.r.L.R. (SC) 160, Brundaban Moharana & Anr Vs State of ORISSA

9. 2010(1) C.r.L.R. (Raj.) 183, State of Rajasthan Vs Misariya & ORS.

10. 2008(1) C.r.L.R. (Raj.) 286, Arjun Ram & ORS. Vs State of Rajasthan

इसके प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष व विद्वान अपर लोक अभियाजक की ओर से संयुक्त रूप से यह बहस की गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भले ही वह अपराधी ही क्यों न हो कानून अपने हाथ में लेकर अपने नियमो के अनुसार दण्डित नहीं कर सकता। केवल मात्र यह कह देना कि ये गोतस्कर थे, इसलिए मुलजिमान को इन्हें पीटने का अधिकार हो, भले ही वह कोई विशिष्ट दल के सदस्य हो, समाज सुधारक हो, किसी को भी कानून, कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। यह सही है कि परिवादी पक्ष के गवाहान के द्वारा मुलजिमान की कोई शिनाख्तगी नहीं हुई है, लेकिन जो अनुसन्धान अधिकारी द्वारा मुलजिमान के मौके पर मारपीट करते हुए के जो फोटो लिये गये हैं, उनसे बखूबी साबित है कि मारपीट इन्हीं के द्वारा की गई और जिससे पहलू खॉ की बुरी तरह से मारपीट करने से पसलियॉ तोड देने से जबरदस्त ब्लीडिंग होने के कारण मृत्यु हुई है। पी.ड. 10 व पी.ड. 11 ने पोस्टमार्टम के समय पहलू खॉ के शरीर को खोलकर देखने के बाद बताया है कि मल्टीपल फ्रैक्चर होने के कारण ब्लीडिंग होने से पहलू खॉ की मृत्यु हुई थी, उस पर कोई संदेह किये जाने का लेशमात्र भी कारण नहीं है। मृत्यु से पहले डॉक्टर्स द्वारा जो राय दी गई, वह पूर्णतया गलत है, क्योंकि उस समय उनके सामने मृतक का शरीर खुला हुआ नहीं था। केवल मात्र यह कह देना कि पहलू खॉ की मृत्यु ह्रदयाघात से हुई थी, पूर्णतया गलत है। पहलू खॉ का चोट प्रतिवेदन व चिकित्सीय साक्ष्य, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि उसके मल्टीपल चोटें थी और वे चोटें इन्हीं मुलजिमान के द्वारा कारित की गई है। मामला अभियोजन साक्ष्य से पूरा संदेह से परे बखूबी साबित है, जिसे उन्होनें अपने गवाहान के द्वारा साबित करवाया है। हांलाकि जिरह में कुछ छोटे–मोटे विरोधाभास समय अधिक होने की वजह से आना स्वाभाविक है और यह भी हो सकता है कि स्वतंत्र गवाह स्वयं की मुलजिमान से लोकल होने के कारण दुश्मनी ना बन जाये तो न्यायालय में खिलाफ गवाही देने में भी डरते हैं, इससे पक्षद्रोही भी हो जाते हैं। लेकिन मौके पर रविन्द्र द्वारा वीडियोग्राफी किया जाने और अनुसन्धान अधिकारी पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार द्वारा अपने मोबाईल में इस डिटेल को लेकर फोटो तैयार करवाया जाने और उन फोटों पर सभी मुलजिमान के नाम लिखे होने से उनकी मोबाईल डिटेल से केस बिल्कुल साबित है। समाज में ऐसे मुलजिमान को कडी से कडी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भीड के रूप में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ कानून को अपने हाथ में लेकर मारपीट न कर सके और न ही कोई अन्य

अपराध कारित कर सके। अतः मुलजिमान को दोष सिद्ध किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये –

1- Special Leave Petition (CRL.) No. 2302 of 2017 Shafhi Mohammad Vs The State of Himachal Pradesh, Order Dated 30 January, 2018

2- Criminal Appeal No. 228 of 2008. D/d. 23-07-2013, Kaliya Vs State Of Madhya Pradesh

3- Civil Appeal No.10585 of 1996. D/d. 08-10-2003, R.V.E. Venkatachala Gounder Vs Arulmigu Viswesaraswami and ors.

4- 2003 (3) R.C.R. (Criminal) 1: (2003) 6 SCC 73, Visveswaran Vs State

5- Criminal Appeal No. 1525 of 2009, Vinubhai Ranchhodbhai Patel Vs Rajivbhai Dudabhai Patel and ors. Order Dated 16-05-2018

6- Criminal Appeal No. 299 of 2010, Dev Karan @ Lambu Vs State Of Haryana, Ord.Dt. 06-08-2019

7- Criminal Appeal No. 162 of 2006, Ramachandran and ors. Vs State Of Kerala, Ord. Dt. 02-09-2011

8- Criminal Appeal No. 830 of 2005, Mohinder Singh and ors. State Of Punjab, Ord. Dt. 24-03-2006

9- Criminal Appeal No. 783-784 of 2016, Bharwad Navghanbhaj jakshibhai and ors. State Of Gujrat Ord. Dt. 29-08-2016

10- Criminal Appeal No. 47-48 of 2013, Ashok Debbarma@Achak Debbarma Vs State Of Tripura, Ord. Dt. 04-03-2014

11- Criminal Appeal No. 1067 of 2001, Alamgir Sani Vs State Of Assam, Ord. Dt. 20-12-2002

अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक तुलनात्मक अवलोकन किया गया।

अभियोजन पक्ष ने प्रकरण को साबित कराने हेतु 44 गवाहान को परीक्षित कराया है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–

गवाह **पी.ड. 38 इरशाद (मजरूब)** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.04.2017 की बात है। वह, उसका अब्बा पहलू खॉ, उसका भाई आरिफ जयपुर से टपूकडा के लिए जा रहे थे। उनके पास पिकअप गाडी थी, जिसका नंबर एचआर 61 सी 3525 है, जिसमें दो गाय व दो बछडे जयपुर हटवाडा से 45,000 रूपये में खरीदकर ला रहे थे। वे जयपुर से लगभग शाम के 4.00 बजे चले थे तथा बहरोड लगभग 6.00 बजे आ गये थे। बहरोड के मेन पुल को लगभग 1 किमी क्रोस करके कुछ लोग जो बाईकों पर आये थे, उनके पास 3–4 बाईक थी तथा 9–10 बंदे थे, आए तथा उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके पास गायें थी जिन्हें हम खरीद कर ला रहे थे हमने इन लोगों को पर्चियॉ दिखाई कि हम गायों को खरीद कर ला रहे है तथा उन लोगों ने पर्ची नहीं देखी फाड के फेंक दी तथा बोला '' कि ये मुल्ले है 2–4 मरेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे'' ये हमारे साथ मारपीट करते रहे, वहां काफी लोग इकट्ठा हो गये, कम से कम वहां 100–150 लोग इकट्ठे हो गये। ये लोग हमारे साथ डण्डे, बैल्ट तथा लात–घूंसों से मारपीट कर रहे थे। इन लोगों ने उनके, उसके अब्बा पहलू खां के साथ बुरी तरह से मारपीट की। आधा–पौने घण्टे तक हमारी पिटाई होती रही। 5–10 मिनिट बाद ही हमारे साथी अजमत व रफीक भी पिकअप गाडी से मौके पर आ गये, इनके पास भी गाय थी। जैसे ये लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे थे उसी तरीके से इन लोगों के साथ भी ये मारपीट कर रहे थे। इन लोगों हमको इकट्ठा डाल दिया और बोले कि ''पैट्रोल लाओ और इनमें आग लगा दो''। जब ये लोग प्लान बना रहे थे तो थोडी देर बाद पुलिस आ गयी थी, पुलिस हमको कैलाश अस्पताल ले गयी, वहां हमें भर्ती कर दिया और हमारे अब्बा पहलू खां के बहुत गंभीर चोटे थी जिसमें उनकी पसलियां भी टूट गयी, जिसकी वजह से उसके अब्बा पहलू खां की मौत हो गयी। मारपीट करते समय वे एक–दूसरे में आपस में नाम ले रहे थे, जिसमें वो ओमचंद, राहुल, हुकमचंद, सुधीर, नवीन, जगमाल, विपिन, कालू, रविन्द्र, दयानंद, धौलिया, दीपक, भाटी, नीरज, गोलू आपस में मारपीट करते समय नाम ले रहे थे। उसके आयी चोटों का डॉक्टर मुआयना हुआ था, उसका चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 33 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। काफी समय हो जाने के कारण वह आज मुल्जिमान को नहीं पहचान सकता।

गवाह ने **जिरह** में यह कहना गलत बताया कि उसने जयपुर हटवाडे से कोई गाय न खरीदी हो। यह कहना गलत है कि पहलू खां हॉर्ट का मरीज हो स्टण्ट डले हुए हों तथा पहलू खां का जयपुर के किसी डॉक्टर से ईलाज चल रहा हो। यह कहना गलत बताया कि पहलू खां के विरूद्ध गौतस्करी एवं किसी अन्य प्रकार के मुकदमें विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन हो। यह सही है कि बहरोड पुलिस ने उसके, उसके पिता व भाई के खिलाफ 252/17 मुकदमा दर्ज है। यह सही है कि वह उस मुकदमें में मुल्जिम है तथा उसने उसमें जमानत करा रखी है। गाडी नंबर एचआर 61 3525 हमारी स्वयं की नहीं थी, गावं के खान मौहम्मद की थी, जिसे वह चला रहा था। यह सही है कि जो उसने घटनास्थल बताया है उसके पास एक बंद फैक्ट्री भी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना स्थल पर चाय की दुकान हो, लेकिन वहां पर फैक्ट्री है। यह कहना गलत है कि 3–4 बाईकों पर 9–10 व्यक्ति नहीं आये हो और हमारी पिकअप नहीं रूकवायी हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने हमारे साथ मारपीट नहीं की हो बल्कि मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि किसी ने हमारी पर्ची न फाडी हो, न देखी हो बल्कि उन लोगों ने पर्ची देखकर फाड डाली। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 का ए से बी भाग में 7.00 बजे का समय गलत अंकित किया गया है। पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 में उसने 3–4 बाईकों पर 9–10 आदमियों को आना बताया था, पुलिस ने बयानों में दो मोटरसाईकिलों पर पांच व्यक्ति का आना लिखा हो तो वह कोई कारण नहीं बता सकता, पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 में सी से डी भाग में 2 बाईकों में 5–6 व्यक्ति गलत लिखा है। पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 में मुल्जिमान को हमने गायों की खरीद की पर्चियां दिखाई थी और उन्होंने फाड दी थी, उसने ऐसा बयान पुलिस को दिया था पुलिस ने क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। दूसरी गाडी में अजमत और रफीक जब ये लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे थे उसे 5 मिनिट बाद आये थे। यह कहना गलत है कि हमारे साथ मारपीट करके हमें इक्ट्ठा न डाला हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान पट्रोल छिडककर आग लगाने वाली बात न कह रहे हो बल्कि वो लोग कह रहे रहे थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 में इन सब को इक्ट्ठा करके पट्रोल छिडककर आग लगा दो, वाली बात उसने पुलिस को बयान देते वक्त बतायी थी पुलिस ने क्यों नहीं लिखी कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान हमारे साथ डण्डे, बैल्ट व लात–घूंसो से मारपीट नहीं कर रहे हो। पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 में बयान देते वक्त उसने ''कि ये मुल्ले है 4–5 पर नहीं

मरेंगे तब तक नहीं मानेंगे'' ऐसा बयान उसने प्रदर्श डी 11 देते समय लिखवाया था पुलिस ने क्यों नहीं लिखे कारण नहीं बता सकता। घटना के वक्त जाम लग गया था, और कोई गाडी आ–जा नहीं रही थी। यह कहना गलत है कि उसके अब्बा पहलू खां के साथ किसी ने मारपीट न कि हो। प्रदर्श डी 11 में उसने पुलिस को बयान देते वक्त ''हम लोगों के साथ आधा–पौने घण्टे तक पिटाई हुई थी'' ऐसा बयान दिया था, पुलिस ने क्यो नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अजमत और रफीक के साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो। मौके पर गाडी भरके पुलिस आयी थी, जिनके नाम वह नहीं बता सकता, कुछ मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार भी किया था, पुलिस करीब 7.00 बजे आयी थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस हमे कैलाश अस्पताल ले गयी थी। पुलिस को मौके पर उसने व उसके अब्बा ने इस घटना के बारे में सारी बातें बता दी थी। वहं बेहोश नहीं था। यह कहना गलत है कि इस तथाकथित घटना में उसके अब्बा की पसलियां न टूटी हो बल्कि टूटी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान मारते वक्त एक–दूसरे का नाम ओमचंद, राहुल, हुकमचंद, सुधीर, नवीन, जगमाल, विपिन, कालू, रविन्द्र, दयानंद, धौलिया, दीपक, भाटी, नीरज, गोलू नहीं ले रहे हो। पुलिस बयान प्रदर्श डी 11 में उसने उक्त मुल्जिमों का नाम मारपीट करने वालों में लिखवाया था पुलिस ने क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। उसकी चोटों का डॉक्टर मुआयना कैलाश अस्पताल में हुआ था, जो 01.04.17 को रात को हुआ था। प्रदर्श पी 33 नक्शामौका पर थाने में हस्ताक्षर किये तो वह व उसके रफीक व अजमत भी थे। यह कहना गलत है कि उसके अब्बा के छाती में गाय ने मारी हो। यह कहना गलत है कि हमारे साथ कोई मारपीट न हुई हो और वह आज अदालत में झूंठे बयान दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि उसके अब्बा की मृत्यु हार्टअटैक से हुई हो बल्कि अब्बा की मौत मारपीट के कारण हुई थी। यह कहना गलत है कि वहं आज झूंठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 39 अजमत (मजरूब) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.04.17 को वे जयपुर से आ रहे थे। उकसी गाडी आरजे 14 जीबी 7209 पिकअप थी, इसमें तीन गाय व तीन बछडे थे, जो वे जयपुर हटवाडा से लेकर आ रहे थे। उसके साथ पिकअप में रफीक और अर्जुन ड्राईवर था, जो पिकअप को चला रहा था, मौजूद थे। दूसरी पिकअप में इरशाद, पहलू खां और आरिफ थे, जो भी जयपुर हटवाडा से गाय लेकर आ रहे थे। वे जयपुर से 2.00 बजे रवाना हुए थे। ये बहरोड में शाम के 5.00–5.30, 6.00 बजे तक पहुंचे थे। पहले इरशाद की

पिकअप उनसे आगे चल रही थी। बहरोड पुलिया पार करके बंद फैक्ट्री के पास में इरशाद वगैरहा की गाडी को, 10–12 लोगों ने और भीड इक्ट्ठा हो रही थी, उन लोगों ने रूकवा रखा था तथा मारपीट कर रहे थे। उसी समय उनकी पिकअप आ गयी तो उन लोगों ने हमारी पिकअप को भी रूकवा लिया तथा उनके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ड्राईवर अर्जुन को उसका नाम पूछकर भगा दिया तथा इनके साथ डण्डो, बैल्ट, पत्थरों व लात घूंसों से मारपीट की। ये लोग आपस में एक दूसरे का नाम बोल रहे थे कि हुकम ये काम करो, ओम ये काम करो तथा सुधीर, नवीन शर्मा, राहुल, जगमाल, रविन्द्र, कालू, दयानंद, विपिन, नीरज, धौलिया, पवन का नाम आपस में ले रहे थे और कह रहे थे कि इस रास्ते से जो भी गुजरेगा उसके साथ ऐसे ही मारपीट करेंगे। ये लोग उनके साथ करीब आधा–पौन घण्टा तक मारपीट करते रहे, और सबको मरणासन्न अवस्था में घायल करके जमीन पर पटक दियाा। उनमें से एक ने बोला कि ''विपिन डीजल निकालकर इन लोगों में आग लगा दे'' तथा इनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद मौके पर पुलिस आ गयी, पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज करके हम लोगों को एंबूलेंस से कैलाश अस्पताल में पहुंचा दिया। जहां ईलाज के दौरान पहलूं खां की मौत हो गयी। उसकी आंखों पर, रीढ की हड्डी व कमर पर मारपीट में चोटें आयी थी। उसका चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि गाडी नंबर आरजे 14 जीबी 7209 पिकअप का मालिक कौन है, उसे नहीं पता। वे तो गाडी को 7500 रूपये किराये पर करके लाये थे। यह कहना गलत है कि वे जयपुर हटवाडा से कोई गाय लेकर नहीं आये हो। दूसरी पिकअप को इरशाद चला रहा था, जो पिकअप उनसे थोडी आगे थी, दोनों में पांच मिनिट का अंतर था। घटनास्थल के आस–पास और भी फैक्ट्रियां है। घटनास्थल पर कम से कम 100–150 आदमियों की भीड थी। यह कहना गलत है कि जब वे वहां पहुंचे तो पहलू और इरशाद जमीन पर पडे हुए हों, बल्कि हमारे सामने जब वे वहां पहुंचे, उनके साथ मारपीट हो रही थी। अर्जुन ड्राईवर कहां का रहने वाला है उसकी जानकारी में नहीं है क्योंकि उन्होनें उक्त पिकअप को जयपुर हटवाडा से किराये पर लिया था। यह बात सही है कि बहरोड पुलिस ने इस घटना के बाद उनके खिलाफ आरबी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसे भी मुल्जिम बनाया है, जिसमें उसकी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हुई है। यह सही है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी 12

देते समय उसने भाडे को पिकअप लाने व उसका ड्राईवर अर्जुन होना तथा भीड में उसका नाम पूछ कर, उसे भगा देना बताया था, पुलिस ने प्रदर्श डी 12 में ऐसा क्यों नहीं लिखा इसका वह कोई कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि वे उक्त दुधारू गौवंश को हरियाणा में बेचने के लिए ले जा रहे हों, बल्कि टपूकडा ले जा रहे थे और ऐसा ही बयान उसने पुलिस को प्रदर्श डी 12 में बताया था, पुलिस ने हरियाणा में ले जाना क्यों लिखा है कारण नहीं बता सकता। उसके पांच जगह चोटें लगी थी। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी 12 देते समय मुल्जिम एक दूसरे का नाम ले रहे थे जिनमें हुकम, ओम, सुधीर, नवीन शर्मा, राहुल, जगमाल, रविन्द्र, कालू, दयानंद, विपिन, नीरज, धौलिया, पवन थे, पुलिस को बताया था, पुलिस ने प्रदर्श डी 12 में क्यों नहीं लिखे कारण नही बता सकता। यह कहना गलत बताया कि मुल्जिमान ऐसा नहीं कह रहे हो कि ''जो भी इस रास्ते से गाय को लेकर गुजरेगा उसके साथ ऐसा ही अंजाम होगा'' यह बात उसने पुलिस को बतायी थी, पुलिस ने प्रदर्श डी 12 में क्यों नहीं लिखी इसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत बताया कि मुल्जिमान ने हमारे साथ आधा–पौन घण्टे तक मारपीट नहीं की हो। ऐसा बयान उसने पुलिस को प्रदर्श डी 12 में लिखवाया था पुलिस ने क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत बताया कि मुल्जिमान द्वारा उन्हें घायल करके जमीन पर न पटका गया हो। पुलिस बयान प्रदर्श डी 12 में उसने पुलिस को बताया था क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। वह मारपीट के वक्त बेहोश नहीं हुआ था, पूरा होश में था। यह कहना गलत है कि वह पिटाई और चक्कर आने से घटनास्थल पर बेहोश हो गया हो। प्रदर्श डी 12 में बयान देते वक्त वह पिटाई से बहोश गया गलत लिखा है उसने ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि ''एक ने कहा कि विपिन डीजल निकाल और इनको आग लगा दे तथा हमको एक जगह इकट्ठा कर दिया'' ऐसा बयान उसने पुलिस को दिया था पुलिस ने प्रदर्श डी 12 में क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। जब पुलिस आयी थी उस समय 100–150 आदमियों की भीड थी। यह कहना गलत है कि पुलिस ने वहां भीड पर लाठी चार्ज नहीं किया हो, बल्कि किया था, उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी 12 में ऐसा बयान दिया था, पुलिस ने क्यो नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। पुलिस ने उस समय 8–10 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह कहना गलत है कि पहलू खां हार्ट का मरीज हो और उसके स्टण्ट डले हुए हो बल्कि स्वस्थ था। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई हो, वह दूसरी वाली पिकअप में नही हो

और उसने घटना न देखी हो और उसके कोई चोट नहीं आयी हो। यह कहना गलत है कि वह घटनास्थल पर एक घण्टा देरी से पहुंचे हो और हम लोग गौ–तस्करी का काम करते हो। उसे डॉक्टरों ने कैलाश व सरकारी हॉस्पिटल में देखा था। यह कहना गलत है कि वह पहलू खां का रिश्तेदार होने के कारण झूंठे बयान दे रहा हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिान ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की हो और ना ही घटनास्थल पर रोका। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान घटनास्थल पर मौजूद न हो।

गवाह **पी.ड. 41 आरिफ (मजरूब)** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.04.17 को जयपुर से वह और उसके पापा पहलू खां, भाई इरसाद तीनों पिकअप गाडी से जिसका नंबर एचआर 61 सी 3525, दो दूधवाली गाय व दो बछडे 45,000/रूपये में खरीद कर अपने गांव आ रहे थे। वे जयपुर से 4.00 पीएम पर गांव के लिए रवाना हुए थे। बहरोड में वे 6.00 बजे आ गये थे। बहरोड की मेन पुलिया पार करके वे जा रहे थे, तभी तीन–चार बाईकों पर 8–9 बंदे आये, उन्होंने कहां कि गाडी रोको, तो गाडी रोक दी। इन्होनें उनको रवन्ना दिखाया तथा कहा कि वे गाय खरीदकर ला रहे है। उन्होंने कहां कि हम नहीं जानते रवन्ना को, उन्होंने रवन्ना लेकर फाड दिया तथा ये लोग उन्हें एक–एक करके उतारते रहा तथा लाठी, डण्डा, हॉकी, बैल्ट, लात–घूंसों से इन्हें मारते रहे। फिर पांच मिनिट बाद रफीक व अजमत वगैहरा की दूसरी पिकअप आ गयी, उसमें भी तीन गाय व तीन बछडे थे, वो भी उन्हें जयपुर से खरीदकर लाये थे। उसे भी रूकवाकर उनके साथ भी मारपीट करने लग गये। मारपीट करने के बाद इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया तथा कहा कि ''पैट्रोल लाओ और इनमें आग लगा दो''। थोडी देर बाद पुलिस आ गयी, वहां मौके पर 100–150 की भीड इकट्ठा हो गयी थी। ये सभी मारपीट कर रहे थे तथा कह रहे थे कि ''मुसलमान है मारो इनको''। पुलिस ने भीड को इधर–उधर किया तथा हमें कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने दो–तीन लोगों को पकडा भी था। 03.04.2017 को मेरे पिता पहलू खां कि मारपीट के दौराने आयी चोटों से उनकी पसली टूट गयी थी, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गयी। मारपीट करने वाले आपस में ओम, हुकम, राहुल, सुधीर, जगमाल, नवीन, कालू, भीम, पवन, विपिन, दीपक, रविन्द्र, धुलिया, वगैरहा का आपस में नाम ले रहे थे। उसके दोनों आंखों में चोटे आयी थी, उस समय दिख नहीं रहा था तथा उसकी नाक व पसली में भी चोटें आयी थी। उसके मारपीट में

आयी चोटों का डॉक्टर मुआयना हुआ था, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका उसके सामने बनाया था, नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 33 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके पिता की लाश के पंचायतनामे की कार्यवाही उसके सामने की थी, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 34 है जिस पर एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम पुलिस ने उसके पिता की लाश क्रियाकर्म के लिए उसे सुपुर्द की थी, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 35 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि एचआर 61 सी 3525 गाडी खान मौहम्मद की थी, जिसे वे किराये पर लाये थे, जो उनके गांव के ही थे। गाडी को वे 6500 रूपये किराये पर लाये थे। ड्राईवर उस दिन बीमार हो गया था, उस दिन पिकअप को उसका भाई चला रहा था। उसके भाई के पास ड्राईविंग लाईसेंस है। यह कहना गलत है कि वह दूधवाली गाय हटवाडा से खरीद कर नहीं लाया हो। यह कहना गलत है कि वे कोई रवन्ना लेकर नहीं आये हो। मेन पुलिया बहरोड से 1 किमी है, जहां घटना हुई थी। तथाकथित घटनास्थल के पास फैक्ट्रियां है। यह कहना गलत है कि वहां बहुत सारी फैक्ट्रिया हो बल्कि एक फैक्ट्री थी जो बंद पडी थी। यह कहना सही है कि जब वे पिकअप लेकर जा रहे थे तब काफी गाडियां आ–जा रही थी। यह कहना गलत है कि 3–4 बाईको पर 8–9 व्यक्ति नहीं आये हो और उन्होंने उनकी गाडी को नहीं रूकवाया हो। हमारी उसी दिन पूछताछ कर ली तथा अगले दिन सुबह हमारे बयान हो गये थे। प्रदर्श डी 13 का ए से बी भाग गलत लिखा है, बल्कि आज जो वह बयान दे रहा है, वह सही लिखा है। यह कहना गलत है कि वकील साहब ने बताया कि न्यायालय में जाकर ये बयान देना है। यह कहना गलत है कि हमने उनको गाय खरीदने का रवन्ना नहीं दिखाया हो। यह कहना गलत है कि हमारे पास रवन्ना न हो तथा यह कहना भी गलत है कि उन लोगों ने रवन्ना को नहीं फाडा हो। यह कहना गलत है कि उन लोगों ने एक–एक करके उन्हें गाडी से उतारकर, लाठी–डण्डों, बैल्ट, हॉकी व लात–घूंसों से मारपीट न की हो। पुलिस बयान प्रदर्श डी 13 में हॉकी से मारपीट करने वाली बात अंकित नहीं है लेकिन उसने पुलिस को बतायी थी पुलिस ने क्यों नहीं लिखी कारण नहीं बता सकता। उसके पांच–सात चोटें आयी थी। यह कहना सही है कि रफीक और अजमत, उसके व भाई ईरशाद के खिलाफ

गौतस्करी के मुकदमें बहरोड न्यायालय में चल रहे है, जो बहरोड पुलिस ने लगाये थे। यह कहना गलत है कि रफीक व अजमत जयपुर हटवाडा से दूध की गाय खरीद कर नहीं लाये हो। पुलिस आयी थी लेकिन भीड पर लाठी चार्ज नहीं किया, भीड को भगाया था। यह कहना गलत है कि पुलिस के लाठीचार्ज में उसके, उसके अब्बा, उसके भाई इरशाद, रफीक व अजमत के चोटें आयी हो। यह कहना गलत है कि मारपीट करके इन सबको इकट्ठा नहीं किया हो अजखुद कहा कि इनको इकट्ठा पटक दिया। यह कहना गलत है कि उन लोगों ने ''पैट्रोल लाओ और इनमें आग लगा दो'' वाली बात नहीं की हो। यह सही है कि प्रदर्श डी 13 में यह बात नहीं है कि मारपीट करके इकट्ठा कर दिया तथा पैट्रोल लाओ और इनको आग लगा दो, उसने तो प्रदर्श डी 13 में बता दिया था पुलिस ने नहीं लिखा तो कारण नहीं बता सकता। करीब 20 मिनिट बाद पुलिस आ गयी थी, जो पुलिस वाले आये थे वह उनके नाम नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसके पिता पहलू खां की मारपीट के दौराने पसली न टूटी हो। यह सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 13 में उसके पिता की पसली टूटने वाली बात नहीं है, उसने पुलिस को बतायी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखी कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मारपीट करने वाले आपस में ओम, हुकम, राहुल, सुधीर, जगमाल, नवीन, कालू, भीम, पवन, विपिन, दीपक, रविन्द्र, धुलिया, नाम नहीं ले रहे हो। यह बात सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 13 में उसने आपस में ओम, हुकम, राहुल, सुधीर, जगमाल, नवीन, कालू, भीम, पवन, विपिन, दीपक, रविन्द्र, धुलिया, नाम ले रहे थे, वाली बात बता दी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखी कारण नहीं बात सकता। यह कहना गलत है कि उसके पापा हॉर्ट पेशेंट हो उनके हॉर्ट में स्टैण्ट(वॉल) डले हुए हो। यह कहना गलत है कि उसके पापा का जयपुर में हॉर्ट का ईलाज चल रहा हो और उनके जयपुर में ही स्टैण्ट डले थे। यह कहना गलत है कि उसके पापा की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई हो बल्कि मारपीट करने की वजह से हुई है। उसका मेडिकल उसी दिन नहीं हुआ था, पापा की मृत्यु के अगले दिन हुआ था। नक्श`मौके पर उसी दिन हस्ताक्षर नहीं किये थे बल्कि अगले दिन हस्ताक्षर किये थे। जब नक्शे मौके पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे, तब वे चारों थे और पुलिस उनके गैल थी। यह सही है कि पंचायतनामें में क्या लिखा था पढके नहीं सुनाया। घटना की सारी बात उसने अस्पताल में पुलिस के इंचार्ज को बता दी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की हो और वह आज झूंठे बयान दे रहा हो। यह कहना गलत है कि वह चोट लगने से

बेहोश हो गया हो। पुलिस बयान प्रदर्श डी 13 सी से डी भाग चोट लगी जिससे बेहोश हो गया गलत लिखा है। यह कहना गलत है कि उसके अब्बा के खिलाफ गौतस्करी के मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हो। यह कहना गलत है कि वह आज झूंठे बयान दे रहा हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की हो।

गवाह **पी.ड. 42 रफीक (मजरूब),** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 01.04.17 की बात है, वे जयपुर से मेले में से पिकअप में गाय लेकर आ रहे थे, जिसका नंबर उसे याद नहीं है, जयपुर से किराये पर ली थी। पिकअप में तीन बछडे व तीन गाय थी। उसके साथ अजमत था तथा अर्जुन ड्राईवर था। गाय लेकर जयपुर से हम 4.00 पीएम बजे रवाना हुए। उसके बाद हम लगभग 6. 00 पीएम पर बहरोड पहुंचे, हमने बहरोड की मेन पुलिया पार की थी। उसके बाद 4–5 मोटरसाईकिल पर 8–9 लोग बाग थे तथा पहलू खां इरसाद व आरिफ वगैरहा की मारपीट कर रहे थे जो कि हमसे पहले पिकअप में जयपुर मेले से गाय लेकर आ रहे थे। इनके पांच मिनिट बाद ही वे मौके पर पहुंच गये थे इसके बाद इनलोगों ने इनको भी गाडी से उतारकर मारपीट करना शुरू कर दिया। इन लोगों के पास बेल्ट, डण्डा तथा लात–घूंसों से मारपीट कर रहे थे। मारपीट के लगभग आधे घण्टा बाद पुलिस आ गयी थी, पुलिस आने से पहले हम पांचों को इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया था तथा कहां कि ''इनमें आग लगा दो''। ये काफी लोग इकट्ठा हो गये थे, करीब 70–80 आदमी इकट्ठा हो गये थे। उसके बाद पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने हमें अस्पताल में भर्ती कर दिया। उसके बाद पुलिस ने हमारे बयान लिये थे, उसके बाद दूसरे दिन हमारे चाचा पहलू खां का इन्तकाल हो गया था। ये लोग आपस में ओम, हुकम, सुधीर, नवीन, राहुल, जगमाल, कालू, भीम, दीपक, धौलिया, विपिन वगैरहा के नाम ले रहे थे, और भी नाम ले रहे थे लेकिन उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। इन लोगों द्वारा की गयी मारपीट में उसकी नाक टूट गयी थी, दो पसली टूट गयी तथा पांव में चोट आयी थी। उसकी चोटों का डॉक्टर मुआयना हुआ था, उसका चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 10 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

गवाह ने **जिरह में** यह कथन गलत बताया कि वह मेले से गाय लेकर नहीं आ रहा हो। जयपुर से वे 4.00 बजे चले थे। यह कहना गलत है कि तथा कथित घटना स्थल पर पुलिस की चौकी नहीं है और पुलिस वहां मौजूद नहीं

थी। यह कहना गलत है कि वहां ट्रैफिक पुलिस खडी हो तथा लकडी की गुमटी हो। वहां पैट्रोल पंप नहीं था, बल्कि फैक्ट्री थी वह फैक्ट्री बंद थी। यह सही है कि दूसरी तरफ सामने फैक्ट्री है। यह सही है कि वहां 15–20 फैक्ट्रिया है वह बहरोड का इंडस्ट्रल ऐरिया है। यह कहना गलत है कि जब वे पहुंचे गाडिया आ जा रही है वहां जाम लगा हुआ था दूसरी सडक पर गाडियां आ–जा रही थी। वे जब पहुंचे तो पहलू, आरिफ, इरशाद जमीन पर पडे हुए थे और उनकी मार–पिटाई चालू थी। वे पहुंचे उस समय पहलू, आरिफ, इरशाद के काफी चोटे लगी हुई थी। हमारी गाडी में से सब से पहले अजमत उतरा था। यह कहना गलत है कि वे जयपुर हटवाडा से जो गाय बछडे खरीदकर लाये थे वो हरियाणा में बेचने के लिए नहीं बल्कि टपकूडा में लाने के लिए लाये थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी 14 का ए से बी यह गलत लिखा है, इसने तो पुलिस को टपूकडा गाय ले जाना का बताया था, क्यों नहीं लिखा, कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पहलू, और उसके दो लडके इरशाद व आरिफ भी जयपुर से दो गाय व दो बछडे खरीदकर हरियाणा बेचने के लिए लाये हो बल्कि टपूकडा के लिए लाये थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी 14 सी से डी भाग गलत लिखा है, पुलिस ने क्यों लिखा कारण नहीं बता सकता। यह सही है कि वे 7.00 पीएम पर बहरोड पुल के पास पहुंचे थे। यह कहना गलत है कि वहां 150–200 आदमी की भीड इकट्ठी हो बल्कि वहां 70–80 आदमी थे, पुलिस बयान प्रदर्श डी 14 का ई से एफ, भाग गलत लिखा है, उसने पुलिस को बता दिया था क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। वह बेहोश नहीं हुआ था। पुलिस बयान प्रदर्श डी 14 का जी से एच भाग गलत लिखा है उसने ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि उन लोगों ने लात–घूंसो व डण्डो से मारपीट न की हो। यह कहना गलत है कि पुलिस मौके पर 15 मिनिट बाद आयी हो बल्कि आधा–पौने घण्टे बाद आयी थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी 14 का आई से जे भाग में 15 मिनिट गलत लिखा है, उसने तो आधा–पौना घण्टा लिखाया था। यह कहना गलत है कि पुलिस आने से पहले हम पांचों को इन लोगों ने इकट्ठा न किया हो। पुलिस ने आकर लाठीचार्ज किया था। भीड में एकत्रित लोगों के चोटें नहीं आयी। पुलिस ने 3–4 मोटरसाईकिल भी पकडी थी। एक–दो लोगों को पकडा था। पुलिस को हमने घटना के बारे में अस्पताल में थानेदार को बताया था, लेकिन थानेदार का नाम वह नहीं जानता और उसी के द्वारा इनके बयान लिये गये थे, शाम 7.30 बजे उसने थानेदार को घटना के बारे में बता दिया था। यह कहना गलत है कि ये लोग आपस में ओम, हुकम,

सुधीर, नवीन, राहुल, जगमाल, कालू, भीम, दीपक, धौलिया, विपिन का नाम नहीं ले रहे हो। यह सही है कि प्रदर्श डी 14 में ये लोग आपस में ओम, हुकम, सुधीर, नवीन, राहुल, जगमाल, कालू, भीम, दीपक, धौलिया, विपिन का नाम नहीं ले रहे थे वाली बात अंकित नहीं है, उसने तो पुलिस को लिखा दिया था पुलिस ने क्यों नहीं लिखा कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसके मारपीट में कोई चोट नहीं आयी हो और उसकी मारपीट में आयी चोटों का डॉक्टर मुआयना नहीं हुआ हो। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूंठे बयान दे रहा हूं। यह कहना सही है कि उसके खिलाफ गौ–तस्करी का मुकदमा बहरोड न्यायालय में चल रहा है लेकिन वह मुकदमा बहरोड पुलिस द्वारा झूंठा लगाया गया है। यह कहना गलत है कि उस मुकदमें से बचने के लिए वह झूंठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार (अनुसन्धान अधिकारी) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.04.17 को वह एसएचओ बहरोड के पद पर तैनात था। उस दिन समय करीब शाम के 6–7 बजे जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि बहरोड पुलिया से आगे दिल्ली की तरफ दो पिकअप जिनमें गायें भरी है, को जनता द्वारा रोक रखा है और उनके साथ मारपीट कर रहे है। इस इत्तला पर वह मय सरकारी जीप में मय जाब्ता के रवाना होकर मौके पर पहुंचा, जहां पर दो पिकअप क्षतिग्रस्त अवस्था में खडी थी तथा पांच व्यक्ति घायल अवस्था में सडक पर पडे हुए थे तथा वहां पर करीब 200–250 व्यक्तियों की भीड इक्टठी थी। उसके द्वारा भीड को हटाया जाकर घायलों को तुरंत कैलाश अस्पताल, बहरोड की एंबूलेंस मंगाकर ईलाज हेतु कैलाश हॉस्पिटल रवाना किया गया तथा क्षतिग्रस्त दोनों पिकअप गाडियों को पुलिस की इम्दात से चौके पर खडा किया गया। पांचों घायलों को ईलाज हेतु कैलाश हॉस्पिटल बहरोड में भर्ती कराया गया। मजरूब पहलू खां के पर्चा बयान लिये गये, मजरूब के पर्चा बयान पर थाना पर वापसी पर मुकदमा नंबर 255/17 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 308, 427 379 आईपीसी में दर्ज कर, उसके द्वारा तफ्तीश शुरू की गयी।

गवाह ने आगे कथन किया है कि पर्चा बयान मजरूब पहलू खां प्रदर्श पी.31 है, जिस पर एक्स स्थान पर मजरूब की अंगूठा निशानी है तथा ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर नोट है, ई से एफ स्थान पर कार्यवाही पुलिस अंकित है तथा कार्यवाही पुलिस पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, वापसी का नोट जी से एच स्थान पर है, जिस पर भी ए से बी स्थान पर उसके

हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 32 है, जिस पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तथा दौराने अनुसंधान उसने मजरूबान इरसाद, आरिफ, पहलू खां, अजमत, रफीक के धारा 161 सीआरपीसी में बयान उनके कहेनुसार कैलाश हॉस्पिटल में जाकर लेखबद्ध किये थे। उसने दौराने अनुसंधान मौतवीरानों की उपस्थिति में व मजरूबान की निशादेही से घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया, जो प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी स्थान मजरूब इरसाद, सी से डी आरिफ के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, हालात नक्शामौका पर भी ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने इलाज दिनांक 03.04.2017 को मजरूब पहलू खां की मृत्यु हो गयी, जिस पर मुकदमा हाजा में धारा 302 आईपीसी जोडी गयी। उसने मृतक पहलू खां का बोर्ड द्वारा सामान्य चिकित्सालय बहरोड में पोस्टमार्टम कराया, पंचान की मौजूदगी फर्द पंचायतनामा मृतक के शव का कसीद किया, फर्द पंचायतनामा मृतक पहलू खां प्रदर्श पी 34 है जिसकी पुस्त पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर राय पंचान है। बाद पोस्टमार्टम मृतक के शव को उसके बेटे आरिफ को अंतिम क्रियाकर्म के लिए सुपुर्द किया, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 35 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा रपट रवानगी प्रदर्श पी 36 व वापसी प्रदर्श पी 37 है, अन्य रोजनामचा रपटें प्रदर्श पी.38 लगायत प्रदर्श पी.51 तक है, जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने दौराने अनुसंधान मुल्जिम कालूराम के खिलाफ जुर्म धारा 143, 323, 341, 302, 308 379, 427 आईपीसी में जुर्म बखूबी प्रमाणित मानकर रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति में मुल्जिम कालूराम को नियमानुसार गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 11 है, जिस पर उसके व मुलजिम हस्ताक्षर है। इसी प्रकार मुल्जिम विपिन यादव के खिलाफ जुर्म धारा 143, 323, 341, 302, 308 379, 427 आईपीसी में जुर्म बखूबी प्रमाणित मानकर रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति में मुल्जिम विपिन को नियमानुसार गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 21 है, जिस पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार मुल्जिम रविन्द्र कुमार के खिलाफ जुर्म धारा 143, 323, 341, 302, 308 379, 427 आईपीसी में जुर्म बखूबी प्रमाणित मानकर रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति में मुल्जिम रविन्द्र कुमार को नियमानुसार गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 22 है, जिस पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है।

यह भी कथन किया है कि जैर हिरासत मुल्जिम कालूराम ने उसे (आईओ का) स्वेच्छा से हवालात में इत्तला दी कि ''वह डण्डा जो मैंने घटना में काम लिया था, उसे मैंने ऑफिस में छिपा रखा है, चलकर बरामद करा सकता हूं'' यह फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम कालूराम प्रदर्श पी 19 है जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तथा जैर हिरासत मुल्जिम विपिन यादव ने उसे स्वेच्छा से हवालात में इत्तला दी कि ''मैंने जिस डण्डे से मारपीट की थी वह डण्डा मैंने अपने घर के अंदर कमरे में छिपा रखा है, चलकर बरामद करा सकता हूं'' यह फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम विपिन यादव प्रदर्श पी 14 है जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार जैर हिरासत मुल्जिम विपिन यादव ने उसे स्वेच्छा से हवालात में दूसरी इत्तला दी कि ''मैंने मेरी मोटरसाईकिल जिससे मैंने व दीपक ने पिकअप को आगे लगाकर रोका था,वह मैंने अपने मकान के कमरे में छिपाकर रख रखी है, चलकर बरामद करा सकता हूं'' यह फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम विपिन यादव प्रदर्श पी 13 है जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तथा जैर हिरासत मुल्जिम रविन्द्र कुमार ने उसे स्वेच्छा से हवालात में इत्तला दी कि ''मैंने जिस डण्डे से मारपीट की थी वह डण्डा मैंने अपने घर के अंदर कमरे में छिप रखा है, चलकर बरामद करा सकता हूं'' यह फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम रविन्द्र कुमार प्रदर्श पी 20 है जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम विपिन यादव की इत्तलानुसार विपिन ने स्वयं ने अपने स्वेच्छा से अपने घर के अंदर खडी मोटरसाईकिल होण्डा आरजे 02 यूएस 9823 रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति में उसे स्वेच्छा से बरामद करायी थी, जो उसने घटना में काम मे ली थी, उसने उसकी फर्द बरामदगी मौके पर कसीद की थी, फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल होण्डा प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 17 बनाया, जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी पुस्त पर हालात नक्शामौका है जिस पर भी जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम विपिन की इत्तलानुसार विपिन ने अपने घर के कमरे के अंदर से एक लकडी का डण्डा निकालकर स्वेच्छा से उसे बरामद कराया, जिसे उसने रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति मे मौके पर बरामद किया था, यह फर्द बरामदगी एक डण्डा प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ई से एफ मुल्जिम के

तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 18 है जिस पर ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है, जिसकी पुस्त पर भी हालात बरामदगी स्थल पर भी जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने कैलाश हॉस्पिटल के मजरूबान के ईलाज के दस्तावेजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये एवं पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मृतक पहलू खां, व अन्य मजरूबान की एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। मृतक पहलू खां के पोस्टमार्टम के दौराने लिये गये विसरा का सील्डशुदा जार एफएसएल जांच हेतु भिजवाने के लिए उसे प्राप्त होने पर उसने जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 के जब्त किया था, फर्द विसरा सील्डशुदा जार प्रदर्श पी 12 है जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। विसरा को एफएसएल जांच हेतु कांस्टेबल राकेश कुमार के द्वारा भिजवाये था जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 28 है। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना उसने करवाया था। कैलाश हॉस्पिटल की डिस्चार्ज संबंधी एवं अन्य रिकॉर्ड प्रदर्श पी 52 है, जो 5 प्रतियों में है।

गवाह ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 08.04.2017 को मुकदमा की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु श्री परमाल सिंह, उपाधीक्षक बहरोड को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के आदेश से सुपुर्द की गयी। उक्त प्रकरण बाद अनुसंधान वास्ते चार्जशीट किताकर मुल्जिम के खिलाफ चालान पेश करने हेतु उसे प्राप्त हुई थी। उसने बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, तथ्यों एवं सबूतों के आधार पर मुल्जिम विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानन्द, योगेश कुमार उर्फ धोलिया व बाल अपचारी नीरज कुमार उर्फ मिथुन, बाल अपचारी पवन कुमार के खिलाफ जुर्म धारा 147, 323, 341, 302, 308 379, 427 आईपीसी में जुर्म बखूबी प्रमाणित मानकर उपरोक्त मुल्जिम के खिलाफ चार्जशीट किताकर पुर्ण चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बाल अपचारी पवन कुमार व नीरज कुमार के खिलाफ पृथक से बाल न्यायालय में चालान पेश किया था तथा शेष बचे मुल्जिम ओमप्रकाश यादव उर्फ ओम, हुकम चंद यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी, जगमाल, दीपक उर्फ गोलू व भीमराठी के खिलाफ अंतर्गत धारा 173 (8) सीआरपीसी में जुर्म धारा 147, 323, 341, 302, 308 379, 427 आईपीसी में अनुसंधान पेंडिंग रखा था। चार्जशीट नंबर 286 दिनांक 31.05.17 किताकर पेश की गयी थी, जो प्रदर्श पी 53 है, चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर

उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट नंबर 484/17 दिनांक 11.07.17 प्रदर्श पी 54 है। नगर निगम जयपुर की रिपोर्ट प्रदर्श पी 55 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। एसएमएस जयपुर मेडिकल कॉलेज से प्राप्त पैथोलॉजी रिपोर्ट को भी शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 56 है। घटनास्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 57 लगायत 99 तक है, जिन सभी फोटोग्राफ्स पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुखबिर ने उसे मौके की वीडियो भेजी थी, जिससे उसके फोटो डवलप कराये थे। कैलाश अस्पताल की सी.डी आर्टिकल नंबर.1 है। घटनास्थल जागुवास चौक की सी.डी आर्टिकल 2 है। घटनास्थल अपेक्स के सामने एनएच 8 की सी.डी आर्टिकल 3 है। मृतक पहलू खां के पोस्टमार्टम की सी.डी आर्टिकल नंबर 4 व 5 है। तथा सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट विपिन मोबाईल नंबर 9928320015 प्रदर्श पी 100 है। सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट दयानंद मोबाईल नंबर 9785420849 प्रदर्श पी 101 है। सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट कालूराम मोबाईल नंबर 9785222311 प्रदर्श पी 102 है। सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट रविन्द्र मोबाईल नंबर 8107502311 प्रदर्श पी 103 है। सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट योगेश मोबाईल नंबर 8094209051 प्रदर्श पी 104 है। सीडीआर रिपोर्ट रविन्द्र मोबाईल नंबर 8107502311 प्रदर्श पी 105 है, जो 4 पृष्ठों में है। सीडीआर रिपोर्ट विपिन यादव मोबाईल नंबर 9928320015 प्रदर्श पी 106 है, जो 4 पृष्ठों में है। सीडीआर रिपोर्ट नीरज मो.नंम्बर 9785493676 प्रदर्श पी 107 है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि उसे एएसआई विक्रम ने कांस्टेबल ब्रह्म यादव के मोबाईल पर फोन किया था तथा मारपीट की घटना के बारे में बताया था कि बहरोड पुलिया से आगे दिल्ली के तरफ दो पिकअप जिसमें गाय भरी हुई है। मुझे लगभग शाम के पौने 7 बजे इत्तला मिली थी। वह लगभग 7.00 बजे तथाकथित घटनास्थल पर पहुंच गया था। यह कहना गलत बताया कि घटना स्थल पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं हो, बल्कि वहां पर 200–300 व्यक्तियों की भीड इक्टठा थी। वह जब घटनास्थल पर गया, तो वहां विक्रम एएसाआई मौजूद नहीं था। वह कैलाश अस्पताल लगभग 7.30 बजे पहुंच गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श डी 2 उसने अजमत, रफीक व अर्जुन के खिलाफ धारा 5, 8 ,9 व 6 आरबी एक्ट का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यह कहना सही बताया कि प्रदर्श डी 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक पहलू खां,उसके लडके इरसाद व आरिफ के खिलाफ धारा 5, 8, 9 आरबी एक्ट में दर्ज हो रखा था। यह सही बताया कि प्रदर्श डी 4 कौशल, पप्पू व सहीद के खिलाफ धारा 5, 8, 9 आरबी एक्ट में चार्जशीट

पेश हुई थी, जो चार्जशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी 4 है तथा उसने प्रदर्श डी 5 चार्जशीट उसने तौफिक, देवेश और कामिल के विरूद्ध न्यायालय में पेश की थी, जिसकी यह प्रमाणित प्रति है। यह सही बताया कि प्रदर्श डी 6 चार्जशीट उसने धारा 5, 6, 8, 9 व 10 आरबी एक्ट में जियाहुलक व फारूख के विरूद्ध पेश की थी, जिसकी यह प्रमाणित प्रति है। यह भी सही बताया कि प्रदर्श डी.7 सरकार/जमशेद की चार्जशीट की प्रमाणित प्रति है, जिसमें जमशेद, आसर, और इकराम के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 व 9 आरबी एक्ट में चार्जशीट पेश की थी। यह कहना गलत है कि वह घायलों को लेकर कैलाश अस्पताल नहीं गया हो। वह कैलाश अस्पताल में करीब 4–5 घण्टे रूका था। यह सही है कि कैलाश अस्पताल में करीब 30 डॉक्टर है। अस्पताल में अस्पताल अधीक्षक व डायरेक्टर श्यामसुन्दर शर्मा भी बैठते है। प्रदर्श पी 31 उसके रीडर नरेन्द्र के द्वारा लिखी गयी है। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी 31 पहलू खां के कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा कर थाने पर पर्चा डाला हो। यह कहना गलत है कि उसने पर्चा बयान पर सी से डी गलत नोट लगाया हो। यह सही है कि प्रदर्श पी 31 किसी भी डॉक्टर के द्वारा अटेस्टेड (अनुप्रमाणित) नहीं है, अजखुद कहा उसके द्वारा ड्यूटी डॉक्टर अखिल सक्सेना से पहलू खां के पर्चा बयान को प्रमाणित करने के लिए कहां तो उन्होंने प्रमाणित करने से साफ इंकार कर दिया, जिसका नोट पर्चा बयान में दर्ज किया है। यह सही है कि उसने डॉक्टर अखिल सक्सेना का पर्चे पर हस्ताक्षर नहीं करने बाबत कैलाश अस्पताल के अधीक्षक एवं डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा को लिखित में कोई शिकायत नहीं की, अजखुद कहा उसने फोन से उनसे कहा था कि ड्यूटी डॉक्टर श्री अखिल सक्सेना पर्चा बयान पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर रहा है, लेकिन श्यामसुंदर सक्सेना के समझाने पर भी उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये। यह सही है कि उसने पर्चा बयान पर अखिल सक्सेना के अलावा किसी अन्य डॉक्टर से प्रमाणित करवाने की कोशिश नहीं कि अजखुद कहां उस समय वहां पर अन्य कोई डॉक्टर अखिल सक्सेना के अलावा मौजूद नहीं था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 31 के आई से जे भाग में कटिंग व ओवर–राईटिंग है। यह कहना गलत है कि उसने पर्चा बयान को कायमी मुकदमा कैलाश अस्पताल से थाने पर नहीं भेजा हो। यह कहना सही है कि पर्चा बयान उसने कायमी मुकदमा करने हेतु थाने पर नहीं भेजा, वह स्वयं लेकर गया था। पर्चा बयान लेने के बाद वह अस्पताल में करीब 2–3 घण्टे तक रूका रहा। यह कहना गलत बताया कि उसने इरसाद, आरिफ, पहलू खां, अजमत व रफीक के बयान 161 सीआरपीसी में

उनके कहे अनुसार न लिखे हो और स्वेच्छा से मनमाने तरीके से लिखे हो। यह कहना गलत बताया कि नक्शामौका प्रदर्श पी 33 उसने थाने पर बनाया हो। प्रदर्श पी 33 नक्शा मौका दो दिन तक इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि कैलाश मजरूब अस्पताल में भर्ती था। यह सही है कि प्रदर्श पी 33 नक्शा मौका पर समय अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि ए से बी व सी से डी इरसाद व आरिफ के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत बताया कि इरसाद व आरिफ के हस्ताक्षर 25.05.17 को हुए हो तथा रोजनामचा प्रदर्श पी 40 लगायत 51 रोजनामचे की रपटें न हो। यह कहना गलत बताया कि कालूराम ने प्रदर्श पी 19 दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला उसे नहीं दी हो तथा उसने प्रदर्श पी 19 पर मुल्जिम रविन्द्र के कोरे कागज पर हस्ताक्षर डरा–धमकाकर करवाये हो, तथा कालूराम ने उसे प्रदर्श पी 20 दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला नहीं दी हो, तथा उसने प्रदर्श पी 20 पर मुल्जिम रविन्द्र के कोरे कागज पर हस्ताक्षर डरा–धमकाकर करवाये हो। यह बात सही बताया कि मुल्जिम कालूराम व रविन्द्र से कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह कहना गलत बताया कि विपिन ने प्रदर्श पी 13 व 14 दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला उसे नहीं दी हो तथा उसने प्रदर्श पी 13 व 14 पर मुल्जिम विपिन के कोरे कागज पर हस्ताक्षर डरा–धमकाकर करवाये हो। यह कहना गलत बताया कि मुल्जिम विपिन ने कोई डण्डा बरामद नहीं करवाया हो और तथाकथित बरामदगी स्थल विपिन का मकान नहीं हो। उसने विपिन के मकान के संबंध में नगर पालिका से कोई रिकॉर्ड व प्रमाण पत्र उसके मकान के होने बाबत प्राप्त नहीं किया। वह तथाकथित बरामदगी स्थल पर सुबह करीब 10.00 बजे गये थे, हम बरामदगी स्थल पर लगभग 1 घण्टा रहे। यह कहना गलत बताया कि वहां पर काफी आदमी एकत्रित हो गये हों। यह स्वीकार किया कि उस तथाकथित बरामदगी स्थल पर राजकीय कॉलेज, मन्दिर व अडोस–पडोस में काफी मकान बने हुए है। जिस समय वह तथाकथित बरामदगी स्थल गया तो, मकान खुला हुआ था, औरते, बच्चे व पुरूष मौजूद थे। पहले उसने मोटरसाईकिल जब्त की थी। यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल खुले स्थान पर हो बल्कि कमरे के अंदर थी। उस कमरे में एक बैड व घरेलू सामान था। जब्तशुदा मोटरसाईकिल की आरसी विपिन यादव के नाम थी। डण्डा उसने कमरे के अंदर बैड के नीचे से बरामद किया था। बैड बीच में रखा हुआ था जिसके नीचे डण्डा था। यह कहना सही बताया कि उस डण्डे पर कोई खून के निशान नहीं थे, तथा उस डण्डे को एफएसएल परीक्षण हेतु नहीं भेजा। यह कहना गलत बताया कि उसने बरामदगी

डण्डा प्रदर्श पी16 व बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 18 पर मुल्जिम विपिन के ई से एफ हस्ताक्षर कोरे कागज पर डरा–धमकाकर करवाये हों। यह बात सही बताया कि जागवास चौक के पास डिप्टी एस.पी बहरोड का ऑफिस, पट्रोल पंप, श्याम बाबा का मन्दिर व काफी दुकानें है तथा जागवास चौक पर मृतक पहलू खां के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। यह कहना सही बताया कि जागवास चौक पर ट्रैफिक पुलिस के जवान व होम गार्ड के जवान रहते है। प्रदर्श डी 8 व 9 उसने जयपुर उपायुक्त आमेर जोन से लिया था। यह सही बताया कि मुल्जिम रविन्द्र घटना स्थल के जितने फोटो प्राप्त हुए, उनमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुखबिर ने उसे मौके के वीडियों दिये थे, उनसे उसने फोटो बनवाये है। यह बात सही बताया कि फोटो प्रदर्श 57 लगायत 99 पर कोई तारीख अंकित नहीं है लेकिन उसके हस्ताक्षर है। मुखबिर ने उसे दिनांक 04.04.17 को वीडियों दिया था। वह वीडियों उसने अपने फोन पर लिया था, उसके बाद फोटो तैयार करवाये थे। वीडियों से फोटो तैयार दि. 04.04.17 को ही करा लिये थे। यह कहना गलत बताया कि उसने दि. 04.04.17 को फोटो तैयार नहीं कराये हो। उसने थाने के पास वाले फोटो स्टूडियों से फोटो तैयार कराये थे, उसको पैसे भी दिये थे परन्तु बिल नहीं लिया। यह बात सही बताया कि फोटो प्रदर्श पी 57 लगायत 99 की फर्द जब्ती उसने अलग से नहीं बनायी है तथा उसने वीडियों की सीडी को एफएसएल परीक्षण हेतु नहीं भेजा, न ही उसने सीडी व फोटो सील्डमोहर किया था। वह वीडियो अब उसके पास नहीं है। यह सही बताया कि जागवास चौके से घटना स्थल करीब 2 किमी की दूरी पर है। यह बात सही बताया कि सीडी आर्टिकल 1 लगायत 5 को उसने एफएसएल नहीं भेजा, न ही उसके द्वारा सील्डमोहर किया गया। यह सही बताया कि कॉल डिटेल के लिए उसने किसी नोडल अधिकारी से प्रमाण पत्र नहीं लिया तथा ना ही ये किसी से प्रमाणित है। यह कहना गलत बताया कि मुल्जिम विपिन, दयानंद, कालूराम, रविन्द्र, योगेश के उपर बताये गये मोबाईल नंबर उनके नहीं हो। उसने अपनी तफ्तीश में इनके मोबाईलों के मालिक होने के कोई दस्तावेज बिल, सिम आईडी नहीं ली और ना ही मोबाईल कंपनी से ली। यह कहना सही बताया कि उसने मुल्जिमान के मोबाईल जब्त नहीं किये। यह कहना सही बताया कि सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्श 100 लगायत 104 एवं प्रदर्श पी 105 व प्रदर्श 106 सीडीआर रिपोर्ट में मोबाईल नंबर किस कंपनी से रजिर्स्टड है, मालिक व उसकी आईडी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिये, तथा प्रदर्श प्रदर्श पी 105 व 106 पर किसी मुल्जिम का नाम कंपनी द्वारा नहीं लिखा

गया है अजखुद कंपनी से नंबर आता है, नाम हम लिखते है, जो उसके द्वारा अनुसंधान के वक्त लिखा हुआ है। यह सही बताया कि आर्टिकल 1 लगायत 5 सी.डी की पृथक से कोई फर्द जब्ती तैयार नहीं की गयी। यह कहना सही बताया कि मुल्जिम दयानंद के पिता की मृत्यु 01.04.17 को हुई, जिसका यह मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श डी 10 है। यह कहना गलत बताया कि मुल्जिम दयानंद मारपीट में शामिल न हो और वह अपने पिता के क्रियाकर्म की सामग्री लेकर घटना स्थल के पास से जा रहा हो। यह बात सही बताई कि किसी भी मुल्जिम की मजरूबान व अभियोजन साक्षियों से शिनाख्ती परेड नहीं करायी गयी। यह कहना गलत बताया कि उसने गलत तथ्यों के आधार पर निर्दोष लोगों को इस प्रकरण में मुल्जिम बनाया हो।

गवाह पी.ड. 32 परमाल सिंह (अनुसन्धान अधिकारी), ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि माह अप्रैल 2017 में वह वृत्ताधिकारी बहरोड के पद पर कार्यरत था। दि. 07.04.2017 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के आदेशानुसार प्रकरण संख्या 255/2017 धारा 143, 323, 341, 308, 302, 379, 427 आई.पी.सी. थाना बहरोड की पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान से गवाह रविन्द्र कुमार, विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह, नरेश कुमार, डा0 बी0डी0 शर्मा, डा0 आर.सी.यादव, डा0 अखलेश संक्सैना, डा0 पीरूष प्रभात, डा0 जितेन्द्र बूटोलिया, विजय सिंह, सोनू कुमार, हरिश शर्मा, संतराम, देवदत्त के बयान 161 सीआरपीसी में गवाहों के कहे अनुसार लेखबद किये। गवाहों ने जो कहा वो लिखा। प्रकरण में नामजद आरोपीयान के मोबाईल नम्बर की सीडी आर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। गवाह रविन्द्र यादव द्वारा पेश किये गये मोबाईल सैमसंग को जर्ये फर्द प्रदर्श पी–4 गवाहान की मौजूदगी में जब्त किया गया। जिसमें गवाह ने अपने मोबाईल द्वारा बनाई गई क्लिपिंग वीडियों जो मोबाईल कार्ड में मौजूद है, जिसमें घटना से सम्बन्धित सबूत मिले थे। उपरोक्त मोबाईल की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है जो उसने रूबरू मौतबीरानों की उपस्थिति में कसीद की थी जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने दौराने अनुसंधान मुलजिम दयानंद के खिलाफ जुर्म धारा 143, 323, 341, 308, 302, 379, 427 आई.पी.सी. में बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर रूबरू मोतबीरानों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–23 है जिस पर ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

यह भी कथन किया है कि उसने दौराने अनुसंधान मुलजिम योगेश कुमार शर्मा उर्फ धौलिया के खिलाफ जुर्म धारा 143, 323, 341, 308, 302, 379, 427 आई.पी.सी. में बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर रूबरू मोतबीरानों की उपस्थिति में गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–24 है जिस पर सी से डी मुलजिम के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुलजिम योगेश कुमार ने उसे स्वेंच्छा से इत्तला दी कि उसने जिन मेवों के साथ दिनांक 01.04.2017 को एन.एच–8 पर लात घूंसों से मारपीट की थी, उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। यह फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम योगेश की प्रदर्श पी–25 है, जिस पर ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुताबिक इत्तला मुल0 योगेश ने अपनी निशादेही से घटनास्थल तस्दीक करवाया था। उसने मुलजिम योगेश शर्मा की निशादेही व रूबरू मौतबीरानेा की मौजूदगी में तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–26 बनाया, जिस पर ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर भी हालात मौका नक्शा घटनास्थल तस्दीक है जिस पर भी जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसने एफएसएल जांच हेतु भिजवाये गये माल की प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की थी। तथा पैथोलोजी विभाग की एसएमएस मैडिकल कॉलेज की रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। अनुसंधान से आरोपी नीरज उर्फ मिथुन व पवन कुमार (विधि से संरक्षक बालक) के विरूद्व अपराध धारा 143, 323, 341, 308, 302, 379, 427 आई. पी.सी. प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार बाल अपचारियों को निरूद्व कर न्यायालय में पेश किया गया। बाल अपचारियों के विरूद्व आरोप पत्र पेश किया गया। गवाह रविन्द्र कुमार द्वारा पेश किए गए मैमोरी कार्ड से उसने घटना स्थल के फोटोग्राफस तैयार करवाए थे, जो प्रदर्श पी 108 लागायत प्रदर्श पी 114 है, जिन सभी पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक जयपुर रेंज जयपुर के आदेशानुसार प्रकरण की पत्रावली दिनांक 11.05.2017 को अग्रिम अनुसंधान हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली जिला जयपुर को भिजवा दी थी। उक्त दोनों मुल्जिमान योगेश उर्फ धौलिया व दयानंद, नीरज उर्फ मिथुन व पवन कुमार विधि से संधर्षरत बालक के विरूद्व जुर्म धारा 143, 323, 341, 308, 302, 379, 427 आई.पी.सी. में बखूबी प्रमाणित माना था।

गवाह ने **जिरह में** यह सही होना कथन किया कि वृताधिकारी बहरोड का कार्यालय एनएच–8 पर स्थित है, जिसके दक्षिण में कैलाश अस्पताल है, और उत्तर

में कुछ दुकानें फिर जागवास चौक है। घटना वाले दिन 01.04.2017 को वह घटना स्थल पर गया था। वह 01.04.17 को कैलाश अस्पताल भी गया था। अज खुद कहा कि 01.04.2017 को घटना स्थल से मजरूबान पहलू व अन्य को लेकर एसएचओ के साथ कैलाश अस्पताल भिजवाया था और वह भी कैलाश अस्पताल गया था। वह कैलाश अस्पताल में करीब 1–2 धंटे रूका था और मजरूबान के इलाज के बारे में डाक्टरों से जानकारी ली थी। यह कहना गलत है कि गवाह रविन्द्र कुमार ने प्रदर्श पी 3 का ए से बी व सी से डी भाग बयान उसे नहीं दिया हो और प्रदर्श पी 3 बयान उसने अपनी मर्जी से लिखा हो। यह कहना गलत बताया कि गवाह रविन्द्र कुमार, विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह, नरेश कुमार, डा0 बी0डी0 शर्मा, डा0 आर.सी.यादव, डा0 अखलेश संक्सैना, डा0 पीरूष प्रभात, डा0 जितेन्द्र बूटोलिया, विजय सिंह, सोनू कुमार, हरिश शर्मा, संतराम, देवदत्त गवाहों के बयान धारा 161 सीआरपीसी में उसने अपनी मर्जी से लिखे हों। यह कहना गलत बताया कि प्रकरण में नामजद आरोपियान के विरूद्व सीडीआर प्राप्त नहीं की हो और पत्रावली में पेश न की हो। यह कहना गलत बताया कि गवाह रविन्द्र कुमार अपना मोबाईल सैमसंग फोन जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 जप्त नहीं कराया हो तथा प्रदर्श पी 4 पर उसने गवाह रविन्द्र के हस्ताक्षर डरा धमका कर कोरे कागज पर करवाए हों। यह सही है कि दयाराम एचसी उसका अधीनस्थ कर्मचारी था, उस समय वह अपने कार्यालय में कार्यरत था। यह कहना गलत बताया कि सैमसंग फोन में गवाह रविन्द्र कुमार का मैमोरी कार्ड नहीं हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 4 के जरिए जप्त फोन रविन्द्र कुमार का नहीं हो। उक्त जप्त फोन गवाह रविन्द्र कुमार का हो, ऐसा कोई मालिकाना हक का दस्तावेज बिल आई डी वगैरहा उसने जप्त नहीं किया, अज खुद कहा कि गवाह रविन्द्र कुमार द्वारा स्वंय पेश किया गया था और उसके द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था। यह कहना गलत बताया कि जरिए प्रदर्श पी 4 जप्तशुदा फोन में घटना से संबंधित फुटेज नहीं हों। उक्त फोन को उसने 15.04.2017 को जप्त किया था, जो कि उसने थाने पर जप्त किया था। यह सही है कि दिनांक 01.04.2017 को मुल्जिम दयानंद के पिता की मृत्यु होने पर वह घटना से पूर्व दाह–संस्कार हेतु सामग्री लेने के लिए अपने गांव से बहरोड आया था और वापिस जा रहा था। अज खुद कहा कि वापिस जाते समय रास्ते में आरोपी ने घटना में शामिल होकर मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिम दयानंद ने मृतक व मजरूबान के साथ मारपीट न की हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिम योगेश ने मृतक व मजरूबान के साथ मारपीट

न की हो। यह कहना गलत है कि जैर हिरासत मुल्जिम योगेश ने उसको धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत इत्तिला नहीं दी हो। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिम योगेश को प्रदर्श पी–25 इत्तिला, प्रदर्श पी–26 तस्दीक नक्शा मौका पर कोरे कागज पर डरा धमका कर हस्ताक्षर कराए हों। यह कहना सही है कि मुल्जिम दयानंद व योगेश से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–26 नक्शा मौका तस्दीक दयाराम व सतीश कुमार उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–26 पर समय अंकित नहीं है। अज खुद कहा तारीख अंकित है। प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 फोटोग्राफ्स उसने अनुसंधान के दौरान तैयार करवाए थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 पर तारीख अंकित नहीं है। अज खुद कहा कि सभी प्रदर्श पर उसके शामिल पत्रावली करने के हस्ताक्षर अंकित हैं। उसने उक्त फोटो किससे तैयार करवाए थे, यह अंकन नहीं है, न ही उस व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर फोटो पर हैं। आज वह निश्चित तारीख नहीं बता सकता कि किस दिनांक को उसने फोटो तैयार करवाए थे। अज खुद कहा कि दौराने अनुसंधान ही तैयार करवाए थे, जिसका अंकन डायरी पर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 पर गवाह रविन्द्र के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। यह कहना गलत है कि उसने गलत तथ्यों के आधार पर मुल्जिम दयानंद व योगेश को मुल्जिम बनाया हो। यह सही है कि गवाह रविन्द्र यादव से प्रदर्श पी–4 के जरिए जप्त किया गया मोबाईल आज न्यायालय में उसके समक्ष मौजूद नहीं है। यह कहना सही है कि उसने मुलजिमान के फोन जप्त नहीं किए। यह कहना सही है कि उसने मुलजिमान के फोन की आई.डी. नहीं ली। यह सही है कि उसने फोन की सी.डी.आर. बाबत धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र किसी नोडल अधिकारी से नहीं लिया। अज खुद कहा कि उसने पत्राचार किया था, परंतु पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसके पास से चली गई थी। उसने फोटो व जप्तशुदा मोबाईल व मैमोरी कार्ड को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु नहीं भेजा। अज खुद कहा कि फोटो को एफ.एस.एल. भेजने की आवश्यकता नहीं थी, इस बाबत उसने डायरी में अंकन किया है एवं जप्तशुदा मोबाईल फोन की जांच हेतु डायरी में उल्लेख किया है। यह कहना गलत है कि उसने गलत तथ्यों पर अनुसंधान कर मुलजिमान के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना हो।

गवाह **पी.ड. 33 गोविन्द देथा (अनुसन्धान अधिकारी)** ने कथन किया है कि वर्ष 2017–18 में उसका पदस्थापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय पर था। दिनांक 03.07.2017 को उसे मुकदमा नंबर 255/2017, थाना बहरोड की पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान प्राप्त हुई थी। पत्रावली पर कुछ मुलजिमान के हस्ताक्षर हो चुके थे, कुछ मुलजिमान इस प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके थे। शेष मुलजिमान से तफ्तीश बाकी थी। पत्रावली पर आरोपीगण की मृतक के साथ मारपीट करते हुए फोटोग्राफ्स थे। एफआईआर में जो मुलजिमान थे, उनको तलब कर पूछताछ की गयी। उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन ली गयी थी, जिसके अनुसार वक्त घटना कुछ आरोपीगण की उपस्थिति घटनास्थल पर न होकर राठ गौशाला पर थी, जिसके बारे में राठ गौशाला कर्मचारी से दरियाफ्त की गयी। उसने अपने अनुसंधान नतीजे में गिरफ्तारशुदा मुलजिमान तथा अन्य दो मुल्जिम भीम राठी तथा दीपक उर्फ गोलू की भी मौजूदगी वक्त घटना मारपीट करते हुए, की फोटोग्राफ होने से आरोप साबित माना था। उसकी तफ्तीश से कुल 7 मुलजिमान विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, नीरज कुमार उर्फ मिथुन, योगेश कुमार उर्फ धोलिया, पवन कुमार, भीम राठी तथा दीपक उर्फ गोलू के खिलाफ धारा 147, 323, 341, 427, 308, 379, 302 भारतीय दण्ड संहिता में जुर्म प्रमाणित मानकर पत्रावली न्यायालय में चार्जशीट किताकर चालान पेश करने हेतु जिले में भेजने के लिए अनुशंषा प्रस्तुत कर दी तथा मुलजिम भीम राठी व दीपक उर्फ गोलू की गिरफ्तारी शेष थी, जिनकी सकुनत, वलदियत तस्दीक करने के उपरांत न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत करने की अनुशंषा प्रस्तुत की।

गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह घटनास्थल पर नहीं गया हूं। उसे पत्रावली मिलने पर वह घटनास्थल पर गया था। वह घटनास्थल कितने दिन बाद गया उसकी तारीख आज ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि भीम राठी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान का मृतक के साथ मारपीट करते हुए की फोटोग्राफ्स नहीं हो। यह कहना सही है कि उसने घटना के किसी चश्मदीद साक्षी के बयान नहीं लिये, क्योंकि उसे तफ्तीश बाद में मिली थी, तब उसने तत्कालीन एसएचओ, जो घटना पर सबसे पहले पहुॅचा था, उससे दरियाफ्त की थी। यह सही है कि उसने उस एसएचओ के 161 सीआरपीसी में बयान रिकॉर्ड नहीं किये, पत्रावली पर उसके बयान मौजूद थे इसलिए उसने उसके तितम्बा बयान नहीं लिये। उसे

आज यह ध्यान नहीं है कि तत्तकालीन एसएचओ रमेश सिनसिनवार के बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के इस पत्रावली पर मौजूद है या नहीं। यह कहना गलत है कि उसने भीम राठी को गलत तथ्यों के आधार पर मुलजिम माना हो। यह कहना गलत है कि उसने विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, नीरज कुमार उर्फ मिथुन, योगेश कुमार उर्फ धोलिया, पवन कुमार, भीम राठी तथा दीपक उर्फ गोलू के विरूद्ध गलत तथ्यों, आधारों तथा गलत तफ्तीश से उनके विरूद्ध धारा 147, 323, 341, 427, 308, 379 व 302 भारतीय दण्ड संहिता में जुर्म साबित पाया हो। यह कहना गलत है कि उसकी तफ्तीश से मुलजिमान निर्दोष हो। यह कहना गलत है कि वह आज अदालत में झूंठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड. 40 महावीर सिंह शेखावत (अनुसन्धान अधिकारी), ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 28.10.17 को बहरोड थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 255/17 अंतर्गत धारा 147, 323, 341, 308, 379, 427 व 302 आईपीसी में मुल्जिम भीम राठी पुत्र रामस्वरूप जाट निवासी कालीपहाडी, थाना ततारपुर एवं दीपक उर्फ गोलू यादव पुत्र धर्मवीर निवासी अंन्तपुरा पीएस बहरोड के विरूद्ध धारा 299 में मफरूरी चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट पेश करने से पूर्व 37 पुलिस एक्ट के वारण्ट दीपक उर्फ गोलू व भीमराठी के प्राप्त किये, जो प्रदर्श पी 35 व 36 है। तत्पश्चात जो तितम्बा चार्जशीट नंबर 286/17 संबंधित न्यायालय में बाद बखूबी जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पेश की थी, जो प्रदर्श पी 37 है जिसके सभी पृष्ठों पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल जयपुर की प्राप्ति रसीद एक सील बन्द पैकेट की जरिये क्रमांक 326 दिनांक 11.01.18 शामिल पत्रावली की गयी, जो प्रदर्श पी 39 है। तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाल अपचारी दीपक उर्फ गोलू को निरूद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड अलवर के समक्ष पेश किया गया एवं भीमराठी को अनुसंधान अधिकारी एसआई दामोदार द्वारा गिरफ्तार कर अनुसंधान कर पत्रावली उसके समक्ष पेश की गयी, जिस पर उसके द्वारा तितम्बा चार्जशीट नंबर 286बी/18 अंतर्गत धारा 147, 323, 341, 308, 379, 427 व 302 आईपीसी में मुकम्मिल की गयी, जो प्रदर्श पी 38 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसमें उसके द्वारा भीमराठी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट पेश की गयी।

गवाह ने **जिरह में** कथन गलत बताया कि चार्जशीट प्रदर्श पी 37 व 38 गलत तथ्यों के आधार पर पेश की हो।

गवाह पी.ड. 43 दामोदर सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.01.2018 को वह थाना बहरोड पर एस.आई के पद पर तैनात था। उस दिन माननीय अदालत के आदेशानुसार मुकदमा नंबर 255/17 धारा 143, 341, 323, 308, 427, 302, 379 आईपीसी में मुल्जिम भीमसिंह पुत्र रामस्वरूप को नियमानुसार रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 115 है, जिस पर ए से बी मुल्जिम के तथा सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुल्जिम भीमसिंह राठी की इत्तलानुसार उसने रूबरू मौतवीरानों की उपस्थिति में मुल्जिम की घटना स्थल तस्दीक किया था, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 116 है, जिस पर ए से बी मुल्जिम के तथा सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी पुस्त पर हालात तस्दीक घटनास्थल है, जिस पर भी सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पत्रावली चार्जशीट किताकर तितम्बा चालान पेश करने हेतु एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी थी, तितम्बा चार्जशीट नंबर 286–बी/18 दिनांक 05.01.18 उपरोक्त मुल्जिम के खिलाफ चार्जशीट किताकर चालान तत्कालीन थानाधिकारी महावीर सिंह द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तितम्बा चार्जशीट प्रदर्श पी 117 है, जिसके सभी पृष्ठों पर महावीर सिंह एसएचओ के हस्ताक्षर है, जिन्हे वह बखूबी पहचानता हूं क्योंकि उसने उनके साथ रह कर काम किया है। एफएसएल नंबर 326/सायबर–13/18 दिनांक 10.07.2018 रिपोर्ट प्रदर्श पी 118 है।

गवाह ने **जिरह में** यह कहना गलत बताया कि प्रदर्श पी 116 तस्दीक घटना स्थल उसने मौके पर न जाकर थाने पर बनाया हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 116 के मौतबिरान सतीश कांस्टेबल और सतवीर कांस्टेबल उसके अधीनस्थ कर्मचारी है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 116 पर मुल्जिम भीमसिंह के कोरे कागज पर डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हो। यह कहना सही है कि दिनांक 04.01.18 से पूर्व वह घटनास्थल पर आया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी 15 तहरीरी रिपोर्ट उसने पहलू खां वगैरहा के खिलाफ थाना बहरोड में दर्ज करायी थी जिसमें मुकदमा नंबर 253/17 धारा 5,8,9 आरबी एक्ट का दर्ज हुआ था। प्रदर्श डी 15 तहरीरी रिपोर्ट प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिस पर ए से बी

स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। चार्जशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी 16 है, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में वीरेन्द्र कुमार सीआई द्वारा पेश की गयी थी।

गवाह पी.ड. 44 रामस्वरूप शर्मा ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह मई माह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत कोटपूतली में पद स्थापित था। दिनांक 11.05.2017 को अभियोग संख्या 255/2017, पुलिस थाना बहरोड की पत्रावली वास्ते अनुसन्धान, सत्याप, निष्पक्ष अनुसन्धान व अनुसन्धान में सुपरवाईजरी नोट की सम्पूर्ण पालना हेतु उसे प्रोषित की गई। उसके द्वारा दिनांक 27.05.2017 को महा निरीक्षक, जयपुर रेंज के कार्यालय में प्रस्तुत की गई। थानाधिकारी बहरोड के अनुसन्धान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मृतक पहलू खॉ के पर्चा बयान एवं पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानन्द, हजारीलाल, योगेश उर्फ धौलिया तथा बाल अपचारी नीरज उर्फ मिथुन व पवन को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। ओमप्रकाश उर्फ ओम, हुकम चन्द, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी, जगमाल, दीपक, भीम राठी के विरूद्ध अनुसन्धान निष्कर्ष में अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 427, 308, 379, 302 भारतीय दण्ड संहिता का जुर्म बखूबी प्रमाणित पाया एवं पर्चा बयान में अंकित मुलजिमान जिनका नाम नहीं था, से संबंधित धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसन्धान किया जाना वांछनीय था। पुलिस विभाग के आदेश एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना हेतु पत्रावली महा निरीक्षक जयपुर रेन्ज को प्रेषित कर दी गई।

इस गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि जयपुर रेन्ज महा निरीक्षक द्वारा पत्रावली वास्ते अनुसन्धान उसे पेश करने का आदेश न्यायालय की पत्राावली पर नहीं है तथा सुपरवाईजरी का नोट भी पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि उसके द्वारा किये गये अनुसन्धान के संबंध में पत्रावली पर थानाधिकारी द्वारा पेश चार्जशीट में उल्लेख है और कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि उसके द्वारा किसी गवाह के बयान नहीं लिये गये। यह कहना गलत बताया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उसके अनुसन्धान से जुर्म प्रमाणित नहीं होता हो और वह झूॅठे बयान दे रहा हो।

गवाह **पी.ड. 1 डॉ वी.डी. शर्मा** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि वह दिनांक 01.04.17 को कैलाश अस्पताल बहरोड में कार्यरत था। उस दिन आहत पहलू खां का इलाज किया था, उसने पहलू खां का एक्स–रे, सीटी स्कैन, ब्लड की जांच, अल्ट्रासाउण्ड, यूरिन की जांच आदि पूरी जांचे करवाई थी। जब वह भर्ती हुआ तब उसके वाइटल्स सामान्य था। इसका ब्लड प्रेशर, नाडी की गति, मरीज की चेतना सब सही थे तथा वह छाती में दर्द की शिकायत कर रहा था। एक्स–रे से उसकी तीन–चार पसलियों मे फ्रैक्चर का पता चला था। मरीज आईसीयू वार्ड मे भर्ती रहा था। वह मरीज को सुबह शाम दोनों समय देखता था। पहलू खां को उसके अलावा जो भी क्रिटियल केयर का डाक्टर हमेशा मौजूद रहता था, जो देखता था। क्रिटियल केयर के डॉ0 अखिल सक्सेना, डॉ0 अकिल हुसैन, डॉ0 रामसुन्दर, व डॉ0 योगेश अग्रवाल थे, उसने पहलू खॉ को अंतिम बार दिनावंक 03.04.2017 को शाम को राउण्ड के समय देखा था, उस सम वह ठीक था, आराम से पलंग पर लेटा रहा था। पूछने पर उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और उसने छुट्टी देने की जिद की, ''कि मुझे अभी छुट्टी चाहिए, मन्ने तो बाहर जानो है, मैं अठे ना ठहरू'' तो उससे कहा कि तुम्हारी पसलियो मे फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से तुम्हे सांस लेने मे दिक्कत होगी, इसलिए तुम्हे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तुम्हे अभी छुटटी नही देंगे, सुबह छुटटी देंगे। और उसको पलंग पर अच्छी तरह बैठा हुआ छोड कर अपना राउण्ड करके, ड्यूटी ऑफ करके वह अपने घर चला गया। पहलू खां के दो–तीन लडके जनरल वार्ड मे भर्ती थे, उनके छोटी मोटी चोटें थी, इसलिए उनको 03 तारीख को सुबह छुटटी दे दी थी।

गवाह ने आगे कथन किया है कि क्रिटियल केयर के डॉ0 अखिल सक्सेना ने रात को 8.30 बजे उसे फोन किया, कि आपके पेशेन्ट पहलू खां की हृदय गति रूकने से मृत्यु हो गयी है, हमारे अथक प्रयासों के बावजूद इसको बचाया नहीं जा सका। उसकी जानकारी में नहीं है कि पहलू खां की मृत्यु कैसे हुई।

गवाह ने अजखुद कहा कि यदि भर्ती होते समय मरीज की हालत गंभीर होती तो उसे वेन्टीलेटर मशीन पर रखा जाता है। लेकिन उसे छाती के दर्द जो पसलियों के फ्रेक्चर की वजह से था, इसलिए वेन्टीलेटर पर रखना आवश्यक नहीं समझा। उसने 01 तारीख से 03 तारीख को शाम को 6 बजे जब राउण्ड लिया, तब तक मरीज आराम से था तथा वह दो दिन लिक्विड डाइट भी ले रहा था। असेसमेन्ट शीट पहलू खां की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1 है, तथा प्रमाण पत्र प्रदर्श

पी–2 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। भर्ती के दौरान मरीज पहलू खां ऑक्सीजन पर ही था। उसको फेस मॉस्क के द्वारा ऑक्सीजन दी गयी थी।

इस गवाह ने **जिरह** में यह सही होना स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में यह अंकित है कि मरीज पहलू खां हृदय रोग का पुराना रोगी था तथा दिनांक 03.04.17 की शाम को अचानक उसे हृदयघात हुआ एवं सभी आवश्यक उपाय उसकी जान बचाने के लिए किये गये थे। उसके बावजूद भी हृदयघात से मरीज की मृत्यु हो गयी। तथा यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 पर सी से डी इबारत उसकी हस्तलिखित है जो 02 तारीख की सुबह 9 बजे की है तथा दि. 03. 04.17 की सुबह 9 बजे की रिपोर्ट सी से डी उसकी हस्तलिखित है। दिनांक 03. 04.17 की शाम के राउण्ड की रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर सी से डी है। प्रदर्श पी–2 पर उसके अलावा सी से डी डॉ0 अखिल सक्सेना के हस्ताक्षर, ई से एफ पियूष प्रभात के हस्ताक्षर है। गवाह ने यह भी सही होना कथन किया कि पहलू खां ने उसे बताया था कि वह भर्ती होने से पहले 01 तारीख की सुबह या दोपहर मे जयपुर के किसी हृदय विशेषज्ञ को दिखाकर आया था। पहलू खां ने पुराना अस्थमा का मरीज होना भी बताया था। यह सही है कि पहलू खां ने उसकी धमनियों मे स्टन्ट डले होना भी बताया था एवं मरीज के बताये अनुसार स्टन्ट डलने की बात हमने अंकित की थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पहलू खां जब भर्ती हुआ था, उसके जो चोटे आई हुई थी, उनसे मृत्यु होना संभव नही था। मेरा चिकित्सा क्षेत्र मे करीब 45 से 50 साल का अनुभव है।

गवाह **पी.ड. 2 डॉ0 पीयूष प्रभात,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.17 को कैलाश अस्पताल बहरोड़ में आर्थो स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत था। पहलू खां का ईलाज उसने किया था। वह कंधे से लेकर नीचे हाथ तक व कूल्हे से नीचे पैरो की हड्डीयो का ईलाज करता है। चूंकि मरीज को चोट लगी थी। इसलिए उसने पहलू खां के कंधे का एक्स–रे करवाया था, जहां उसे दर्द था, लेकिन वह एक्स–रे नॉर्मल था। इसलिए मरीज के कोई आर्थोपेडिक इन्टरवेंशन की आवश्यकता नही थी। उसके बाद पहलू खां को उसने अगले दिन नॉर्मल राउण्ड के प्रक्रिया के तहत सुबह शाम देखा था। आईसीयू के डॉक्टर से जानकारी मिली कि पहलू खां की मृत्यु हृदयगति रूकने से हो गई है। मरीज पहलू खां की पेशेन्ट हिस्ट्री प्रदर्श पी–1 है, तथा पहलू खां की अन्तिम बार दिनांक 03. 04.17 को जांच की थी। प्रदर्श पी–1 व 2 पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि आहत पहलू खां का ईलाज डॉ0 बी.डी. शर्मा, डॉ0 जितेन्द्र बूटोलिया व डॉ0 अखिल सक्सेना के द्वारा भी किया गया था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मरीज के भर्ती होने के दौरान हड्डी संबंधी कोई बीमारी नहीं थी। यह भी स्वीकार किया कि पहलू खां का ईलाज मुख्यताः डॉ0 बी.डी. शर्मा की निगरानी में हुआ था।

गवाह पी.ड. 4 डॉ. जितेन्द्र कुमार, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह कैलाश अस्पताल मे सितम्बर 2015 से कार्यरत है, पहलू खां के मामले मे वह रेगूलर अटेण्डिंग डाक्टर नहीं था। दिनांक 03.04.17 को उससे राय ली गयी थी, उसने मरीज को सुबह 9.30 से 10 बजे के मध्य देखा था। मरीज ने बताया था कि उसकी हृदयरोग की दवाई चल रही है और हृदय मे छल्ले भी डले हुये है और उसका अस्थमा का ईलाज भी चलना और जयपुर के किसी अस्पताल से दवाई चलना बताया था। मरीज की पसलियों मे कई फ्रेक्चर थे, उसे सांस लेने मे भी तकलीफ थी। उसने मरीज को ईसीजी की और हृदय संबंधी दवाई की राय दी थी। मरीज का टीएलसी काउण्ट बढा हुआ था, इस कारण से उसे एण्टीबायोटिक अपग्रेड की थी। पहलू खां को मल्टीपल फ्रेक्चर था, हृदयरोग था, छल्ले डले हुये थे, अस्थमा का भी मरीज था। हो सकता है कि उसकी मृत्यु हृदय रोग से ही हुई हो। मरीज की पेशेन्ट हिस्ट्री प्रदर्श पी–1 है, जिसपर ई से एफ उसका ईलाज व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि उसने देखा तब मरीज का रक्तचाप व पल्स नॉर्मल था। यदि कोई पशु छाती पर टक्कर मारे तो उससे मल्टीपल फ्रेक्चर होना संभव है।

गवाह **पी.ड. 5 डॉ0 अखिल कुमार सक्सेना,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने कैलाश अस्पताल बहरोड मे दिनांक 03.02.2015 से दिनांक 07. 04.2018 तक काम किया था। आहत पहलू खां का सभी डाक्टरो ने रोटेशन से एक्जामिन किया था। मरीज डाक्टर बी.डी. शर्मा के अण्डर में था तथा डाक्टर अखिल हुसैन ने डाक्टर जितेन्द्र जी को रेफर किया था। डाक्टर जितेन्द्र की रिपोर्ट पत्रावली पर है, जिसमे लिखा हुआ है कि मरीज पहलू खां हृदयरोगी है तथा उसके स्टन्ट डले हुये है, अस्थमा का मरीज है, कोरनरी आर्टरी डिजीज से ग्रसित था। दिनांक 03.04.17 को पहलू खां को उसकी ड्यूटी के दौरान कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसने उसका ईलाज किया था, उसे समय 8.10 पीएम पर मृत घोषित कर दिया

था, उसकी ईसीजी की लाइन सीधी आ गयी थी। पहलू खां की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–2 है, तथा मरीज की असेसमेन्ट शीट प्रदर्श पी–1 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि उसने बतौर सरकारी डाक्टर करीब 30 साल तथा प्राइवेट डॉक्टर करीब 9 साल की नौकरी की है। मरीज पहलू खां को वेन्टीलेटर पर लिया था तथा कार्डियक अरेस्ट का पूरा प्रोसेस अपनाया था। वेन्टीलेटर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद उसी वक्त लिया था, पहलू खां को काफी बचाने का प्रयास किया। उसने नहीं बताया परन्तु डाक्टर जितेन्द्र के नोट्स में लिखा हुआ था कि पहलू खां का जयपुर में किसी हृदयरोग डाक्टर से ईलाज चल रहा था। यह बात डाक्टर बी.डी.शर्मा व अन्य चिकित्सको के डायग्नोसिस नोट्स मे भी लिखी हुई थी।

गवाह पी.ड. 6 डॉ. रामचन्द्र यादव, रेडियोलोजिस्ट ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह कैलाश अस्पताल बहरोड में दिनांक 01.04.17 को पदस्थापित था। उस दिन पहलू खां व उसके साथ चार आदमी भर्ती हुये थे। मरीज पहलू खां भर्ती हुआ था, जिसका ईलाज एनेसथिसिस्ट डाक्टर अखिल सक्सेना, डाक्टर जितेन्द्र बूटोलिया, बी.डी. शर्मा ने किया था। उसने मरीज की सोनोग्राफी व एक्स–रे किये थे, एक्स–रे में छाती मे दोनों तरफ की पसलियां टूटी हुई थी तथा सोनोग्राफी मे छाती मे थोडा सा ब्लड था। मरीज ठीक था, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी, संभवतः 03 तारीख थी। वह उस दिन आईसीयू मे गया था। मरीज अपने बेड पर बैठा हुआ था और हमारे डायरेक्टर डाक्टर श्यामसुन्दर थे, जिनसे मरीज बात कर रहा था। मरीज बिल्कुल ठीक कण्डीशन में उकडू बैठा हुआ था। उस समय कोई ऑक्सीजन पर भी नहीं था। उसके बाद करीब 8–8.30 बजे के आस पास सूचना मिली कि पहलू खां पेशेन्ट की मृत्यु हो गयी। पेशेन्ट को संभवतः कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। प्रकृति के सामान्य प्रकम मे जितनी चोटें मरीज को थी, उनमे मृत्यु कारित होना संभव नहीं था। पहलू खां की एबडोमन की अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट उसने तैयार की थी। जो प्रदर्श पी–5 है।

गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि उसका बतौर डाक्टर करीब 35 साल का अनुभव है। वह एसएमएस मे रेडियोलॉजी का हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट रहा था। यह सही होना बताया कि किसी गाय या बछडे की टक्कर छाती मे लगे तो छाती की पसलियां टूट सकती है। वह गया तब मरीज पहलू खां के समस्त

वाइटल सामान्य था व वह ऑक्सीजन पर नही था ओर मरीज छुटटी के लिए जिदद् कर रहा था।

गवाह **पी.ड. 10 डॉ0 पुनित तिवारी,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.17 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी बहरोड़ में कार्यरत था। उस दिन मैडीकल बोर्ड द्वारा मृतक पहलू खान का पीएमआर तैयार किया गया था। मैडीकल बोर्ड के डॉ0 पी.के. जैन अध्यक्ष, तथा वह और डॉ0 रविकान्त सदस्य थे। पीएमआर प्रदर्श पी–6 है, जिसपर ए से बी मेरे, सी से डी डॉ0 रविकान्त के, ई से एफ डॉ0 पुष्पेन्द्र जैन के हस्ताक्षर है तथा जी से एच हमारी राय है। मृतक के ब्राह्य शरीर पर एक खरोंच 2 गुणा 1 सेमी आकार की नाक पर नीचे की ओर थी। दूसरी खरोंच 2 गुणा 3 सेमी की उपरी होंठ पर मध्य व बांयी ओर थी। एक अन्य खरोंच 3 गुणा 1.5 सेमी आकार की गर्दन पर दांयी तरफ, एक अन्य खरोंच 1.5 गुणा 1.5 सेमी आकार की बांयी तरफ गर्दन पर थी। एक नीलगू चोट 7 गुणा 7 सेमी आकार बांयी ओर छाती पर थी। एक अन्य नीलगू चोट 12 गुणा 9 सेमी आकार दांयी तरफ छाती पर थी। इसके अलावा 1 से 3 सेमी आकार की बहुसंख्यक खरोंचे कन्धों के दोनों तरफ कोहनी पर, दोनो जांघों पर व दोनो टांगों पर थी। मृतक सामान्य कद काठी का था व मृत्यु पश्चात् जकडन मौजूद थी। देह का विच्छेदन करने पर 10 गुणा 7 सेमी आकार का हिमाटोमा छाती में दोनों तरफ फैला हुआ था। दोनों तरफ की कई पसलियां मे अस्थिभंग पाया गया और छाती की मांसपेशियां जगह–जगह फटी हुई थी। दोनो फेफडों में मिडिल व लोवर लॉब में अधिक संख्या में लेसरेसन मौजूद थे तथा लगभग 1000 से लेकर 1200 एमएल तक खून छाती मे मौजूद था। साइज 2 गुणा 1 सेमी का लेसरेसन प्लीहा मे बेस की तरफ था। साइज 3 गुणा 0.5 सेमी का एक लेसरेसन बांयी किडनी में उपरी सिरे पर था। पूरी अबडोमनल केविटी में 1200 से 1400 एमएल तक खून भरा हुआ था। बहुसंख्यक लेसरेसन 1 से 2 सेमी के पेट व छाती की मांसपेशियों में भी थे। फेफडो की झिल्ली फटी हुई थी। मुंह मे जगह जगह थोड़े ब्लड क्लॉट थे। छोटी व बडी आंत की सरफेस पर मल्टीपल छोटे छोटे हेमरेज उपस्थित थे। जननांग स्वस्थ थे व खतना किया हुआ था। मृतक के शरीर से जार 'ए' में पेट, छोटी आंत का टुकडा प्रजरेवेटिव के साथ लिया था। जार 'बी' में स्पिलिन, बांयी किडनी व लीवर का टुकडा प्रजरेवेटिव के साथ लिया था। जार 'सी' मे खून लिया था तथा जार 'डी' मे पूरा हृदय 10 प्रतिाशत फोरमिलिन सोल्यूशन में लिया था। मैडीकल बोर्ड की राय के अनुसार मृतक की मृत्यु का

कारण छाती एवं पेट मे आई बहुत सारी चोटों के कारण हुये, अत्यधिक रक्तस्राव था। पोस्टमार्टम प्रदर्श पी–6 डॉ0 पुष्पेन्द्र जैन की कलमी है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि वह एम.बी.बी.एस, एम.डी एनिस्थिसिया तक पढा हुआ है, वह 2008 से बतौर चिकित्सक कार्यरत है। उसने पोस्टमार्टम करने से पूर्व बैड हैड टिकट नहीं देखा तथा उसे पुलिस या मृतक के परिवार वालो ने भी मृतक के पूर्व में हुये ईलाज बाबत नहीं बताया था। गवाह ने मृतक के शरीर पर आई चोटों की अवधि के बारे मे निश्चित समय पता नहीं होना कथन कि कहना सही है कि मृतक के शरीर पर आई चोट संख्या 1 लगायत 7 की चोटों से मृत्यु कारित नहीं हो सकती। यदि किसी गाय को जबरन गाडी मे चढाया जावे तो उसके सींगों से व सिर से टकराने से एक साथ चोट संख्या 8 आ सकती है इसकी संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। चोट संख्या 9 व चोट संख्या 11 में जमा हुआ खून कितनी अवधि पूर्व से जमा था, तथा यदि मृतक पूर्व से हृदय रोग से ग्रसित रहा हो तो, इससे अनभिज्ञता जाहिर की। इस कथन को गलत बताया कि चोट संख्या 9 चोट संख्या 8 का परिणाम हो, तथा चोट संख्या 9 व 10 चोट संख्या 8 का परिणाम हो। यह कहना भी गलत बताया कि अस्थमा के मरीज के फेफडों मे लेसरेसन होते हो। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक का पूर्व मे कैलाश अस्पताल में हृदयघात का ईलाज किया हो व उसकी मृत्यु हृदयघात के कारण हुई हो। प्रदर्श पी–6 मोर्चरी मे तैयार किया था। यह कहना गलत बताया कि प्रदर्श पी–6 पहले रफ कागज पर तैयार किया हो, बल्कि सीधे से तैयार किया था। यह भी गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह **पी.ड.11 डॉ0 रविकान्त यादव,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.17 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी बहरोड़ में कार्यरत था। उस दिन मैडीकल बोर्ड द्वारा मृतक पहलू खान का पीएमआर तैयार किया गया था। मैडीकल बोर्ड मे डॉ0 पी.के. जैन अध्यक्ष, वह व डॉ0 पुनित तिवाड़ी सदस्य थे। पीएमआर प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी डॉ0 पुनित तिवाडी, सी से डी, उसके ई से एफ तथा डॉ0 पी.के. जैन के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–6 पर जी से एच हमारी राय है। मृतक सामान्य कद काठी का था। राइगर मोर्टिस उपस्थित था। मृतक के शरीर पर निम्न ब्राह्य चोटें थी। चोट संख्या 1– 2 गुणा 1 सेमी आकार की बांयी तरफ खरोंच नाक की बांयी तरफ थी। चोट संख्या 2– 2 गुणा 3 सेमी आकार की उपरी होंठ पर खरोंच थी। चोट संख्या 3– 3 गुणा 1.5 सेमी

आकार की दांयी तरफ गर्दन में खरोंच थी। चोट संख्या 4– 1.5 गुणा 1.5 सेमी आकार की बांयी तरफ गर्दन पर खरोंच थी। चोट संख्या 5– 7गुणा 7 सेमी आकार की नीलगू छाती पर नीचे की तरफ बांयी तरफ थी। चोट संख्या 6– 12 गुणा 9 सेमी आकार की नीलगू छाती मे दांयी तरफ नीचे की ओर थी। चोट संख्या 7– बहुत सारी खरोंचनुमा चोटें, जो 1 से 3 सेमी आकार की शरीर पर दोनों कंधो पर, कोहनी पर, दोनों जांघो पर व दोनो टांगो पर उपस्थित थी।

गवाह ने यह भी कथन किया है कि थोरेको व अबडोमिनल विच्छेदन पर निम्न चोटें पायी गयी। चोट संख्या 8– हिमाटोमा, साइज 10 गुणा 7 सेमी छाती मे दोनो तरफ जो लाल रंग का था। उसके साथ कई सारी पसलियां थी व दोनो तरफ की पसलियां फ्रेक्चर थी, चेस्ट मसल मे कई सारे कटाव थे। चोट संख्या 9– मल्टीपल लेसरेसन दोनो तरफ के फेफडों व मध्य व नीचे के लॉब मे उपस्थित था। तथा 1000 से 1200 एमएल खून थोरेसिक कैवेटी में मौजूद था। चोट संख्या 10– 2 गुणा 1 सेमी आकार लेसरेसन स्पिलिन में मौजूद था। चोट सं.11– 3 गुणा 0.25 सेमी आकार का लेसरेसन बांयी किडनी मे उपरी पोल पर था। चोट संख्या 12– लाल रक्त 1200 से 1400 एमएल के लगभग एबडोमिनट कैविटी मे उपस्थित था। चोट संख्या 13– बहुसंख्यक लेसरेसन 1 से 2 सेमी आकार के अबडोमिनल मसल्स पर थे जो छांती व अबडोमिनल रीजन के बीच में थे।

मृतक की देह से निम्न सैम्पल लिये गये थे। जार 'ए' मे पेट व छोटी आंत का टुकडा प्रिजरेवेटिव मे लिया गया था। जार 'बी' स्पिलिन, बांयी किडनी व लीवर का टुकडा प्रिजरवेटिव मे लिया गया था। जार 'सी' मे रक्त व जार 'डी' सम्पूर्ण हृदय 10 प्रतिशत फोरमलिन में लिया गया था। मृतक के थोरेक्स रीजन में दोनो तरफ के प्लूरा रेप्चर पाये गये। लंग्स, मल्टीपल लेसरेसन दोनों तरफ उपस्थित थे। मृतक के अबडोमिनल क्षेत्र में फेरिक्स, ओसोफेगस मे रक्त क्लॉट उपस्थित थे। मृतक की छोटीं आंत व बडी आंत पर मल्टीपल टिन्नी हेमरेज थे। हमारी राय के अनुसार मृतक की मृत्यु शॉक के कारण हुई थी, जो एन्टीमोरटम थोरेको अबडोमिनल इन्जरीज के कारण आया था। पीएमआर प्रदर्श पी–6 डॉ0 पुष्पेन्द्र जैन का कलमी है, जिनका हस्तलेख वह पहचानता है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि उसे बतौर चिकित्सक ढाई वर्ष का अनुभव है। वह एम.बी.बी.एस. तक पढा हुआ है, पोस्टमार्टम करते समय मुझे जानकारी नहीं थी कि मृतक का ईलाज कहां हुआ है, उसने मृतक के ईलाज

का बेड हेड टिकट नहीं देखा था। गवाह ने मृतक की मृत्यु दौराने ईलाज कैलाश अस्पताल में हुई हो तो इससे अनभिज्ञता जाहिर की। प्रदर्श पी–6 मे के से एल ईलाज के दौरान मृत्यु होना अंकित है। मृतक की शरीर पर आई चोटे कितनी पुरानी थी, नहीं बता सकता। चोट संख्या 12 की चोट पर लाल रंग स्थिति थी इसलिए वह ताजा चोट थी, जिस चोट की अवधि लगभग 10 से 12 घंटे की थी। चोट संख्या 9 भी ताजा चोट थी जिसकी अवधि भी 10 से 12 घंटे के भीतर की थी। टिन्नी हेमरेज का साइज पीएमआर मे अंकित नही किया व न ही वह आज बता सकता है। चोट संख्या 8 मे हिमोटोमा ताजा था, जिसकी अवधि लगभग 10 से 12 घंटे के भीतर की थी। यह कहना सही है कि चोट संख्या 1 लगायत 7 से मृत्यु कारित नहीं हो सकती। यह कथन को गलत बताया कि मृतक शारीरिक रूप से कमजोर हो। यह कहना सही है कि चोट संख्या 8 गाय को जबरन मेटाडोर मे चढाये समय, गाय के सिर से टक्कर लगने पर ऐसी चोट आने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–6 पहले रफ कागज पर तैयार किया तथा मृतक की मृत्यु हृदयघात से हुई हो। बल्कि मृतक पहलू खां की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से ही हुई है। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड.13 डॉ0 अमित यादव, ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.04.2017 को वह चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी बहरोड़ में कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब अजमत, इरसाद, आरिफ व रफीक के आई चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र क्रमशः प्रदर्श पी–7 लगायत प्रदर्श पी–10 तैयार की थी। प्रदर्श पी–7 मजरूब अजमत की एमएलसी है, जिस पर ए से बी मजरूब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब के निम्न पांच चोटें थी–

1– नीलगू 3 गुणा 2 सेमी आकार की, जो बांयी नीचे वाली पलक पर थी।

2– नीलगू 2 गुणा 1 सेमी आकार की, जो दांयी नीचे वाली पलक पर थी।

3– नीलगू 4 गुणा 3 सेमी आकार की, जो बांये गाल पर थी।

4– मजरूब ने पीठ मे नीचे की ओर दर्द होना बताया था।

5– खरोंच 1 गुणा 1 सेमी आकार की, जो बांयी तरफ सिर मे मध्य भाग में थी। सभी चोंटे कुन्दाले से कारित थी।

प्रदर्श पी–8 मजरूब इरशाद की एमएलसी है, जिसपर ए से बी मजरूब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब के दो चोटें निम्न थी–

1– बहुसंख्यक नीलगू चोंटे, 1 से 4 सेमी आकार की, जो पीठ मे उपर की तरफ, जो कुन्दाले से कारित थी।

2– मजरूब ने गर्दन मे दर्द होना बताया।

प्रदर्श पी–9 मजरूब आरिफ की एमएलसी है, जिसपर ए से बी मजरूब व सी से डी उसाके हस्ताक्षर है। मजरूब के चार चोटें निम्न थी–

1– नीलगू 1 गुणा 1 सेमी आकार की, जो बांयी नीचे की पलक पर थी।

2– नीलगू 1 गुणा 0.5 सेमी आकार की, जो दांयी नीचे की पलक पर थी।

3– बहुत सारी खरोंचे 1 से 5 सेमी आकार की, जो सम्पूर्ण पीठ पर थी।

4– नीलगू 5 गुणा 4 सेमी आकार की, बांयी मध्य भुजा के बाहरी भाग पर थी। जो सभी चोटें कुन्दाले से कारित थी।

मजरूब रफीक की एमएलसी प्रदर्श पी–10 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मजरूब के अंगूठा निशानी है। मजरूब के चार चोटें निम्न प्रकार थीः–

1– नीलगू 3 गुणा 2 सेमी आकार की, जो बांयी नीचे की भौंह पर थी।

2– नाक पर खरोंच 1 गुणा 1 सेमी आकार की थी।

3– नीलगू 3 गुणा 2 सेमी आकार की, जो कान के पीछे की ओर थी।
यह सभी चोटे कुन्दाले से कारित थी।

4– मजरूब ने सम्पूर्ण छाती मे दर्द होना बताया था।

गवाह ने **जिरह में** कथन करते हुए इस तथ्य से इंकार किया है कि प्रदर्श पी–7 लगायत प्रदर्श पी–10 की चोटें 12 घंटे पुरानी हो, बल्कि कम से कम 24 घंटे व अधिकतम 72 घंटे की चोटें थी। यह सही बताया कि आहतगण सभी की उनकी एमएलसी में बतायी सभी चोटें उनके किसी गाय या पशु द्वारा सिर से टक्कर मारने और उससे सख्त धरातल पर उसके गिरने से आ सकती है।

गवाह पी.ड. 25 डॉ0 पुष्पेन्द्र कुमार जैन, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.17 को सीएचसी बहरोड पर एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस दिन सीएचसी प्रभारी के द्वारा एक मैडीकल बोर्ड गठित किया गया। जिसमें उसके अलावा दो अन्य डाक्टर डॉ0 रविकान्त व डॉ0 पुनित तिवारी ओर थे। उनके द्वारा मृतक पहलू खान पुत्र महमूदा उम्र 55 साल जाति मेव निवासी जयसिंहपुरा थाना सदर नूंह हरियाणा का पोस्टमार्टम एसएचओ बहरोड (रमेश

सिनसिनवार) के प्रतिवेदन पर किया था, जिसका पीएमआर नंबर 22/17 है। मृतक की पहचान उसके दो पुत्र क्रमशः आरिफ एवं इरशाद ने की। मृतक की मृत्यु की अवधि 24 घंटे के अंदर की थी। मुआयना जिस्म 10.30 बजे 12.15 बजे तक किया गया। मृतक के विसरा लेकर, जोकि पीएमआर के प्रथम पेज पर अंकित है, उचित माध्यम द्वारा एफएसएल जयपुर एवं जार 'डी' मे जो हृदय था, उसे पेथौलॉजी विभाग जयपुर मे स्टोपैथोलॉजिक जांच के लिए भिजवाया गया। मृतक की कठ काठी उम्र के हिसाब से सामान्य थी व वैल वरिष्ठ था। शरीर पर राइगर मोर्टिस मौजूद थे। गर्दन पर किसी भी तरह के लिगेचर मार्क नहीं थे। मृतक की पुतलियां स्थिर व फैली हुई थी। मृतक की निम्नलिखित चोटे पायी गयी थीः–

चोट संख्या 1 – खरोचनुमा घाव, साईज 2 गुणा 1 सेमी आकार का, जो नाक बांये हिस्से पर (नेजियालॉबियल)।

चोट संख्या 2 – खरोचनुमा घाव, साईज 2 गुणा 3 सेमी आकार का, जो उपरी होठ पर मध्य भाग पर थी।

चोट संख्या 3 – खरोचनुमा घाव, साईज 3 गुणा 1.5 सेमी आकार का, जो दांयी गर्दन पर मध्य भाग पर थी।

चोट संख्या 4 – खरोचनुमा घाव, साईज 1.5 गुणा 1.5 सेमी आकार का, जो गर्दन के बांयी हिस्से पर मध्य भाग में थी।

चोट संख्या 5 – नीलगू घाव, साईज 7 गुणा 7 सेमी आकार का, जो बांयी छाती पर नीचे की ओर था।

चोट संख्या 6 – नीलगू घाव, साईज 12 गुणा 9 सेमी आकार का, जो छाती के दांये हिस्से पर नीचे की ओर था।

चोट संख्या 7 – बहुसंख्यक खरोचें, जो 1 से 3 सेमी आकार की, जो पीछे की ओर स्पेकुला रीजन, कोहनी, दोनो जांघो व दोनो पैरों पर पीछे की ओर थी।

तथा मृतक के थोरेको अब्डोमिनल पर निम्न चोटे पायी गयीः–

चोट संख्या 8 – हिमोटोमा (खून का थक्का), साइज 10 गुणा 7 सेमी आकार का, जो सबक्यूटनियस क्षेत्र पर था, जो लाल रंग का था। जिसके नीचे छाती के दोनो तरफ उपर व नीचे पसलियां टूटी हुई थी व छाती की मांसपेशियों मे भी टीयर था।

चोट संख्या 9 – मल्टीपल लेसरेशन, जो फेफडों के मध्य व नीचे के भाग में थी एवं लगभग 1000 से 1200 एमएल खून थोरेसिक केविटी पर उपस्थित था।

चोट संख्या 10 – कुचला हुआ घाव, साईज 2 गुणा 1 सेमी आकार का, जो तिल्ली के बेस पार्ट पर उपस्थित था।

चोट संख्या 11 – कुचला हुआ घाव, साईज 3 गुणा 0.25 सेमी आकार का, जो बांये गुर्दे के उपरी भाग पर था।

चोट संख्या 12 – मृतक के पेट मे अब्डोमिनल केविटी मे लगभग 1200 से 1400 एमएल खून, जो रेडिश कलर का था, उपस्थित था।

चोट संख्या 13 – बहुसंख्यक कुचले हुये घाव, साइज 1 से 2 सेमी आकार के, जो छाती व पेट की मांसपेशियां फटी हुई थी।

तथा मृतक का सिर एवं ब्रेन स्वस्थ था। मृतक के हृदय बा्ह्य रूप से देखने मे स्वस्थ था व हृदय को प्रोपर प्रिजरवेजशन करके स्टॉपेथिलॉजिकल विभाग मे भिजवाया गया। मृतक का पेनिस का खतूना किया हुआ था। बोर्ड की राय के अनुसार मृतक का कारण शॉक, जो कि एन्टीमोर्टम थोरेको अब्डोमिनल इन्जरीज, जो पीएमआर मे अंकित है, जोकि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त है। यद्यपि मृतक के विसरा एवं हृदय एकत्रित किये गये व जांच के लिए भिजवाये गये थे, जो विस व सहायक कारणों के लिए भेजे गये थे, मृतक की पीएमआर प्रदर्श पी–6 है, जिसपर ए से बी व सी से डी पुनित तिवारी व डॉ0 रविकान्त के हस्ताक्षर है व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है तथा जी से एच हमारी राय अंकित है। मृतक के जार 'ए' में स्टॉमक व छोटी आंत का टुकडा लिया गया। जार 'बी' मे पूरी तिल्ली, बांयी किडनी व लीवर का टुकडा लिया गया। जार 'सी' मे खून लिया गया तथा जार 'डी' मे पूरा हृदय लिया गया।

गवाह ने **जिरह में** कथन करते हुए यह कहना गलत बताया कि पीएमआर प्रदर्श पी–6 उसका कलमी न हो। चोट संख्या 1 लगायत 9, जिसमें चोटों का कलर रेडिश अंकित है, उसके आधार पर ये चोटें 1 दिन से अधिक व 3 दिन के समयावधि की थी। यह सही होना बताया कि प्रदर्श पी–6 मे चोट संख्या 1 लगायत 13 की समयावधि अंकित नहीं है तथा मृतक की छाती पर बांयी या दायीं तरफ एक से अधिक एब्रेजन मौजूद नहीं है। पीएमआर के पेज नंबर 1 में पुलिस तहरीर के हिसाब से यह अंकित है कि, ईलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हुई है।

उसकी जानकारी में नही है कि मृतक का ईलाज कहां हुआ था। मृतक की हृदय की धमनियां ब्राह्य रूप से देखने में स्वस्थ थी, परन्तु स्टॉपेथिलॉजिकल जांच के लिए उसे पेथोलॉजी विभाग में भिजवायी गयी। मृतक यदि पहले से दिल का मरीज रहा हो, तो इसकी उसे जानकारी नहीं है। मृतक ने पूर्व मे धमनियों मे स्टन्ट डलवा रखे हों तो, वह नही बता सकता, लेकिन उसका हृदय पेथौलॉजी विभाग में स्टॉपेथिलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया था। यह कहना गलत बताया कि पीएमआर प्रदर्श पी–6 पहले रफ कागज पर तैयार किया गया हो। यह सही है कि पीएमआर में प्रत्येक चोट के संबंध में उस पर यह अंकित नहीं है कि वह मृत्यु से पूर्व की थी या बाद की, लेकिन पीएमआर ओपीनियन में हमने यह अंकित किया है कि मृतक की सभी चोटें एन्टीमोर्टम प्रकृति की थी। वह दिनांक 16.01.2003 से सरकारी नौकरी मे सेवा दे रहा है। यह कहना गलत बताया कि मृतक पुराना हृदय रोगी रहा हो और उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई हो, बलकि जो पीएमआर मे थोरेको अब्डोमिनल इन्जरी अंकित है, वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मे मृत्यु के लिए पर्याप्त है।

गवाह पी.ड. 27 डॉ0 जयन्ती माला, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को वरिष्ठ प्रदर्षक के पद पर पैथोलॉजी विभाग, एसएमएस मैडीकल कॉलेज जयपुर मे पदस्थापित थी। उस दिन मृतक पहलू खां के सम्पूर्ण हृदय का ग्रोसिंग कार्य उसके एवं डॉ0 मन्जू के द्वारा सम्पन्न किया गया था। ग्रोसिंग की रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 उसके व डॉ0 मन्जू द्वारा तैयार की गयी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी रिपोर्ट है।

गवाह ने **जिरह में** यह कहना सही बताया कि उसके द्वारा हृदय का ग्रोसिंग करने पर हृदय की आर्टरी में स्टन्ट मौजूद था, जो कि एन्टीरियर डिसेन्डिंग ब्रांच ऑफ लेफट कॉरोनरी आर्टरी मे मौजूद था। वहै नही बता सकती कि यह स्टन्ट कितना पुराना डला हुआ था। यह सही है कि हृदय की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने पर स्टन्ट डाला जाता है। अजखुद कहा कि स्टन्ट के बारे मे जानकारी कार्डियोथोरोसिक सर्जन बता सकता है।

गवाह पी.ड. 31 डा0 दीपिका हेमराजानी, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.05.2017 को वह एसिसटेंट प्रोफेसर, एस.एम.एस. जयपुर पेथोलोजी विभाग के पद पर कार्यरत थी उस दिन उसने एफआईआर नं. 255/2017 में पुलिस स्टेशन बहरोड अलवर के द्वारा भेजी गई सैंपल मृतक पहलू

खान पुत्र मौहम्मद उम्र 55 वर्ष की माइक्रोस्कोपी रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी। जो निम्न प्रकार से है:–मृतक के हार्ट के मल्टीपल सैक्शन में डिफयूज मायोकार्डियल फाइब्रोसिस विद ग्रुप ऑफ मायोकार्डियल फाइबरस सोईंग वेरियेशन इन साईज (साईज में असमानता) (पुराना हील्ड मायोकार्डियल इनफारकशन) (पुराना हार्ट इन्फारकशन) अयोटिक कस्प शो फाइब्रोसिस दोनों कोरोनरी आर्टरिज व अर्योटा शो एथ्रोक्ल्सरोसिस। तथा इम्प्रेशन– उपरोक्त फाईडिंग्स क्रॉनिक इसकीमिक हार्ट डिजिज को जतलाती है। यह रिपोर्ट प्रदर्श पी 27 है। जिस पर सी से डी स्थान पर उसकी फाईडिंग है। ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** यह कहना सही बताया कि उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 27 में सी से डी राय के अनुसार पहलू खॉ पुराना हार्ट डिजिज का मरीज है।

गवाह पी.ड.3 रविन्द्र यादव, मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.04.17 को अपने गांव से बहरोड मोटरसाईकिल से आ रहा था। जब वह जयपुर सिन्टेक्स फैक्ट्री के सामने पहुंचा तो सडक के दूसरी साइड मे हजारो की तादाद मे लोग इकटठा थे, उसने वहॉ जाकर देखा कि एक पिकअप मे गायें भरी हुयी थी। उसने दूर खडा होकर 5–7–10 सैकेण्ड की वीडियो अपने फोन में बनाई, फिर वहां चला गया। उसका वह फोन पांच–सात दिन बाद पुलिस ने जब्त किया था। वह उस भीड में से किसी को भी नही जानता, वहां उसके जानने वाला कोई नहीं था। वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था इसलिए उसे कुछ पता नही चला कि वहां पर क्या हुआ।

इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवा कर, अपर लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर, गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध मे पूछताछ बाद में की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का ए से बी भाग ''पिकअप मे बैठे लोगों को नीचे उतार रखा था और सडक पर उनके साथ मारपीट कर रहे थे व गाडी को तोड–फोड कर रहे थे। उनमे हमारे गांव का दयानंद व अन्य के आस पास के लोगों थे। मैने मारपीट करने व तोडफोड करने के लिए मना किया तो भी वे लोग नही माने।'' तथा सी से डी भाग ''दो–तीन दिन बाद पता चला कि दयानंद व अन्य लोगों ने जिन गाय वालो के साथ मारपीट की थी, उनमे से एक व्यक्ति की मौत हो गयी।'' गलत है, उसने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। इस बात से इंकार किया है कि दयानंद उसका गांव के नाते से भाई लगता

है, इसलिए वह आज झूठे बयान दे रहा हूं। फर्द जब्ती मोबाइल प्रदर्श पी–4 है, जिसपर ए से बी स्वयं हस्ताक्षर होना बताया है।

इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 01.04.17 को दयानंद के पिता की मृत्यु हुई थी। उसने पुलिस को मोबाइल का बिल नही दिया। उसने कोई फोटो नही खिंची। वह पुलिस बयान किस तारीख को हुये, तारीख नही बता सकता, तथा मोबाइल जब्त करने की तारीख तथा मोबाइल के सिम नंबर नहीं बता सकता। उसने पुलिस को ऐसा कोई दस्तावेज नही दिया, जिससे उस मोबाइल व सिम का स्वामित्व उसका दर्शित होता हो।

गवाह पी.ड.24 नवल किशोर, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे ध्यान नही है कि मुकदमा नंबर 255/17 में उसने कोई सीडी व फोटो बनाई हो। वह मौके पर नहीं गया और ना ही उसने कोई फोटो खिंची। मोबाइल पुलिस वाला लेकर आया था, उससे उसने फोटो व सीडी तैयार की होगी, उसे ध्यान नहीं है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि उसने फोटो तैयार नही की।

गवाह पी.ड.7 विक्रम सिंह, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.17 को थाना बहरोड मे सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन शाम करीब 5–6 बजे थानाधिकारी महोदय तीन केन्टरा गाडी व पिकअप गाडी जिनमे गौवंश भरे हुये थे, थाने पर लेकर आये। जिनके मुलजिमान को थाने पर छोडा और उसे निर्देश दिये कि उक्त गौवंश को दहमी गौशाला मे ले जाकर खाली कराये। जिस पर वह, नरेश कानि0 चालक तथा रघुवीर एएसआई तीनों गौवंश की चारों गाडियों को लेकर गउशाला के लिए रवाना हुये, हमारे साथ मे विश्व हिन्दू परिषद के लोग भी अपनी अपनी मोटरसाइकिलो से रवाना हुये। दहमी गउशाला के अंदर गायों को खाली कर रहे थे, उसी समय गायों को खाली करने वाले के पास किसी का फोन आया कि जयपुर सिन्टेक्स के पास कुछ लोगो ने दो पिकअप को रोक रखा है तथा उनके साथ मारपीट कर रहे है। जिसपर उसने एसएचओ को फोन किया व फोन नही लगने पर कानि0 ब्रह्म सिंह के सरकारी मोबाइल 8764874508 पर टेलीफोन करके उक्त सूचना उन्हें दी और गायों को

खाली करवा कर चारो गाडियों को पुलिस चौकी निम्भोर पर खडी करवा कर थाने पर आ गये।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि आज उसे ध्यान नहीं है कि तीन केन्टरा व एक पिकअप को रमेश सिनसिनवार या अन्य कोई लेकर आया था, वे दहमी गउशाला पर आधा–पौन घंटे तक रूके थे। जयपुर सिन्टेक्स के पास पिकअप को रोकने व मारपीट की सूचना बाबत उसके पास कोई फोन नही आया। फोन गाय खाली करने वाले किस व्यक्ति के पास आया था, ध्यान नही है। यह कथन गलत है कि गाय खाली करने वालो के पास जयपुर सिन्टेक्स के पास पिकअप रोकने व मारपीट की सूचना बाबत कोई फोन नही आया हो। हम निम्भौर चौकी पर गाडी खडी करने पर शाम करीब 7.30 बजे पहुंचे तथा निम्भौर चौकी से वह थाने करीब पौने आठ पहुंच गया था। हम सब साथ गये थे, परन्तु जैसे–जैसे गाडी खाली हो रही थी वैसे–वैसे अलग–अलग आये थे। वह दहमी गउशाला से वापिस आया तो जयपुर सिन्टेक्स के सामने न तो पिकअप गाडी को रोक रखा था और ना ही पिकअप वहां खडी थी। इस कथन से इंकार किया कि वह आज झूठे बयान दे रहा है।

गवाह **पी.ड.8 रघुवीर सिंह,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.17 को थाना बहरोड में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन चार गायों की गाडी पकडी थी, उसने एक गायों की गाडी पकडी थी, दहमी ले जाकर उनमे से गायों को गउशाला मे छोड दिया, उसके बाद वापिस थाने पर आकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके साथ सिपाही गये थे, विक्रम एएसआई व नरेश चालक भी अलग गाडी से गये थे। विश्व हिन्दू परिषद के लोग भी साथ गये थे। वहां से आकर थाने मे मुकदमा दर्ज कराकर गाडी को निम्भौर चौकी पर खडा कर दिया था।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि वह दहमी गउषाला में एक गाडी लेकर गया था। गवाह ने इसके अलावा अन्य कितनी गाडियां पकडी, तथा गउशाला से कितने बजे वापिस चले थे, निम्भोर चौकी से वापिस कितने बजे आये थे, सबसे अनभिज्ञता जाहिर की है। उसने जयपुर सिन्टेक्स के सामने कोई गायों की गाडी खडी हुई नही देखी।

गवाह **पी.ड.9 नरेश कुमार,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.17 को थाना बहरोड में कानि0/चालक के पद पर तैनात था। उस

दिन सांय करीब 6 बजे गायों की गाडियों की सूचना आई थी। जिसपर पुलिस केन्टरा व एक पिकअप गाडी मय गौवंशों के पकड कर थाने लाई थी। मुलजिमानों को थाने पर छोड दिया व गाडियों को गौवंश सहित दहमी गौशाला लेकर, वह और उसके साथ विक्रम सिंह एएसआई, रघुवीर सिंह एएसआई गये थे। गायों को गौशाला मे उतार कर, खाली गाडियों को चौकी निम्भोर पर खड़ी कर दी थी।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि उसने किसी प्रकार की कोई नेशनल हाइवे पर तथा जयपुर सिन्टेक्स के सामने सडक पर कोई मारपीट होती हुई नहीं देखी।

गवाह पी.ड.12 देवदत्त ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि चौथे महिने की 01 तारीख सन् 2017 की बात है। वह श्रीराठ सार्वजनिक गौशाला दहमी हमजापुर का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं। शाम करीब 6–6.30 बजे की बात है। तीन–चार पिकअप व केन्टरा गयी थी, जिसमें गौवश भरे हुये थे। उनके साथ जगमाल गुरूजी, हुकमचंद, नवीन, एक सैनी था, उसका नाम मुझे ध्यान नही है, इनके अलावा दो पुलिस कर्मी भी थे व अन्य गौशाला के कर्मचारी विजय व्यवस्थापक, सोनू व अन्य कर्मचारी तथा गांव के 10–15 आदमी भी उपस्थित थे। गौवंश करीब 18 से 20 थे। उन गौवशों को गौशाला मे खाली करवाया। ये लोग गौशाला में शाम करीब 7.30–8 बजे तक रहे। गौवंशो मे लगभग 6–7 बछिया थी व इतने ही बछडे व गायें थी। इस गवाह से कोई जिरह नहीं की गई है।

गवाह **पी.ड.14 सन्तराम,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.04.17 को शाम करीब 6.30 बजे वह और कर्मचारी सोनू व विजय गौशाला मे था। बहरोड थाने से दो एएसआई विक्रम व रघुवीर आये, तीन केन्टरा व एक पिकअप लेकर आये, जिनमें करीब 30 गौवंश थे, जिनमें गाये, बछडे व बछिया थी। इनके साथ जगमाल गुरूजी व राहुल वगैरा थे। ये गौशाला मे आते रहते है, इसलिए इन्हें जानता है। ये लोग लगभग 8 बजे तक रूके थे, इनके साथ 10–15 आदमी ओर भी थे।

गवाह ने **जिरह** में इस तथ्य को गलत बताया कि वह गौशाला मे उपस्थित ना होउं व गौशाला मे कोई गौवंश छोडने नहीं आये हो।

गवाह **पी.ड.15 विजय सिंह,** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह श्रीराठ सार्वजनिक गौशाला दहमी, हमजापुर में 2013 से व्यवस्थापक के पद पर

कार्यरत है। दिनांक 01.04.17 को शाम 6.30 बजे की बात है। गौशाला मे सोनू, हरीश, देवदत्त, सन्तराम और वह मौजूद थे, तभी तीन केन्टरा व एक पिकअप मे 30 गौवंश थाना बहरोड से विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह व एक अन्य पुलिसकर्मी लेकर आये। उनके साथ जगमाल सिंह, ओम, हुकमसिंह, नवीन, सुधीर, राहुल व अन्य कई लोग आये थे। इन्होनें गौवंशों को खाली करवाया था। 30 गौवंशों में 18 गायें तथा 12 बछड़े व बछिया थी। ये सभी लोग शाम 8 बजे तक रूके थे और गायों को गौशाला में खाली करवा कर वापिस चले गये थे।

गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि जगमाल वगैरह पहले से ही गौशाला में सेवा करते रहे है, इसलिए वह इनको नाम से जानता हूं। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा हूं।

गवाह पी.ड.16 सोनू कुमार, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने 3–4 साल श्रीराठ सार्वजनिक गौशाला दहमी में काम किया था। दिनांक 01.04.17 को शाम करीब 6.30 बजे गौशाला में वह और विजय यादव व्यवस्थापक, हरीश शर्मा, देवदत्त और सन्तराम मौजूद थे, तभी पुलिस वाले विक्रम सिंह व रघुवीर सिंह चार गाडियों में 30 गौवंश लेकर आये थे। पुलिस वालो के साथ जगमाल सिंह, राहुल, ओम, हुकमसिंह, नवीन, सुधीर व 8–10 अन्य लोग आये थे। गौवंशों मे से 18 बडे गौवंश व 7 बछड़े व 5 बछिया थी। जिस गौवंश को नई गौशाला मे खाली करवाया था। ये सभी लोग शाम 8–8.30 बजे तक रूके थे व इसके बाद वापिस चले गये थे।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि जगमाल वगैरह पहले से ही गौशाला मे सेवा करते रहे है, इसलिए वह इनको नाम से जानता हूं। इस कथन से गवाह ने इंकार किया कि गौशाला मे कोई गौवंश लेकर नही आया हो।

गवाह पी.ड.17 हरिश शर्मा, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह श्रीराठ सार्वजनिक गौशाला दहमी में 3–4 साल से काम कर रहा है, दि.01.04.17 को शाम करीब 6.30 बजे की बात है। उस समय गौशाला में वह, विजय यादव व्यवस्थापक, सोनू कुमार, देवदत्त एवं सन्तराम मौजूद थे। तभी पुलिस वाले विक्रम सिंह व रघुवीर सिंह चार गाडियों में 30 गौवंश, जिनमें 18 गायें व 7 बछडे व 5 बछिया थी, को लेकर आये थे। पुलिस वालो के साथ जगमाल सिंह, राहुल सैनी, ओम, हुकमसिंह, नवीन, सुधीर व 8–10 अन्य लोग आये थे। गौवंश को नई

गौशाला मे खाली करवाया था। ये सभी लोग शाम 8–8.30 बजे तक रूके थे व इसके बाद वापिस चले गये थे।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि जगमाल वगैरह पहले से ही गौशाला मे सेवा करते रहे है, इसलिए वह इनको नाम से जानता है। इस बातसे इंकार किया कि गौशाला मे कोई गौवश लेकर नही आया हो।

गवाह पी.ड.18 नरेन्द्र कुमार, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.04.17 को वह थाना बहरोड में कानि0 पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 255/17 में एसएचओ रमेश सिनसिनवार द्वारा मुलजिम कालूराम को उसके सामने थाने पर गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–11 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 06.04.17 को मृतक पहलू खां का विसरा एसएचओ द्वारा उसके सामने थाने पर जब्त किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–12 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम विपिन ने इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मोटरसाईकिल व डण्डा बरामदगी बाबत दी थी, जो क्रमषः प्रदर्श पी–13 व प्रदर्श पी–14 है, जिनपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 07.04.17 को एसएचओ साहब के साथ मुलजिम विपिन की इत्तला पर उसके घर से मोटरसाईकिल व एक डण्डा बरामद किया था, जिनकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 है, जिनपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल मोटरसाईकिल व डण्डा प्रदर्श पी–17 व प्रदर्श पी–18 उसके सामने तैयार किया था, जिनपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 06.04.17 को मुलजिम कालूराम व रविन्द्र ने पृथक–पृथक इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम डण्डे की दी थी। जो इत्तलायें प्रदर्श पी–19 व प्रदर्श पी–20 है, जिनपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि मुलजिम कालूराम को थाने से गिरफ्तार कर, उसी समय लेकर आये थे। विसरा 06.04.17 को केवल उसके सामने जब्त किया था, विसरा कौन लेकर आया था, उसे नही पता। उक्त कथनों को गवाह ने गलत बताया कि प्रदर्श पी–13 के द्वारा मुलजिम ने मोटरसाईकिल की कोई इत्तला नहीं दी हो तथा प्रदर्श पी–14 के द्वारा मुलजिम ने डण्डे की कोई इत्तला नहीं दी हो, तथा कि मुलजिम विपिन ने मोटरसाईकिल व डण्डे की बरामदगी नहीं करवाई हो। मोटरसाईकिल व डण्डे की बरामदगी दिनांक 07.04.17 को की गई थी, समय उसे ध्यान नही है। पहले किसकी बरामदगी की थी,

आज ध्यान नही है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि बरामदशुदा मोटरसाईकिल व डण्डा आज हाजिर अदालत नहीं है। बरामदगी स्थल पर मौहल्ले के आदमी मौजूद नहीं थे। यह कथन को गलत बताया कि बरामदगी स्थल पर विपिन को मकान नहीं हो। यह स्वीकार किया कि मुलजिम के मालिकाना हक बाबत कोई दस्तावेज उसने नही देखे। गवाह ने अजखुद कहा कि आईओ ने देखे होंगे। मकान मे कितने कमरे थे, तथा कमरे मे क्या–क्या सामान था, तथा कमरे मे कहां से बरामदगी की थी, उक्त सभी बातें आज उसे ध्यान नही है। मोटरसाईकिल घर के अंदर से जब्त की थी। इस कथन को गलत होना बताया कि प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–18 की लिखापढी थाने पर की हो। यह स्वीकार किया है कि मोटरसाईकिल व डण्डे पर खून के निशान नही थे। यह कहना गलत बताया कि उसके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई हो तथा वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना भी गलत बताया कि मुलजिम कालूराम व रविन्द्र प्रदर्श पी–19 व प्रदर्श पी–20 के जरिये दफा 27 की कोई इत्तला नहीं दी हो। यह कहना गलत है कि वह एसएचओ साहब का रीडर होने के कारण आज झूठे बयान दे रहा है।

गवाह पी.ड.19 ब्रह्मसिंह, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 05.04.17 को थाना बहरोड मे कानि0 पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 255/17 मे मुलजिम विपिन व रविन्द्र को जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–21 व प्रदर्श पी–22 के गिरफ्तार किया था, जिनपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम विपिन ने दफा 27 की एक इत्त्ला मोटरसाईकिल बरामदगी बाबत थी, जो प्रदर्श पी–13 है, मुलजिम विपिन ने दफा 27 की एक अन्य इत्त्ला डण्डा बरामदगी बाबत थी, जो प्रदर्श पी–14 है, जिन फर्दो पर उसके सी से डी हस्ताक्षर है। उक्त इत्तलाओ के आधार पर मुलजिम से एक मोटरसाईकिल व एक डण्डा जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 के जब्त किया था, तथा उक्त बरामदगी स्थलों का नक्शा मौका क्रमशः प्रदर्ष पी–17 व प्रदर्श पी–18 तैयार किया था, उक्त सभी फर्दो पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृतक पहलू खां का विसरा एसएचओ द्वारा उसके सामने थाने पर जब्त किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–12 है, जिसपर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम कालूराम व रविन्द्र ने डण्डा बरामदगी बाबत पृथक–पृथक इत्तलायें दी थी, जो क्रमशः प्रदर्श पी–19 व प्रदर्श पी–20 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन करते हुए इस कथन को गलत होना बताया कि मुलजिम कालूराम ने प्रदर्श पी–19 व रविन्द्र ने प्रदर्श पी–20 के जरिये इत्तला नहीं दी हो। उक्त इत्तला किस समय दी थी, तथा प्रदर्श पी–12 के जरिये विसरा किस समय जब्त किया था, का समय का उसे ध्यान नहीं होना बताया। गवाह ने उक्त कथन गलत बताये कि प्रदर्श पी–13 व प्रदर्श पी–14 के जरिये मुलजिम विपिन ने इत्तला नहीं दी हो, उक्त इत्तलायें किस समय दी थी, समय आज उसे ध्यान नही है। यह कहना भी गलत बताया कि विपिन ने जरिये फर्द प्रदर्श पी–15 के मोटरसाईकिल जब्त नही करायी हो तथा विपिन का बहरोड मे मकान नही हो। उसने विपिन के मकान के मालिकाना हक होने बाबत दस्तावेज नही देखा। मकान मे 25–30 कमरे नहीं है, कुल कितने कमरे है, आज उसे ध्यान नही है। वह मोटरसाईकिल जब्त वाले मकान मे इससे पूर्व नहीं गया था, आईओ साहब गये हों तो, उसे ध्यान नही है। उसे यह भी ध्यान नही है कि पहले मोटरसाईकिल जब्त की थी या डण्डा जब्त किया था। मोटरसाईकिल व डण्डे पर खून के निशान नहीं थे। बरामदगी स्थल पर कितने आदमी इकटठे हो रखे हो आज मुझे ध्यान नही है, आम रास्ता है, दो–चार आदमी होंगे। मोटरसाईकिल व डण्डा बरामदगी वाले कमरे मे अन्य क्या–क्या सामान हो, आज मुझे ध्यान नही है। जब हम घर मे गये तो घर मे केवल घर के लोग ही मौजूद थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–13 व प्रदर्श पी–14 के मेरे सामने इत्तला नही दी गयी हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–15 लगायत प्रदर्श पी–18 पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये हो बल्कि मौके पर किये थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–17 व प्रदर्श पी–18 नक्शा मौका मेरे सामने तैयार नहीं किया हो। यह सही है कि बरामदगी स्थल के पास मे कॉलेज व मकानात है, कॉलेज से आगे चलकर मंदिर है।

गवाह पी.ड.20 अभय सिंह, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.17 को थाना बहरोड मे कानि0 पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 255/17 मे मुलजिम दयानन्द को उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी–23 के गिरफ्तार किया था, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि मुलजिम दयानन्द को उसके सामने सीओ साहब लेकर आये थे, जिसको गिरफ्तार किया था।

गवाह पी.ड.21 संजय, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 05.04.17 को थाना बहरोड मे कानि0 पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर

255/17 मे मुलजिम कालूराम को उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी–21 के गिरफ्तार किया था, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त अभियोग में ही मुलजिम विपिन, रविन्द्र तथा दयानन्द को भी उसके सामने जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–21 लगायत प्रदर्श पी–23 के गिरफ्तार था, जिन फर्दो पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि मुलजिमानों को प्रदर्श पी–11 व प्रदर्श पी–21 लगायत प्रदर्श पी–23 की गिरफ्तारी में मुलजिमानों को तभी थाने पर लाये थे। यह कहना गलत बताया कि प्रदर्श पी–11 व प्रदर्श पी–21 लगायत प्रदर्श पी–23 पर उसके हस्ताक्षर बाद मे कराये हों।

गवाह पी.ड.22 दयाराम, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 09.04.17 को सीओ कार्यालय बहरोड मे एचसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुलजिम मिथुन द्वारा थाना बहरोड पर श्री परमाल जी आरपीएस, को मुकदमा नंबर 255/17 में इत्तला दी गयी थी, उसने मुलजिमान के साथ बेल्ट के साथ मारपीट की थी तथा उक्त नोटिस के आधार मुलजिम ने बेल्ट बरामद करवायी थी व बेल्ट बरामदगी का नक्शा मौका बनाया था। उक्त अभियोग में ही दिनांक 15.04.17 को वृत्त कार्यालय बहरोड मे श्री परमाल सिंह डीवाई एसपी के समक्ष रविन्द्र यादव निवासी रिवाली द्वारा उक्त अभियोग मे मारपीट के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाई थी, जो मोबाइल पेश किया था। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त अभियोग मे ही दिनांक 21.04.17 को योगेश उर्फ धौलिया निवासी बिजौरावास को परमाल सिंह आरपीएस द्वारा थाना बहरोड पर जरिये फर्द प्रदर्श पी–24 के गिरफ्तार किया गया था, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 22.04.17 को मुलजिम योगेश कुमार द्वारा थाना बहरोड पर श्री परमाल सिंह को दफा 27 की एक इत्तला, जिस स्थान पर मारपीट की थी, उस स्थान पर जाकर बताने बाबत दी थी, जो इत्तला प्रदर्श पी–25 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त इत्तला के आधार पर मुलजिम ने तस्दीक घटना स्थल किया था, जो नक्शा मौका प्रदर्ष पी–26 है, जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि उसने सीओ कार्यालय बहरोड में करीब 5–6 साल तक सर्विस की है। गवाह ने उक्त कथनों को सही होना बताया कि उसका कार्यालय जागूवास चौक के पास है, जागूवास चौक से जयपुर सिन्टेक्स

कम्पनी करीब डेढ–दो किलोमीटर दूर है तथा जयपुर से दिल्ली व दिल्ली से जयपुर एनएच 8 पर काफी वाहन हर समय आते–जाते रहते हैं, जागूवास चौक यातायात पुलिस का नाका है, जहां पर दो पुलिस कर्मी व होमगार्ड तैनात रहते है तथा बहरोड पुलिया के नीचे भी पुलिसकर्मी व होमगार्ड रहते है। गवाह ने यह सही होना बताया कि मुलजिम मिथुन के विरूद्ध इस न्यायालय मे विचारण नही चल रहा है, उसके विरूद्ध विचारण बाल न्यायालय, अलवर मे चल रहा है। गवाह ने उक्त कथनों को गलत बताया कि दिनांक 15.04.17 को मोबाइल पेश नहीं किया हो, जिसमें मारपीट की वीडियो बनाई थी तथा रविन्द्र ने वीडियो नहीं बनायी हो। गवाह ने उक्त कथनों से अनभिज्ञता जाहिर की कि प्रदर्श पी–4 फर्द तस्दीक मोबाइल कितने बजे बनायी थी, मोबाइल कैसे रंग था, मोबाइल कौनसे मॉडल का व किस नंबर का था, तथा फोन मे किस कम्पनी की सिम व सिम के नंबर क्या थे। मोबाइल के रविन्द्र के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उसके सामने जब्त नही किये है। धौलिया को थाने से गिरफतार किया था। घटना वाले दिन वह जागूवास चौक व जयपुर सिन्टेक्स कम्पनी नहीं गया। उक्त स्थान पर वह डिप्टी साहब के साथ निशादेही से पहले भी गया था। यह कहना गलत बताया कि योगेश ने उसके सामने डिप्टी साहब को दफा 27 की इत्तला नही दी हो तथा उसने योगेश को डरा धमका कर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये हों। यह स्वीकार किया कि वह डिप्टी साहब का रीडर था। गवाह ने तथाकथित इत्तला प्रदर्श पी–25 कितने बजे दी थी, तथा तथाकथित घटना स्थल पर जिस सरकारी वाहन से गया उसका चालक कौन था, आज ध्यान नहीं होना कथन किया। यह कहना गलत बताया कि उन्हें देखकर काफी लोग इकटठे हो गये हों। यह सही बताया कि जयपुर सिन्टेक्स के सामने चाय की दुकान है व जयपुर सिन्टेक्स की काफी फैक्ट्रियां है। मारूति सुजुकी का शोरूम वहां से 500 मीटर की दूरी पर है। वहां आस पास एपेक्स ट्यूब कम्पनी हो तो उसकी जानकारी में नही है। यह कहना गलत बताया कि प्रदर्श पी–26 सीओ कार्यालय में बैठकर बनाया हो। मौके पर करीब 15–20 मिनट रूके थे। क्या समय था, आज उसे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–26 पर योगश के हस्ताक्षर डरा धमका कर कोरे कागज पर कराये हो तथा वह झूंठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड.23 सतीश कुमार, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 22.04.17 को सीओ कार्यालय बहरोड मे कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन अभियोग संख्या 255/17 में सीओ साहब को मुलजिम योगेश ने दफा 27

की एक इत्तला मारपीट करने वाले स्थान बाबत दी थी, जो प्रदर्श पी–25 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त इत्तला के आधार पर मुलजिम ने तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल किया था, जो प्रदर्श पी–26 है, जिन पर उसके सी से डी हस्ताक्षर है।

गवाह ने **जिरह में** कथन करते हुए यह कथन स्वीकार किये है कि हमारा कार्यालय जागूवास चौक के पास है, जागूवास चौक से जयपुर सिन्टेक्स कम्पनी करीब डेढ–दो किलोमीटर दूर है, जागूवास चौक यातायात पुलिस का नाका है, जहां पर पुलिस कर्मी व होमगार्ड तैनात रहते है तथा पुलिया के नीचे भी पुलिसकर्मी व होमगार्ड तैनात रहते है, सीओ कार्यालय में भी 4–5 हाइवे पुलिस कर्मी रहते है, हाइवे पुलिस कर्मियो के पास पुलिस की अलग से सरकारी गाडी है तथा सीओ साहब के अलग से सरकारी गाडी है तथा सीओ साहब कार्यालय में करीब 10 कर्मचारियों का स्टाफ है। तथाकथित घटना वाले दिन वह व सीओ साहब तथा रीडर साहब व अन्य जागूवास चौक व जयपुर सिन्टेक्स कम्पनी के सामने गये थे। उसके बाद वह घटनास्थल पर एसपी साहब के आने पर नहीं गया। हम जयपुर सिन्टेक्स के सामने से ही नीमराना, शाहजहांपुर व दहमी व अन्य गांवो में गये व अन्य कई बार इसी रास्ते से गये। यह कहना गलत बताया कि योगेश ने सीओ साहब को कोई इत्तला नहीं दी हो। गवाह ने इत्तला दिनांक 22.04.17 को देना बताया तथा गवाह ने इत्तला कहां दी थी, ध्यान नहीं होना कथन किया। उसके हस्ताक्षर घटना स्थल जयपुर सिन्टेक्स के सामने कराये थे। रीडर साहब व सीओ साहब वहीं पर थे। हम घटना स्थल पर करीब10 मिनट रूके थे। प्रदर्श पी–25 व प्रदर्श पी–26 पर हस्ताक्षर सीओ कार्यालय पर नही किये थे बल्कि घटना स्थल पर किये थे। घटना स्थल पर हमारे अलावा अन्य कोई नही था। घटना स्थल के पूर्व व पश्चिम मे औद्योगिक क्षेत्र है परन्तु आस पास कोई कम्पनी नहीं है, चाय की दुकान भी घटना स्थल से 50 मीटर की दूरी है। घटना स्थल के पास मे एपेक्स ट्यूब भी है। मारूति शोरूम पास में हो तो उसके ध्यान में नही है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नही गया हो तथा सारी कार्यवाही सीओ कार्यालय में ही बैठकर की हो और वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

पी.ड.26 नीरज, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह रविन्द्र को नहीं जानता। पुलिस ने पहलू खां के केस मे उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की।

उसे इसकी कोई जानकारी नही है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा **जिरह** करने पर गवाह ने कथन किया कि फर्द जब्ती एक मोबाइल सेमसंग जे–7 प्रदर्श पी–4 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसके सामने कोई मोबाइल जब्त नही किया ओर उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत बताया कि वह रविन्द्र का मिलने वाला हो तथा उसके सामने पुलिस ने रविन्द्र का मोबाइल जब्त किया हो और वह मुलजिमानों को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

गवाह पी.ड.28 मोहरपाल, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 17.04.17 को पुलिस थाना बहरोड में कान्सटेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन अभियोग संख्या 255/17 में जब्तशुदा 3 पैकेट शील्डशुदा अवस्था में मालखाना इनचार्ज से प्राप्त कर एफ एस एल जयपुर में जमा करवाये थे व जमा की रसीद लाकर दी थी। जमा की रसीद प्रदर्श पी 28 है।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि यह पैकेट करीब एक बिलांद बडे थे। इनके अन्दर क्या था, उसे नहीं पता, क्योंकि शीलबन्द थे। शील पर क्या मार्का अंकित था, उसे आज याद नहीं है। वह उस दिन केवल इस मुकदमे का माल लेकर, जयपुर, एस एच ओ के आदेश से गया था। उसे लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था।

गवाह पी.ड.29 गिर्राज प्रसाद, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 06.04.2017 को थाना बहरोड में मालखाना इनचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन अभियोग संख्या– 255/2017 में जब्त शुदा 4 पैकेट सीलशुदा अवस्था में उसे मालखाने में जमा हेतु प्राप्त हुऐ। जिन पर मार्का ए,बी,सी,डी अंकित था। उन पैकेटो में से मार्का ए,बी,सी पैकेटो को कानि. राकेश कुमार द्वारा एएसएल जयपुर में जमा कराया था तथा मार्का डी पैकेट को पैथेलोजी विभाग एस.एम.एस मैडिकल कॉलेज में जमा कराया था। मालखाना जमा के समय मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 824 पर इन्द्राज किया था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 29 है जिसकी छायाप्रति प्रदर्श पी 29–ए है। उक्त अभियोग में एक मोटरसाइकिल आर.जे 02 यूएस 9823, रंग काला आई.ओ ने उसे जमा मालखाना करने हेतु दी थी व एक सीलशुदा डण्डा जो मुलजिम विपिन से बरामद किया गया था, आई.ओ ने उसे जमा मालखाना करने को दिया था जिन्हें उसने जमा मालखाना कर रजिस्टर क्रमांक 858 पर

इन्द्राज किया था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्ष पी 30 है। रजिस्टर की छायाप्रति प्रदर्श पी 30–ए है। उक्त जमाशुदा मोटरसाईकिल को श्रीमान ए.सी.जे.एम. बहरोड के आदेश क्रमांक 923 दिनांक 15.05.2017 के अनुसार विजय पुत्र रामस्वरूप के सुपूर्द किया था।

गवाह ने **जिरह में** कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि पैकेट कितने बडे थे, उसने पैकेट नापे नहीं थे। पैकेट के अन्दर पोस्टमार्टम के समय जो लिया गया था वो था। उसके पास मालखाने में माल जमा कराने सी.एच.सी. बहरोड का स्वीपर लेकर आया था। यह कहना गलत है कि जब उसे पैकेट मिले जब वह शील्ड ना हो। हॉस्पिटल की सील थी, सील का मार्का उसे नहीं पता। जो स्वीपर मेरे पास माल लेकर आया था उसके हस्ताक्षर उसने मालखाना रजिस्टर मे नहीं करवाये, क्योंकि उसके हस्ताक्षर नहीं होते। माल एफ.एस.एल. भेजने हेतु माल राकेश कानि. को नहीं दिया था, एच.एम. थाने को दिया था। एच.एम. ने राकेश को दिया था। मोटरसाईकिल कौन लेकर आया यह उसे नहीं पता, उसे तो आई.ओ ने दी थी। मालखाना रजिस्टर में आई.ओ के हस्ताक्षर नहीं करवाये। यह सही बताया कि मोटरसाईकिल का इंजन और चेचीस नंबर मालखाना रजिस्टर में अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा डण्डा आज उसके सामने नहीं है।

गवाह **पी.ड. 34 मौहम्मद अब्बास** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.04.2017 को पहलू खां का पोस्टमार्टम हुआ था। पहलू खां के पंचायतनामे की कार्यवाही पुलिस ने उनके सामने की थी। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–34 है, जिस पर सी से डी स्थान पर पंचान की राय है और ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उनके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–34 पर कोरे कागज पर कराये हों।

गवाह पी.ड. 35 मौहम्मद कयूम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.04.2017 को पहलू खां का पोस्टमार्टम हुआ था। पहलू खां के पंचायतनामे की कार्यवाही पुलिस ने उनके सामने की थी। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–34 है, जिस पर सी से डी स्थान पर पंचान की राय है और जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

गवाह ने **जिरह में** इस कथन को गलत बताया है कि उनके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–34 पर कोरे कागज पर कराये हों।

गवाह **पी.ड. 36 साहबुदीन** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.04.2017 को पहलू खां का पोस्टमार्टम हुआ था। पहलू खां के पंचायतनामे की कार्यवाही पुलिस ने उनके सामने की थी। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–34 है, जिस पर सी से डी स्थान पर पंचान की राय है और आई से जे स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

गवाह ने **जिरह** में इस कथन को गलत बताया है कि उनके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–34 पर कोरे कागज पर कराये हों।

गवाह **पी.ड. 37 जान मौहम्मद** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.04.2017 को पहलू खां का पोस्टमार्टम हुआ था। पहलू खां के पंचायतनामे की कार्यवाही पुलिस ने उनके सामने की थी, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श–पी 34 है, जिस पर सी से डी स्थान पर पंचान की राय है और के से एल स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

जिरह में इस गवाह ने इस कथन को गलत बताया है कि उनके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–34 पर कोरे कागज पर कराये हों।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जो इस प्रकार हैं –

–विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2003 (3) R.C.R. (Criminal) 1: (2003) 6 SCC 73, Visveswaran Vs State के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण में यह आवश्यक नहीं है कि मुल्जिमान की शिनाख्तगी परेड दौराने अनुसंधान अथवा न्यायालय में करवायी ही जाये, जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य अथवा अन्यथा दोषसिद्धि साबित होती हो, अपराध के गठन को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है।

–जबकि विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2019(1) Cr.L.R. (Raj.) 137, Mohan lal Gamar & Ors. Vs State of Rajasthan के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एफ.आई.आर में मुल्जिमान के नाम नामजद नहीं थे तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुल्जिमान को बापर्दा भी नहीं रखा गया। चश्मदीद गवाहों ने भी अपने बयानों में मुल्जिमान के नाम नहीं दिये। शिनाख्तगी

परेड नहीं की गयी तथा रक्तसमूह का भी निर्धारण नहीं किया गया व असल एफ.एस.एल रिपोर्ट भी पेश नहीं की गयी। जहां एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन भी घ ाटना के छ माह बाद किया गया, उसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। यह अभिनिर्धारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हत्या के मामले में दोषसिद्धि अवैध मानते हुए अपास्त की गयी व अपील स्वीकार की गयी। इसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय को अभिनिर्धारित करना हो, वहां मुल्जिमान के अधिवक्ताओं द्वारा गवाहों से जिरह के दौरान भी चक्षुदर्शी साक्ष्य के द्वारा शिनाख्तगी परेड करायी जा सकती है। जहां अनुसंधान अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम दफा 27 के तहत कोई इत्तला मुल्जिम से प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में नक्शामौका जहां घटना घ ाटित हुई वह साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता जहां पर अनुसंधान अधिकारी के ज्ञान में उस नक्शेमौके ही पहले से जानकारी हो/उसने देख रखा हो।

हस्तगत प्रकरण में भी शिनाख्तगी परेड नहीं करायी गयी और न ही मजरूबान/आहतगण/चक्षुदर्शी गवाह संख्या 38, 39, 41, 42 द्वारा न्यायालय में ही दौराने साक्ष्य मुल्जिमान की पहचान करने में असफलता जतायी। अनुसंधान अधिकारी ने अपने न्यायालय बयानों में स्पष्ट किया है कि उसने मौका पूर्व से देख रखा था।

2017(1) Cr.L.R. (Raj.) 451, Dharmendra Vs State of Rajasthan के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में स्पष्ट किया है कि जहां हत्या के मामले में अंतिम बार देखे जाने की विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हो, तात्विक साक्ष्य ''सी'' को परीक्षित नहीं किया गया। मोबाईल फोन के संबंध में शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे में केवल मोबाईल फोन की बरामदगी पर्याप्त नहीं है। घटनास्थल पहले से ही पुलिस की जानकारी में था। ऐसे में अभियुक्त द्वारा मौके की शिनाख्तगी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रकटीकरण बयान स्वतंत्र गवाह द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है, ऐसे में हत्या के मामले में विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त किया गया है।

2018(3) Cr.L.R. (Raj.) 1384, Sanjay @ Mahendra @ Dholu Nath & Anr. Vs State of Rajasthan के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी स्पष्ट किया है कि जहां गवाहों ने अभियुक्तों को घटना के पूर्व नहीं देखा हो और शिनाख्तगी परेड नहीं करवायी गयी हो और अभियुक्तों को कोर्ट में भी चक्षुदर्शी साक्ष्य गवाहों ने शिनाख्त न

किया हो। जहां से अभियुक्तगण से 350 किलोमीटर की दूरी से अभियुक्त के मकान से बरामदगी दिखायी हो और बरामदगी के गवाहों द्वारा बरामदगी स्थल के मकान का विवरण देने में असफल रहने पर, ऐसी वस्तुओं की बरामदगी ही संदेहास्पद और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रहा।

हस्तगत प्ररकण में भी मोटरसाईकिल व लाठी की बरामदगी के संबंध में गवाह जहां मुल्जिम विपिन से बरामदगी उसके मकान से करना बताया है वहां पर बरामदगी के गवाहान मकान का विवरण बताने में असफल रहे है तथा अनुसंधान अधिकारी ने भी यह स्पष्ट किया है कि मकान के मालिकाना हक के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये और बरामदगी घटनास्थल से भी नहीं हुई।

–विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2- Special Leave Petition (CRL.) No. 2302 of 2017 Shafhi Mohammad Vs The State of Himachal Pradesh, Order Dated 30 January, 2018

3- Criminal Appeal No. 228 of 2008. D/d. 23-07-2013, Kaliya Vs State Of Madhya Pradesh

4- Civil Appeal No.10585 of 1996. D/d. 08-10-2003, R.V.E. Venkatachala Gounder Vs Arulmigu Viswesaraswami and ors. के मामलों में मुख्य रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां–

1. इलक्ट्रोनिक दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के अधिपत्य में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी)(4) का प्रमाण पत्र नहीं हो तो उसके बिना पेश किये भी न्यायहित में यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो इलक्ट्रोनिक दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य करना चाहिए लेकिन यह न्यायालय का समाधान हो जाना चाहिए उस दस्तावेज के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2. जहां मूल दस्तावेज नष्ट हो गया हो अथवा खो गया हो वहां द्वितीयक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(सी), धारा 63 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है लेकिन न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि मूल दस्तावेज का नष्ट हो जाना अथवा खो जाना जो पक्ष न्यायालय में कहता है वह उसे

साबित भी करे और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उस दस्तावेज का वह दुरूपयोग नहीं कर रहा हो।

3. साक्ष्य अधिनियम की धारा 64, धारा 65 तथा सी.पी.सी के आदेश 13 नियम 4 के तहत फोटोकॉपी को भी साक्ष्य में ग्राह्य किया गया, जहां पर विरोधी पक्ष द्वारा उस साक्ष्य को पेश करते समय व प्रदर्श मार्क करते समय न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गयी।

लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

जबकि विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

AIR 2015 Supreme Court 180, Anvar P.V. Vs. P.K. Basheer and others के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इलक्ट्रौनिक दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राह्यता के संबंध में धारा 65(बी) का प्रमाण पत्र आवश्यक है। जहां अपीलार्थी द्वारा कम्प्यूटर में फीड स्पीच, अनाउंसमेंट्स, इमेजेस अन्य यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और उनकी सी.डी तैयार की गयी लेकिन 65(बी) साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में ऐसे इलक्ट्रोनिक दस्तावेजात को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

हस्तगत प्रकरण में पी.ड 30 रमेश सिनसिनवार अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय बयानों में जिरह में पेज नंबर 7 पर इस बात को स्वीकार किया है कि मुखबिर ने मुझे मौके का वीडियो दिया जिससे मैंने फोटो बनवाये। किन्तु अनुसंधान अधिकारी ने न तो स्व्यं के मोबाईल फोन को एफ.एस.एल भेजा गया और न ही मुखबिर के मोबाईल से उसने वीडियों को स्वयं के मोबाईल में किय यंत्र व किस विधि से लिया यह स्पष्ट नहीं किया है। वीडियो उसके मोबाईल से मूल ही लिया गया हो उससे कोई छेडछाड नहीं की गयी हो, इस संबंध में कोई एफ.एस.एल जांच भी नहीं करवायी गयी है। पी.ड 30 अनुसंधान अधिकारी (प्रथम) रमेश सिनसिनवार के न्यायालय बयान प्रदर्श पी 57 लगायत प्रदर्श पी 99 के समय न्यायालय में अधिवक्ता मुल्जिमान द्वारा आपत्ति(प्रदर्श डालने बाबत) किये जाने पर न्यायालय द्वारा सशर्त प्रदर्श डलवाये गये कि साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में बहस अंतिम के समय सुनकर निर्णित किया जायेगा।

दौराने बहस अंतिम उभयपक्षों को इस बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी व विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा संयुक्त रूप से बहस में यह निवेदन

किया कि न्यायालय द्वारा जो प्रदर्श डाले गये है वह साक्ष्य में ग्राह्य किये जाये और ग्राह्य नहीं किये जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से यह निवेदन किया गया कि केवल मात्र प्रदर्श डाल दिये जाने से वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो जाता जब तक कि अभियोजन साक्ष्य द्वारा अपनी साक्ष्य से साबित नहीं कर दिया जाता और उनके द्वारा साबित नहीं किया गया है, इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती। उपरोक्त विवेचानुसार जो स्थिति अनुसंधान अधिकारी पी.ड 30 रमेश सिनसिनवार के बयानों से आयी है उसको देखते हुए अभियोजन द्वारा की गयी इन प्रदर्शों के संबंध में कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है, ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी 57 से प्रदर्श पी 99 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किये जा सकते। एतद्द्वारा यह बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

–विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

- Criminal Appeal No. 1525 of 2009, Vinubhai Ranchhodbhai Patel Vs Rajivbhai Dudabhai Patel and ors. Order Dated 16-05-2018

- Criminal Appeal No. 299 of 2010, Dev Karan @ Lambu Vs State Of Haryana, Ord.Dt. 06-08-2019

- Criminal Appeal No. 162 of 2006, Ramachandran and ors. Vs State Of Kerala, Ord. Dt. 02-09-2011

- Criminal Appeal No. 830 of 2005, Mohinder Singh and ors. State Of Punjab, Ord. Dt. 24-03-2006

- Criminal Appeal No. 783-784 of 2016, Bharwad Navghanbhaj jakshibhai and ors. State Of Gujrat Ord. Dt. 29-08-2016 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा VICARIOUS LIABILITY अंतर्गत धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि यदि अभियोजन न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का अवैध गठन साबित कर देता है तो उस अवैध गठन का प्रत्येक सदस्य जो अपराध कारित किया गया उस पूरे अपराध के लिये दोषी होगा। अवैध गठन के किसी सदस्य का विशिष्ट रूप से उसके द्वारा क्या चोट कारित की गयी/आहत किसकी चोट से मरा आदि पृथक–पृथक साबित करने की अभियोजन को आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र अवैध गठन का सदस्य होना ही पर्याप्त है।

अवैध गठन का सामान्य उद्देश्य के लिए भी यह आवश्यक नहीं है पूर्व नियोजित योजना को अभियोजन साबित करे। ऐसा उद्देश्य घटनास्थल पर उसी समय ही हो सकता है। यह न्यायालय को तय करना है कि वह यह देखे की अपराध कारित करते समय सभी अभियुक्तों का अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य था?

जहां तक बडी संख्या में लोगों द्वारा एकत्रित होकर कोई अपराध कारित किया जाता है तो यह संभावना है कि उस अवैध सभा के कुछ सदस्यों द्वारा अपराध कारित किया जाये और अन्य शेष सदस्यों द्वारा उस अपराध को कारित करने में भाग न लिया जाये। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जहां हत्या के मामले में गंभीर चोटों से हत्या हुई हो, तो विधायिका को ऐसे अपराधों के संबंध में VICARIOUS LIABILITY तय करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 एक ऐसा उपबंध किया गया है जहां बडी संख्या में पीडित/आहत/VICTIM पर हमला किया जाता है। समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए गलत प्रवेश(WRONG DOERS) को रोकने के लिए (जो सक्रिय रूप से एकत्रित होकर अपराध को घटित करने में सहयोग करते है) ऐसे में पृथक–पृथक से, प्रत्येक मुल्जिम के द्वारा क्या अपराध कारित किया गया, यह साबित किया जाना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अवैध सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों/मुल्जिमान का सामान्य उद्देश्य साबित हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति/मुल्जिम उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

न्यायालय उपरोक्त सिद्धांत से पूर्णतः सहमत है और सही विधिक स्थिति है।

–जबकि विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2018(3) Cr.L.R. (Raj) 1189, Mohd. Bilal & Ors. Vs State of Rajasthan के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विधि विरूद्ध समुह में केवल उपस्थिति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149, 147, 148 को आकर्षित करने हेतु पर्याप्त नहीं है, जब तक की सक्रिय रूप से भाग न लिया हो।

–विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

Criminal Appeal No. 47-48 of 2013, Ashok Debbarma@Achak Debbarma Vs State Of Tripura, Ord. Dt. 04-03-2014 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 161 सीआरपीसी के अधीन, जहां कोई गवाह अपने सगे भाई, पुत्री तथा पत्नी को खो देता है तो ऐसी दुखद परिस्थिति में उस गवाह की मानसिक स्थिति को सामान्य नहीं कहां जा सकता और वह मुल्जिमान के नाम नहीं बता सकता लेकिन हो सकता है कि चेहरा बता सके। केवल मात्र 161 सीआरपीसी के बयानों मुल्जिमान के नाम नहीं बताने से न्यायालय के समक्ष यदि मुल्जिमान के नाम गवाहों के द्वारा बताये जाते है तो केवल इसी आधार पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि गवाह ने 161 सीआरपीसी के बयानों में उनके नाम नहीं बताये थे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयानों का उद्देश्य केवल मात्र विरोधाभास (CONTRADICTION) की हद तक उपयोग किया जा सकता है, संपुष्टि हेतु नहीं किया जा सकता।

Criminal Appeal No. 1067 of 2001, Alamgir Sani Vs State Of Assam, Ord. Dt. 20-12-2002 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मानवीय स्वभाव बहुत जटिल है। प्रत्येक व्यक्ति अंतर्गत दबाव/अचानक शोकाग्रस्त स्थिति/दुखद स्थिति में भिन्न–भिन्न रूप में प्रतिक्रिया देता है। ऐसे में प्रत्येक केस के तथ्यों व परिस्थितियों के अधीन ही परीक्षण किया जा सकता है। इस हेतु कोई अपरिवर्तनीय नियम(HARD AND FAST RULE) स्थापित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय उक्त प्रतिपादित सिद्धांतों से पूर्ण रूप से सहमत है।

–विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2011 C.r.L.R. (SC) 160, Brundaban Moharana & Anr Vs State of ORISSA के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 मृत्युकालिक कथन के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड करने से पूर्व जिस चिकित्सक द्व ारा मृतक का ईलाज किया जा रहा हो, उस चिकित्सक का इस आशय का पृष्ठांकन, कि वह आहत बयान देने के लिए FIT हो। यदि ऐसी कोई घ ोषणा/पृष्ठांकन डॉक्टर द्वारा नहीं किया गया है तो उसके अभाव में मृत्युकालिक

कथन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर सर्वोच्च न्ययालय द्वारा अपील स्वीकार की गयी।

–विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2010(1) C.r.L.R. (Raj.) 183, State of Rajasthan Vs Misariya & ORS. के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन पर विश्वास नहीं किया गया, वह सही था। यह अपील दोषमुक्ति के खिलाफ की गयी थी। वहां मृत्युकालिक कथन पर यह संदेह उत्पन्न हुआ कि मृतक ''जी'' ने कोई बयान दिया, ऐसी स्थिति में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुसंधान द्वारा बयान प्रदर्श पी 3 कूटरचित किया गया हो और अपील को खारिज किया।

–विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2008(1) C.r.L.R. (Raj.) 286, Arjun Ram & ORS. Vs State of Rajasthan के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट के बिना एस.एच.ओ के द्वारा मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड किया जाता है तो इसके लिए आवश्यक है कि दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एस.एच.ओ मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड करे। इस प्रकरण में मृतका की मां पी.ड 15 ने उसकी पुत्री मिर्गी से पीडित होने व किसी भी समय गिर सकने का न्यायालय बयानों में कथन किया था। पोस्टमार्टम के समय चिकित्सक ने जलने की चोट भी नहीं पायी। पी.ड 10 का बयान किसी भी स्वतंत्र गवाह से संपुष्ट नहीं होता और इस कारण मृत्युकालिक कथन की सत्यता को संदेहास्पद पाया गया। यह 304(बी) दहेज मृत्यु का केस था, जिसमें मृतका के शरीर पर मौजूद चोटों की संख्या के बारे में भिन्नता थी।

–विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

2016(1) Cr.L.R. (Raj.) 334, State of Rajasthan Vs Hansa Ram & Ors. के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 अंतर्गत आरोप से दोषमुक्ति के खिलाफ अपील किये जाने पर यह स्पष्ट किया कि विचारण न्यायालय ने चोट नंबर 1 के अलावा अन्य सभी चोटे

साधारण थी, एक्सरे की अनुपस्थिति में चोट नंबर 1 के लिये राय नहीं ली व डॉक्टर पी.ड 10 ने स्वीकार किया कि चोटें सीडियों से गिरने से आना संभव है और यह भी स्पष्ट किया कि केवल टूटी पसलियों से मृत्यु संभव नहीं है। टूटी पसली फेंफडों में घुसी और मृत्यु हुई, मृतक को अस्पताल में गाडी में लाया गया और फिर सिरोही वाहन में ले गये, मृतक के गले के नीचे मालिश भी की। विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर जो अविश्वास किया उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया और निर्णय में कोई अवैधता नहीं पायी गयी और अपील खारिज की गयी।

–विद्वान अधिवक्ता मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

AIR 1965 SC 364, Mahendra Manilal Nanavati Vs Sushila Mahendra Nanavati का मामला सिविल मामले(सी.पी.सी) से संबंधित होने से विवेचन की यहां न्यायालय आवश्यकता नहीं समझता।

अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में घटना दिनांक 01.04.2017 को सांय करीब 6–7 बजे की एन.एच. 08, बहरोड पुलिया के पास की बताई गई है। घ टना के तुरन्त पश्चात् मौके पर पुलिस का पहुॅचना और भीड से मजरूबान पहलू खॉ, इरशाद, अजमत, आरिफ और रफीक को छुडाकर उन्हें कैलाश अस्पताल, बहरोड में भर्ती कराना तथा पिकअप में मिली गायों को गौशाला में जमा कराना बताया गया है। तत्पश्चात् समय 11:50 पी.एम. पर एस.एच.ओ. पुलिस थाना बहरोड रमेश सिनसिनवार द्वारा कैलाश अस्पताल, बहरोड में भर्ती मजरूब पहलू खॉ का पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 दर्ज किया गया, जिसमें मजरूब पहलू खॉ ने यह बयान दर्ज कराया कि :–

''दिनांक 01.04.2017 को मैं व मेरा लडका आरिफ व इरसाद एच.आर. 61 सी 3525 पिकअप गाडी में जयपुर हटवाडा से दो गाय ब्याही हुई 45,000 रूपये में खरीद कर समय करीब 4.00 पी.एम. पर जयपुर से हमारे गॉव जयसिंहपुर, नूॅह मेवात लेकर जा रहे थे। हम गाय बेचने के लिये लेकर आये थे। समय करीब 7.00 बजे जब हम बहरोड पुलिया के आगे निकलते ही करीब 200 आदमियों ने हमारी पिकअप गाडी को रूकवा लिया तथा हमसे गाली गलौंच करने लगे तथा मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करते समय ये लोग आपस में ओम यादव, हुक्मचन्द यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी व जगमाल नाम बोल रहे थे तथा अपने आप को विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे थे। ये सभी व्यक्ति अपना–अपना नाम बताकर ये कह रहे थे की जो भी बहरोड में होकर गाय लेकर

गुजरेगा, उसके साथ ऐसे ही मारपीट करेंगे। इन लोगों ने हमारे साथ लाठी, डण्डों, लात–घूंसों से मारपीट कर हमारे कपडे फाड दिये तथा हमारी जेबों में रखे पैसों को भी ले गये। जब हम घायल होकर सडक पर पड गये तो इन लोगों ने हमारी पिकअप गाडी को भी तोड दिया। उसी समय हमारी दूसरी पिकअप गाडी भी आ गई। जिस पर अजमत व रफीक थे, जिसमें तीन गायें थी। उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की तथा उनके पैसे छीनकर ले गये। मारपीट से मेरे सिर, मुॅह पर गम्भीर चोट आई है। फिर पुलिस आ गई और हमें एम्बुलेंस में बैठा कर इलाज हेतु कैलाश अस्पताल, बहरोड में भर्ती करवा दिया। मारपीट के समय कुछ लोगों ने हमारे मोबाइल से फोटो लिये थे।''

उक्त पर्चा बयान पर रमेश सिनसिनवार, एस.एच.ओ. द्वारा यह नोट भी अंकित किया गया है कि ''ड्यूटी डॉक्टर श्री अखिल सक्सैना को पर्चा बयान पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं प्राइवेट डॉक्टर हूॅ। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता हूॅ। इसलिये मैं पर्चा बयान पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। ड्यूटी डॉक्टर ने पर्चा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना किया।''

तत्पश्चात् उक्त पर्चा बयान पर पुलिस थाना बहरोड में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 255/2017, अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 308, 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। इलाज के दौरान दिनांक 03.04.2017 को मजरूब पहलू खॉ की मृत्यु हो गई, जिस पर मामले में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोडी गई। मामले में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 308, 379, 427, 302 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया है कि पहलू खॉ की मृत्यु मारपीट में आई चोटों के कारण नहीं हुई है, बल्कि मृतक पहलू खॉ पूर्व से ही अस्थमा और ह्दय रोग का मरीज था, जिसके ह्दय की आर्टरी में स्टन्ट

मौजूद थे और पहलू खॉ की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। इस संबंध में पहलू खॉ का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने न्यायालय के समक्ष इस संबंध में बयान दिये हैं और यह कहा है कि पहलू खॉ के आई चोटों से उसकी मृत्यु होना सम्भव नहीं था।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो दो प्रकार की चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर है, एक तरफ उन चिकित्सकों की साक्ष्य है, जिनके द्वारा मजरूब पहलू खॉ का कैलाश अस्पताल, बहरोड में भर्ती रहने के दौरान इलाज किया गया। दूसरी तरफ उन चिकित्सकों की साक्ष्य है, जिनके द्वारा मृतक पहलू खॉ के शव का परीक्षण किया गया। मजरूब पहलू खॉ का इलाज करने वाले चिकित्सकों में गवाह पी.ड. 01 डॉ. वी.डी. शर्मा, पी.ड. 02 पियूष प्रभात, पी.ड. 04 डॉ. जितेन्द्र बूटोलिया, पी.ड. 05 डॉ. अखिल सक्सैना तथा पी.ड. 06 डॉ. रामचन्दर यादव हैं, जिन्होंने अपने बयानों में मजरूब पहलू खॉ का इलाज करना और उसकी हालत में सुधार होना बताया है तथा दिनांक 03.04.2017 को उसकी ह्दय गति रूकने से मृत्यु होना बताया है। उक्त पॉचों साक्षीगण की साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो उन्होनें मजरूब पहलू खॉ की छाती में तीन–चार पसलियों में फ्रैक्चर होना बताया है तथा गवाह पी.ड. 05 डॉ. रामचन्दर यादव, जिनके द्वारा मजरूब पहलू खॉ का एक्स–रे व सोनोग्राफी करवाई गई है, ने एक्स–रे में छाती में दोनों तरफ की पसलियॉ टूटी होना तथा सोनोग्राफी में छाती में थोडा सा ब्लड होना बताया है।

दूसरी तरफ मृतक पहलू खॉ का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक पी.ड. 10 डॉ. पुनित तिवारी, पी.ड. 11 डॉ. रविकान्त यादव तथा पी.ड. 25 डॉ. पुष्पेन्द्र जैन की साक्ष्य है, जिन्होंने स्वयं का मृतक पहलू खॉ का पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड में होना तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–06 तैयार करना कथन किया है। गवाह पी.ड. 10 डॉ. पुनित तिवारी ने कथन किया है कि देह का विच्छेदन करने पर 10 x 7 सेमी. आकार का हिमाटोमा छाती में दोनों तरफ फैला हुआ था। दोनों तरफ की कई पसलियों में अस्थिभंग पाया गया और छाती की मॉसपेशियॉ जगह–जगह फटी हुई थी। दोनों फेफडों में मिडिल व लोवर लॉब में अधिक संख्या में लेसरेसन मौजूद थे तथा लगभग 1000 से 1200 एम.एल. तक खून छाती में

मौजूद था। साइज 2 X 1 सेमी. का लेसरेसन प्लीहा में बेस की तरफ था। साइज 3 X 0.5 सेमी. का एक लेसरेसन बांयी किडनी में ऊपरी सिरे पर था। पूरी अबडोमनल केविटी में 1200 से 1400 एम.एल. तक खून भरा हुआ था। बहुसंख्यक लेसरेसन 1 से 2 सेमी. के पेट व छाती की मॉसपेशियों में भी थे। फेफडों की झिल्ली दोनों तरफ से फटी हुई थी। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण छाती एवं पेट में आई बहुत सारी चोटों के कारण हुये अत्यधिक रक्तस्राव से हुई थी।

इस प्रकार मृतक पहलू खॉ का पोस्टमार्टम करने वाले तीनों चिकित्सकों ने उसकी मृत्यु छाती एवं पेट में आई बहुत सारी चोटों के कारण हुये अत्यधिक रक्तस्राव से होना बताया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–06 तैयार की है। यह सही है कि पहलू खॉ का इलाज करने वाले चिकित्सकों ने इलाज से उसकी सेहत में सुधार होना तथा उसकी मृत्यु आई हुई चोटों से नहीं हो सकने के संबंध में साक्ष्य दी है, किन्तु उस स्थिति में जबकि उक्त साक्षीगण ने भी पहलू खॉ के छाती में पसलियों में फ्रैक्चर होना तथा सोनोग्राफी में छाती में ब्लड होने की साक्ष्य दी है, ऐसी स्थिति में उक्त चोटों से शरीर के अंदर हुये रक्तस्राव के संबंध में शव खोलने के पश्चात् ही सम्पूर्ण राय दी जा सकती थी, जो कि मृतक पहलू खॉ का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक पी.ड. 10 डॉ. पुनित तिवारी, पी.ड. 11 डॉ. रविकान्त यादव तथा पी.ड. 25 डॉ. पुष्पेन्द्र जैन ने दी है और मृतक की छाती व पेट में आई चोटों से हुये अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु होना बताया है। इस प्रकार मृतक पहलू खॉ का इलाज करने वाले चिकित्सकों की साक्ष्य की तुलना में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है, जो शव को खोलने के बाद शरीर की आन्तरिक स्थिति को देखते हुये दी गई है, जबकि इलाज कर रहे चिकित्सकों की साक्ष्य मात्र पहलू खॉ की ऊपरी स्थिति व पूर्व में अस्थमा व ह्दय रोगी होने को देखते हुये सम्भावनाओं के आधार पर दिया जाना प्रकट होता है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में मृतक पहलू खॉ की मृत्यु उसके शरीर पर आई चोटों के कारण हुये अत्यधिक रक्त स्राव से होना पाया जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड. 13 डॉ. अमित यादव ने मजरूबान इरशाद, अजमत, आरिफ व रफीक के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण करना और उनके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–07 लगायत पी–10 तैयार करना कथन

किया है। स्वयं मजरूबान पी.ड. 38 इरशाद, पी.ड. 39 अजमत, पी.ड. 41 आरिफ तथा पी.ड. 42 रफीक ने मारपीट में स्वयं के चोटें आना कथन किया है, जिनकी पुष्टि चिकित्सीय साक्षी पी.ड. 13 डॉ. अमित यादव ने की है। अतः मारपीट में मजरूबान इरशाद, अजमत, आरिफ व रफीक के शरीर पर कुंद हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें आना पाया जाता है।

अब न्यायालय को यह तय करना है कि क्या पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है कि उक्त मारपीट अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई है, जिससे मजरूबान इरशाद, अजमत, आरिफ व रफीक के साधारण प्रकृति की चोटें आई तथा मजरूब पहलू खॉ की मृत्यु कारित हुई? इस संबंध में पत्रावली पर मृत्यु से पूर्व पहलू खॉ द्वारा दर्ज कराया गया पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 है, जिसमें 200 आदमियों द्वारा उनकी पिकअप गाडी को रूकवाना, गाली गलौच करना, मारपीट करना और मारपीट करते समय आपस में ओम यादव, हुक्मचन्द यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी व जगमाल नाम बोलना तथा अपने आपको विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता कहना बताया है। दौराने अनुसंधान दिनांक 02.04.2017 को मजरूबान पहलू खॉ, इरशाद, अजमत, आरिफ और रफीक के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान लिये गये। मजरूब पहलू खॉ ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में दो मोटरसाईकिल पर 05 व्यक्तियों का आना, उनकी पिकअप गाडी को रूकवाना और उनके साथ मारपीट करना बताया है। उन पॉचों व्यक्तियों के नाम पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 के अनुसार ही ओम यादव, हुक्मचन्द यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी व जगमाल बताये हैं। गवाह इरशाद व आरिफ, जो कि मजरूब पहलू खॉ के पुत्र हैं, ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श डी–11 व डी–13 में दो मोटरसाइकिल पर 05 व्यक्तियों का आना और रोककर मारपीट करना बताया है। गवाह अजमत तथा रफीक ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श डी–12 व डी–14 में अपने आपको दूसरी गाडी में थोडी देर बाद मौके पर पहुॅचना और मौके पर 8–10 मोटरसाइकिलों द्वारा गाडी रोके रखना और उनके साथ मारपीट करना बताया है। गवाह इरशाद, अजमत, आरिफ और रफीक ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में मारपीट करने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है।

इस प्रकार मृतक पहलू खॉ द्वारा मृत्यु से पूर्व दिये गये पर्चा बयान तथा मजरूबान पहलू खॉ, इरशाद, अजमत, आरिफ और रफीक द्वारा अनुसंधान के दौरान दिये गये धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्तगण, जिनके विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में विचारण किया जा रहा है, के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में मजरूब पहलू खॉ का पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 घटना के लगभग पॉच घण्टे बाद कैलाश अस्पताल, बहरोड में आई.सी.यू. वार्ड में भर्ती रहने के दौरान एस.एच.ओ., बहरोड रमेश सिनसिनवार द्वारा लिया गया है, किन्तु उक्त पर्चा बयान दर्ज करने से पूर्व उनके द्वारा चिकित्सक से मरीज के बयान दे सकने की स्थिति में होने के संबंध में कोई प्रमाण–पत्र नहीं लिया गया है और पर्चा बयान को इलाज कर रहे चिकित्सक ने प्रमाणित भी नहीं किया है। इस प्रकार गम्भीर हालत में आई.सी.यू. वार्ड में भर्ती मरीज के बयान देने की स्थिति में होने अथवा नहीं होने का प्रमाण–पत्र नहीं लेना और सीधे बयान लेकर चिकित्सक से हस्ताक्षर करने के लिये कहना भी पुलिस अधिकारी की गम्भीर लापरवाही को दर्शित करता है। इसके अतिरिक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त पर्चा बयान दिनांक 01.04.2017 को समय 11:50 पी.एम. पर दर्ज किया गया है, किन्तु उक्त पर्चा बयान को मुकदमा दर्ज करने हेतु थाने पर अगले दिन दिनांक 02.04.2017 को दोपहर 03:54 पी.एम. पर लगभग 16 घण्टे बाद दिया गया है, जो भी पुलिस अधिकारी रमेश सिनसिनवार की मामले में गम्भीर लापरवाही को दर्शित करता है।

पुलिस अधिकारी रमेश सिनसिनवार न्यायालय में पी.ड. 30 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में टेलीफोन पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुॅचना, वहॉ पर 200–250 व्यक्तियों की भीड इकट्ठी होना, घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराना, मजरूब पहलू खॉ का पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 दर्ज करना, एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–32 दर्ज करना, अनुसंधान के दौरान गवाहान पहलू खॉ, इरशाद, अजमत, आरिफ और रफीक के बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करना, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–33 तैयार करना, दिनांक 03.04.2017 को मजरूब पहलू खॉ की मृत्यु होने पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोडना, मृतक का पोस्टमार्टम कराना, पंचायतनामा तैयार करना, लाश सुपुर्द करना, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–36 लगायत प्रदर्श पी–51 होना बताते हुये अनुसंधान से मुलजिमान कालूराम, विपिन यादव व रविन्द्र के खिलाफ धारा 143,

341, 323, 302, 308, 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता में प्रमाणित मानते हुये उन्हें गिरफ्तार करना, उनकी इत्तला पर मोटरसाईकिल, डण्डों की बरामदगी करना, मजरूबान के चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली करना एवं मृतक का विसरा एफ.एस.एल. में जॉच हेतु भिजवाना कथन किया है। तत्पश्चात् दिनांक 08.04.2017 को पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु परमाल सिंह, उप–अधीक्षक, बहरोड को सुपुर्द करना कथन किया है और बाद अनुसंधान पत्रावली प्राप्त होने पर अभियुक्तगण विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया तथा बाल अपचारी नीरज उर्फ मिथुन व पवन कुमार के विरूद्ध धारा 147, 323, 341, 302, 308, 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र पेश करना कथन किया है। पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार ने मुख्य परीक्षण में आगे कथन किया है कि घटनास्थल के फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत 99 है, जिन सभी फोटोग्राफ पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुखबिर ने उसे मौके की वीडियो भेजी थी, जिससे उसने फोटो डवलप कराये थे। कैलाश अस्पताल की सी.डी. आर्टिकल–01, घटनास्थल जागूवास चौक की सी.डी. आर्टिकल–02 है। घटनास्थल अपेक्स के सामने एन.एच.–8 की सी.डी. आर्टिकल–03 है। मृतक पहलू खॉ के पोस्टमार्टम की सी.डी. आर्टिकल–4 व 5 है।

इस प्रकार पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार, जो कि प्रकरण का मुख्य अनुसंधान अधिकारी है और घटना के तुरंत बाद दिनांक 01.04.2017 से 08.04.2017 तक अनुसंधान इस गवाह द्वारा किया गया है। जब मजरूब पहलू खॉ के पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में तथा गवाहान पहलू खॉ, इरशाद, अजमत, आरिफ और रफीक के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्तगण, जिनके विरूद्ध विचारण किया जा रहा है, के नाम घटना में शामिल व्यक्तियों में नहीं बताये गये थे तो उसके द्वारा किस प्रकार अभियुक्तगण कालूराम, विपिन यादव व रविन्द्र के खिलाफ धारा 143, 341, 323, 302, 308, 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानते हुये उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यह उक्त गवाह के पूरे मुख्य परीक्षण के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। गवाह पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार ने अपने मुख्य परीक्षण के अन्त में मुखबिर द्वारा वीडियो भेजना और उसे डवलप कराकर फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत प्रदर्श पी–99 तैयार करना कथन किया है, किन्तु मुखबिर से वीडियो कब और किस दिनांक को प्राप्त हुआ, वीडियो किस इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त हुआ, क्या उस इलैक्ट्रोनिक माध्यम को

रिकॉर्ड पर लिया गया, जप्त किया गया, किस फोटोग्राफर से वीडियो से फोटोग्राफ तैयार करवाये गये, ऐसा कोई कथन पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

प्रकरण में पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार के पश्चात् दिनांक 08.04.2017 से अग्रिम अनुसंधान करने वाला गवाह परमाल सिंह पी.ड. 32 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दौराने अनुसंधान गवाहान रविन्द्र कुमार, विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह, नरेश कुमार, डॉ. बी.डी. शर्मा, डॉ. आर.सी. यादव, डॉ. अखिलेश सक्सैना, डॉ. पियूष प्रभात, डॉ. जितेन्द्र बूटोलिया, विजय सिंह, सोनू कुमार, हरीश शर्मा, संतराम व देवदत्त के बयान लेखबद्ध किये। प्रकरण में नामजद आरोपियान के मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। गवाह रविन्द्र यादव द्वारा पेश किये गये मोबाईल सैमसंग को जरिये फर्द प्रदर्श पी–04 जप्त किया गया, जिसमें गवाह द्वारा अपने मोबाइल से बनाई गई वीडियो क्लिपिंग मौजूद है, जिसमें घटना से संबंधित सबूत मिले थे। तत्पश्चात् इस गवाह ने अभियुक्तगण दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया तथा बाल अपचारी नीरज उर्फ मिथुन व पवन कुमार के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 308, 302, 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुये उन्हें गिरफ्तार करना, अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ धोलिया की इत्तला पर घटनास्थल की तस्दीक करना, आदि कथन किये हैं।

इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 32 परमाल सिंह ने गवाह रविन्द्र द्वारा मौके पर मोबाईल फोन से बनाई गई वीडियो क्लिपिंग में घटना से संबंधित सबूत होना बताते हुये उक्त मोबाईल को जरिये फर्द प्रदर्श पी–04 जप्त किया जाना बताया है। पत्रावली पर फर्द जप्ती मोबाईल प्रदर्श पी–04 है, जिसका अवलोकन किया गया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–04 में मोबाईल रविन्द्र कुमार द्वारा पेश करना, मोबाईल में रविन्द्र कुमार द्वारा मौके पर बनाई गई वीडियो क्लिपिंग होना बताते हुये उसे स्वतंत्र गवाह नीरज तथा पुलिसकर्मी दयाराम, एच.सी. के समक्ष दिनांक 15.04.2017 को जप्त करना अंकित किया गया है। गवाह रविन्द्र, जिसके द्वारा मोबाईल से घटना की वीडियो बनाया जाना बताया गया है, न्यायालय के समक्ष पी. ड. 03 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब वह जयपुर सिन्टेक्स फैक्ट्री के सामने पहुॅचा तो सडक के दूसरी साइड में हजारों

की तादाद में भीड इकट्ठा थी। उसने वहॉ जाकर देखा तो वहॉ पर काफी लोग इकट्ठा थे। एक पिकअप में गायें भरी हुई थी। वह दूर खडा होकर वीडियो बनाने लगा। उसने 5–7–10 सैकण्ड की वीडियो बनाई थी, फिर वह वहॉ से चला गया। उसने वह वीडियो अपने फोन में बनाई थी। उसका वह फोन पॉच–सात दिन बाद पुलिस ने जब्त किया था। वह उस भीड में से किसी को भी नहीं जानता, वहॉ उसका जानने वाला कोई नहीं था। अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही करवाने पर की गई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–03 का ए से बी तथा सी से डी भाग गलत होना बताया है। फर्द जप्ती मोबाईल प्रदर्श पी–04 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसने कोई फोटो नहीं खींची। उसने पुलिस को ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया, जिससे उस मोबाइल व सिम का स्वामित्व उसका दर्शित होता हो।

फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 का स्वतंत्र गवाह नीरज कुमार पी.ड. 26 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इस गवाह ने कथन किया है कि वह रविन्द्र को नहीं जानता। पुलिस ने पहलू खॉ के केस में उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराने पर की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि फर्द जब्ती मोबाईल सैमसंग जे–7 प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसके सामने कोई मोबाईल जब्त नहीं किया व उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 के दूसरे गवाह पी.ड. 22 दयाराम, एच.सी. ने कथन किया है कि दिनांक 15.04.2017 को वृत्त कार्यालय, बहरोड में परमाल सिंह, डी.वाई.एस.पी. के समक्ष रविन्द्र यादव, निवासी रिवाली द्वारा उक्त अभियोग में मारपीट के दौरान मोबाईल से वीडियो बनाई थी, जो मोबाईल पेश किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने जिरह में कथन किया है कि मोबाईल के रविन्द्र के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उसके सामने जब्त नहीं किये।

फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 का जब्ती अधिकारी परमाल सिंह पी.ड. 32 के रूप में न्यायालय में पेश हुआ है, जिसने कथन किया है कि गवाह रविन्द्र यादव द्वारा

पेश किये गये मोबाईल सैमसंग को जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 गवाहान की मौजूदगी में जब्त किया था, जिसमें गवाह द्वारा अपने मोबाईल से बनाई गई क्लीपिंग वीडियो, जो मोबाईल कार्ड में मौजूद है, जिसमें घटना से संबंधित सबूत मिले थे, उपरोक्त मोबाईल की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है, जो उसने रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में कशीद की थी, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में कथन किया है कि उक्त जब्त फोन गवाह रविन्द्र कुमार का हो, ऐसा कोई मालिकाना हक का दस्तावेज बिल, आई.डी. वगै. उसने जब्त नहीं किया। अजखुद कहा कि गवाह रविन्द्र कुमार द्वारा स्वयं पेश किया गया था और उसके द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था। प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 फोटोग्राफ्स उसने अनुसंधान के दौरान तैयार करवाये थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 पर तारीख अंकित नहीं है। उसने उक्त फोटो किससे तैयार करवाये थे, यह अंकन नहीं है, न ही उस व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर फोटो पर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 पर गवाह रविन्द्र के हस्ताक्षर भी नहीं है। उसने फोटो, जब्तशुदा मोबाईल व मेमोरी कार्ड को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु नहीं भेजा।

प्रकरण में पी.ड. 24 नवल किशोर को फोटोग्राफर के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने कथन किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि मुकदमा नम्बर 255/2017 में उसने कोई सी.डी. व फोटो बनाई हो। वह मौके पर नहीं गया व न ही उसने कोई फोटो खींची। मोबाईल पुलिसवाला लेकर आया था, उससे उसने फोटो व सी.डी. तैयार की होगी, उसे ध्यान नहीं है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसने फोटो तैयार नहीं की।

इस प्रकार प्रकरण में दो अनुसन्धान अधिकारी पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार तथा पी.ड. 32 परमाल सिंह है। दोनों के द्वारा मोबाईल से बनाई गई घटना का वीडियो प्राप्त होने पर उसमें से बनाए गये फोटो के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण को चिन्हित करना बताया गया है। पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार ने मुखबिर से वीडियो प्राप्त होना, वीडियो में से फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत प्रदर्श पी–99 तैयार करना बताया है, किन्तु इस गवाह द्वारा न तो उस मोबाईल को जब्त किया गया, जिसके द्वारा घटना का वीडियो बनाया गया था, न ही उस मोबाईल को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, न ही किस फोटोग्राफर से

फोटोग्राफ बनवाये गये, उसका नाम बताया गया है। दूसरे अनुसन्धान अधिकारी ने यद्यपि घटना का वीडियो रविन्द्र कुमार द्वारा स्वयं के मोबाईल से बनाना बताते हुए उक्त मोबाईल को जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 जब्त करना बताया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष तथाकथित वीडियो को बनाने वाला गवाह पी.ड. 3 रविन्द्र कुमार, मोबाईल जब्ती प्रदर्श पी–4 का स्वतंत्र गवाह पी.ड. 26 नीरज कुमार तथा तथाकथित वीडियो से फोटोग्राफ बनाने वाला गवाह पी.ड. 24 नवल किशोर सभी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और उन्होनें अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 के द्वारा जब्त किया गया मोबाईल पी.ड. 3 रविन्द्र कुमार के स्वामित्व का हो, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी.ड. 32 परमाल सिंह अनुसन्धान अधिकारी ने मोबाईल को एफ.एस.एल. जॉच हेतु भेजने से इंकार किया है, किन्तु पत्रावली पर उक्त मोबाईल की एफ.एस.एल. जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी–118 संलग्न है, जिसमें प्रदर्श पी–4 द्वारा जब्त किये गये मोबाईल के मेमोरी कार्ड में पाये गये वीडियो में कोई अनिरन्तरता नहीं होना बताया गया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 में जब्त किये गये मोबाईल को अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में जबकि अभियुक्तगण, जिनके विरूद्ध प्रकरण में विचारण किया जा रहा है, के विरूद्ध मृतक पहलू खॉ ने मृत्यु से पूर्व दिये गये पर्चा बयान, धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में तथा मजरूबान इरशाद, अजमत, आरिफ ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में कोई कथन नहीं किया था, उस स्थिति में मात्र मोबाईल से बनाये गये वीडियो से बनाये गये फोटोग्राफ के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण को अनुसन्धान अधिकारी द्वारा आरोपी बनाया गया है। पी.ड. 32 परमाल सिंह ने उक्त मोबाईल दिनांक 15.04.2017 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 जब्त करना बताया है, जिससे बनाये गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी–108 लगायत प्रदर्श पी–114 के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपी बनाना बताया है, जबकि पूर्व अनुसन्धान अधिकारी पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार, जिनके पास हस्तगत प्रकरण का अनुसन्धान दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 07.04.2017 तक रहा था और उक्त अवधि में ही उनके द्वारा मुखबिर द्वारा भेजे गये वीडियो से बनाये गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत प्रदर्श पी–99 के आधार पर अभियुक्तगण विपिन यादव, रविन्द्र कुमार व कालूराम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानकर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार प्रकरण में स्वयं अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के अनुसार घटना के मोबाईल से बनाये गये दो वीडियो के आधार पर अभियुक्तगण को चिन्हित किया गया, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार द्वारा बताये गये वीडियो और उससे बनाये गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत प्रदर्श पी–99 को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है, न ही वह मोबाईल, जिसमें उक्त वीडियो था, को जब्त किया गया। किस फोटोग्राफर से फोटोग्राफ बनवाये गये, यह भी पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार ने नहीं बताया है। दूसरा वीडियो, जिस मोबाईल से बनाया गया, उसे पी.ड. 32 परमाल सिंह ने जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 दिनांक 15.04.2017 को जब्त करना बताया है, किन्तु उक्त वीडियो बनाने वाला गवाह पी.ड. 3 रविन्द्र यादव, मोबाईल जब्ती का स्वतंत्र गवाह पी.ड. 26 नीरज कुमार तथा उक्त वीडियो से फोटोग्राफ बनाने वाला गवाह पी.ड. 24 नवल किशोर के पक्षद्रोही होने से उक्त वीडियो भी संदेहास्पद हो जाता है। पी.ड 30 रमेश सिनसिनवार ने जहॉ तक यह कथन किया है कि उसने रविन्द्र यादव के मोबाईल से वीडियो अपने मोबाईल में लेकर फोटो तैयार करवाये थे, जबकि स्वयं के मोबाईल को न तो हस्तगत प्रकरण में जब्त किया, न ही न्यायालय में पेश किया और न ही एफ.एस.एल. जॉच करवाई। इसके अतिरिक्त उक्त वीडियो, जिस मोबाईल से बनाया गया था, वह भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि इस प्रकार की इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहयोगी साक्ष्य के रूप में तभी स्वीकार की जा सकती है, जबकि मौखिक साक्ष्य में गवाहान ने इसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दी हो।

मामले में मुख्य गवाह पी.ड. 38 इरशाद, पी.ड. 39 अजमत, पी.ड. 41 आरिफ तथा पी.ड. 42 रफीक है, जो कि घटना के समय मौके पर थे, जिनके साथ भी मारपीट किया जाना बताया गया है। इन चारों साक्षियों ने घटना के अगले दिन दिनांक 02.04.2017 को लेखबद्ध धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में मारपीट करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। न्यायालय के समक्ष पी.ड. 38 इरशाद ने तीन–चार बाईक पर 9–10 बन्दों का आना और उनके साथ मारपीट करना बताया है। मारपीट करते समय आपस में ओमचन्द, राहुल, हुकमचन्द, सुधीर, नवीन, जगमाल, विपिन, कालू, रविन्द्र, दयानन्द, धौलिया, दीपक, भाटी, नीरज, गोलू नाम लेना बताया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में काफी समय हो जाने के कारण मुलजिमान को नहीं पहचान सकना बताया है। इस प्रकार इस गवाह ने अभियुक्तगण के अतिरिक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में दर्ज नामों के

साथ–साथ कुछ अन्य नाम भी मारपीट करने वालों में बताये हैं। इसी प्रकार पी.ड. 39 अजमत ने भी मारपीट करने वालों में हुकम, सुधीर, नवीन शर्मा, राहुल, जगमाल, रविन्द्र, कालू, दयानन्द, विपिन, नीरज, धौलिया, पवन के नाम बताये हैं। गवाह पी.ड. 41 आरिफ ने मारपीट करने वालों में ओम, हुकम, राहुल, सुधीर, जगमाल, नवीन, कालू, भीम, पवन, विपिन, दीपक, रविन्द्र, धूलिया के नाम बताये हैं। गवाह पी.ड. 42 रफीक ने मारपीट करने वालों में ओम, हुकम, सुधीर, नवीन, राहुल, जगमाल, कालू, भीम, दीपक, धौलिया, विपिन के नाम बताये हैं।

इस प्रकार गवाह पी.ड. 41 आरिफ ने अभियुक्त दयानन्द का तथा पी.ड. 42 रफीक ने अभियुक्तगण रविन्द्र व दयानन्द का नाम मारपीट करने वालों में नहीं बताया है। प्रकरण में अनुसन्धान के दौरान अभियुक्तगण की शिनाख्तगी मजरूबान से नहीं कराई गई है। न्यायालय के समक्ष भी पी.ड. 38 इरशाद ने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है तथा शेष मजरूबान पी.ड. 39 अजमत, पी.ड. 41 आरिफ तथा पी.ड. 42 रफीक से अभियुक्तगण की शिनाख्त न्यायालय में नहीं कराई गई है। शिनाख्तगी के बिन्दु पर विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने यह बहस की है कि जहॉ बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा कई लोगों के साथ एक साथ मारपीट की जाती है, उस स्थिति में शिनाख्तगी किया जाना सम्भव नहीं है।

यह सही है कि हस्तगत प्रकरण में कई व्यक्तियों द्वारा मजरूबान को रोककर मारपीट करना तथा मारपीट के दौरान काफी भीड एकत्रित हो जाना बताया गया है। यह भी सही है कि इतने व्यक्तियों द्वारा जब एक साथ कई व्यक्तियों के साथ मारपीट की जाती है तो उस स्थिति में किस व्यक्ति द्वारा किस मजरूब के शरीर के किस हिस्से पर मारपीट की गई, यह बताया जाना संभव नहीं होता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में स्वयं मजरूबान द्वारा अपने धारा 161 दण्ड प्रकिया संहिता के बयानों में दो मोटरसाईकिलों पर 5 व्यक्तियों का आना और मारपीट करना बताया गया है। न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में मजरूबान द्वारा अपनी साक्ष्य में परिवर्धन करते हुए तीन–चार बाईक पर 8–9 लोगों द्वारा आकर मारपीट करना बताया है। घटना के दूसरे दिन पुलिस को दिये बयानों में मारपीट करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम मजरूबान द्वारा नहीं बताया गया है। घटना के लगभग सवा दो वर्ष पश्चात् न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में मजरूबान द्वारा

न केवल अभियुक्तगण के नाम मारपीट करने वालों में बताये हैं, बल्कि उनके पिता मृतक पहलू खॉ द्वारा दर्ज कराये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में बताये गये नाम और उनके अतिरिक्त भी कई नाम मारपीट करने वालों में बताये हैं। मजरूबान द्व ारा घटना के सवा दो वर्ष पश्चात् अभियुक्तगण और अन्य व्यक्तियों के नाम किस आधार पर उन्हें ज्ञात हुए, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यह सम्भव नहीं है कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाये तो मजरूब व्यक्ति को उनके नाम तो घटना के सवा दो वर्ष पश्चात् याद रहें, जबकि शक्ल से उनको पहचानने से इंकार कर दिया जाये।

न्यायिक दृष्टान्त **2007(3) RLW 2111 United India Insurance Co. Ltd. Vs. Pawan Tikkiwal & Ors.** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने साक्ष्य विधि के सिद्धान्तों की व्याख्या करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि One of the settled principle of the law of evidence is that the first version of an incident contains the kernel of truth. For, it is the tendency of human beings to speak the truth immediately. Subsequently, after due deliberations, the facts can be changed, the story can be embroidered and a fictional version can be created. Thus, while appreciating the evidence, the courts consider the initial statements as containing the substratum of truth. In case there is a change in the factual foundation of the case, the court should be put on alert and should scrutinise the evidence meticulously so as to separate the wheat form the sheff.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण को देखें तो घटना के तुरन्त पश्चात् मजरूब पहलू खॉ द्वारा जो पॉच नाम मारपीट करने वालों के अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में दर्ज कराये गये, उन व्यक्तियों को हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उनके संबंध में पी.ड. 33 गोविन्द देथा, अनुसन्धान अधिकारी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि एफ. आई.आर. में जो मुलजिमान थे, उनको तलब कर पूछताछ की गई। उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन ली गई थी, जिसके अनुसार वक्त घटना कुछ आरोपीगण की उपस्थिति घटनास्थल पर न होकर राठ गौशाला पर थी, जिसके बारे में राठ गौशाला कर्मचारी से दरयाफ्त की गई। प्रकरण में आरोपी पक्ष बहरोड, जिला अलवर के निवासी है, जबकि मजरूब पक्ष नूँह मेवात, हरियाणा के निवासी है। परिवादी पक्ष का गाय लेकर बहरोड से गुजरते समय अभियुक्तगण द्वारा रोककर

मारपीट किया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि परिवादी तथा अभियुक्त पक्ष की आपस में कोई जान–पहचान नहीं थी, मजरूब पहलू खॉ द्वारा घ ाटना के तुरन्त पश्चात् जिन व्यक्तियों के नाम मारपीट करने वालों में बताये गये, इस संबंध में कोई अनुसन्धान नहीं किया गया कि मजरूब पहलू खॉ द्वारा उपरोक्त पॉच नाम किस आधार पर बताये गये, जबकि वह उक्त लोगों को जानता तक नहीं था। अभियुक्तगण, जिनके विरूद्ध प्रकरण में विचारण किया जा रहा है, का नाम मजरूब पहलू खॉ द्वारा अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 में दर्ज नहीं कराया गया, न ही मजरूबान पहलू खॉ, इरशाद, अजमत, आरिफ व रफीक ने अपने पुलिस बयानों में उनका नाम दर्ज कराया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की शिनाख्त किया जाना मामले में जरूरी था, जो कि अनुसन्धान के दौरान नहीं कराई गई। न्यायालय के समक्ष मजरूबान ने भी अभियुक्तगण की पहचान मारपीट करने वालों के रूप में नहीं की है। मजरूबान पी.ड. 38 इरशाद, पी.ड. 39 अजमत, पी.ड. 41 आरिफ तथा पी.ड. 42 रफीक द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण की पहचान मारपीट करने वालों में नहीं करना, उनकी साक्ष्य को संदेहास्पद करता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में घटना के तुरन्त बाद दर्ज कराये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी–31, घटना के दूसरे दिन मजरूबान द्वारा दर्ज कराये गये धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्तगण को मारपीट करने वालों में नामजद नहीं करना, पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार, अनुसन्धान अधिकारी द्वारा, जिस वीडियो से बनाये फोटोग्राफ के आधार पर अभियुक्तगण को नामजद किया गया, उस वीडियो को जिस मोबाईल से प्राप्त किया गया, उसे जब्त नहीं करना, वीडियो से बनाये गये फोटोग्राफ किससे बनवाये गये, इस तथ्य को पत्रावली पर नहीं लाना, पी.ड. 32 परमाल सिंह, अनुसन्धान अधिकारी द्वारा जब्त किये गये मोबाईल से वीडियो बनाने वाले गवाह पी.ड. 3 रविन्द्र सिंह, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 के स्वतंत्र गवाह पी.ड. 26 नीरज तथा उक्त वीडियो से फोटोग्राफ बनाने वाले गवाह पी.ड. 24 नवल किशोर द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करना, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 में जब्त किये गये मोबाईल को न्यायालय में पेश नहीं करना, मजरूबान से अभियुक्तगण की शिनाख्तगी दौराने अनुसन्धान नहीं कराना, मजरूबान द्वारा न्यायालय के समक्ष भी अभियुक्तगण की पहचान मारपीट करने वालों में नहीं करना आदि तथ्य अभियोजन

कहानी को संदेहास्पद करते हैं और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

प्रकरण में अनुसन्धान अधिकारी पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार द्वारा मजरूब पहलू खॉ, जो कि आई.सी.यू. वार्ड में भर्ती था, का पर्चा बयान दर्ज करने से पूर्व चिकित्सक से उसके बयान देने की स्थिति में होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण–पत्र लिये बगैर पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी–31 को दर्ज करने के 16 घंटे पश्चात् थाने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु पेश किया गया है। पर्चा बयान में नामजद आरोपियों से क्या अनुसन्धान किया गया, इस संबंध में पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार ने कोई साक्ष्य न्यायालय में नहीं दी है। जिस वीडियो के माध्यम से अभियुक्तगण को प्रकरण में आरोपी बनाया गया, वह वीडियो, जिस मोबाईल से प्राप्त किया गया, उसको जब्त नहीं करना भी अनुसन्धान अधिकारी की गम्भीर लापरवाही को दर्शित करता है। जहॉ एफ.आई.आर. में नामजद आरोपियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया जाता है, जिनके नाम धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी नहीं हो, वहॉ अभियुक्तगण की मजरूबान से शिनाख्त कराना बेहद जरूरी हो जाता है, किन्तु मामले में अनुसन्धान अधिकारी पी.ड. 30 रमेश सिनसिनवार, पी.ड. 32 परमाल सिंह तथा पी.ड. 33 गोविन्द देथा किसी ने भी अभियुक्तगण की शिनाख्त मजरूबान से अनुसन्धान के दौरान नहीं कराई है। इस प्रकार प्रकरण में अनुसन्धान के दौरान गम्भीर कमियॉ छोडी गई हैं, जो अभियोजन के मामले को संदेह के घेरे में लाता है और उस संदेह का लाभ प्राप्त करने के अभियुक्तगण अधिकारी हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानन्द, योगेश उर्फ धोलिया व भीम सिंह राठी आरोपित अपराध धारा 147, 341, 323, 302, 308, 427, 379 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घ ोषित किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अतः अभियुक्तगण **विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानन्द, योगेश उर्फ धोलिया व भीम सिंह राठी** को आरोपित अपराध धारा 147, 341, 323, 302, 308, 427, 379 सपठित 149 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा, लाठी बाद गुजरने मियांद अपील रिवीजन नियमानुसार नष्ट किया जाये तथा जप्तशुदा मोटरसाईकिल, जो पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो सुपुर्ददार के पास रहे तथा सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे।

अभियुक्त दीपक उर्फ गोलू प्रकरण में मफरूर है, उसके विरूद्ध कार्यवाही शेष है, इसलिए पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जाकर पत्रावली सुरक्षित रखी जावे एवं इस आशय का लाल स्याही से नोट लगाया जावे।

(डॉ0 सरिता स्वामी)

निर्णय आज दिनांक **14.08.2019** को खुले न्यायालय में लिखवाकर सुनाया गया।

(डॉ0 सरिता स्वामी)